रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1986/आश्विन 8, 1908

No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1986/ASVINA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

संख्या 1-सी ए. (5) 037/86:— चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 के अनुभाग 18 के उप अनुभाग (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार, 31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष की परिषद की रिपोर्ट तथा आडिट किये हुए वार्षिक लेखे की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है :—

31 मार्च 1986 को समाप्त हुये वर्ष के लिये परिषद् की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 की धारा 18(5) की व्यवस्थाओं के अनुसार परिषद को अपनी 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष है। इस रिपोर्ट में न केवल 31 मार्च 1986 को समाप्त हुये वर्ष में इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का ही समावेश है बल्कि इसमें इसके जारी होने की तिथि तक के महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

1. परिषद

12वीं परिषद का कार्यकाल 16 सितम्बर, 1985 को समाप्त हो गया और 13वीं परिषद जो कि पांच क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों से इंस्टीट्यूट के 24 निर्वाचित सदस्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 6 सदस्यों से बनी है, का गठन 17 सितम्बर, 1985 को किया गया था। दोनों परिषदों और उनकी समितियों की स्थिति (अ) 1 अप्रैल, 1985 से 16 सितम्बर 1985 तथा (ब) 17 सितम्बर, 1985 से 31 मार्च 1986 तक की अवधि के लिये क्रमशः परिशिष्ट I और II में दी गई है।

1.2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

श्री ए.सी. चक्रवर्ती और श्री पी.ए. नायर 16 सितम्बर, 1985 तक क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बने रहे। श्री पी.ए. नायर और श्री आर. बालाकृष्णन 17 सितम्बर, 1985 से एक साल की अवधि के लिये क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गये।

1.3 परिषद की बैठकें

वर्ष 1985-86 के दरमियान परिषद की पांच बैठकें हुई—113वीं बैठक 11, 12 और 13 अप्रैल, 1985 को बम्बई में, 114वीं—11 और 12 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में, 115वीं—14, 15 और 16 सितम्बर 1985 को नई दिल्ली में, 116वीं—17 सितम्बर, 1985 को नई दिल्ली में तथा 117वीं—19, 20 और 21 दिसम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुई।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

2.1 इंटरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेंट्स

(ए) इंस्टीट्यूट लेखापालों के अन्तर्राष्ट्रीय राज संघ (आई.एफ.ए.सी.) का लगातार सदस्य रहता आया है तथा भारत आई.एफ.ए.सी. की परिषद का निर्वाचित सदस्य बनता आया है तथा इसकी एजुकेशन कमेटी, इंटरनेशनल आडिटिंग प्रेक्टिसिज कमेटी तथा फाइनेन्शियल एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग कमेटी में प्रतिनिधित्व करता आ रहा है।

(बी) श्री बी.एन. कामथ, इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष, आई.एफ.ए.सी. की परिषद में भारत की ओर से बराबर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

(सी) श्री बंगी एन. सेठना, इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष, आई.एफ.ए.सी. की एजुकेशन कमेटी के सभापति के पद पर बने हुये हैं।

(डी) श्री वाई.एन. मानेगम, इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष, आई.एफ.ए.सी. की इंटरनेशनल आडिटिंग प्रैक्टिसिज कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं।

20 और 21 फरवरी 1986 को आई.एफ.ए.सी. की एजुकेशन कमेटी की एक बैठक नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर प्रकाश डालने तथा एजुकेशन कमेटी के भविष्य के कार्यक्रमों के पुनरावलोकन पर एक सेमीनार का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, हमारे इंस्टीट्यूट तथा इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस आफ इंडिया के प्रतिनिधियों, तथा आई.एफ.ए.सी. की एजुकेशन कमेटी के सदस्यों के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में दोनों इंस्टीट्यूट के शिक्षा और प्रशिक्षण के लक्ष्य और कार्यक्रमों से संबंधित सामान्य हित के अनेक मामलों पर विचार किया गया।

अध्यक्ष श्री पी.ए. नायर ने मई 1986 में ज्युरिख में हुई आई.एफ.ए.सी. की परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के तकनीकी परामर्शदाता की हैसियत से भाग लिया।

2.2 इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टेन्डर्ड कमेटी

श्री पी.ए. नायर, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड कमेटी की "डिसक्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंटस आफ बैंक" के ऊपर गठित कर्णधार समिति के वर्तमान सदस्य हैं।

2.3 एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्रीय लेखापालों का परिषद

भारत हमारी सहायक संस्था इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंटस आफ इंडिया के माध्यम से एशियाई एवं प्रशान्त क्षेत्रीय लेखापालों के परिसंघ की प्रबन्धकारिणी समिति में प्रतिनिधित्व करता आ रहा है।

2.4 साउथ एशियन फडरेशन आफ एकाउन्टेंट्स

साऊथ एशियन फडरेशन आफ एकाउन्टेंटस की असेम्बली (सभा) की एक बैठक 3 और 4 दिसम्बर 1985 को कोलम्बो, श्री लंका में श्री पी.एन. शाह, तत्कालीन परिषद के अध्यक्ष तथा इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। श्री पी.ए. नायर, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, श्री ए.सी. चक्रवर्ती, इंस्टीट्यूट के एकदम भूतपूर्व अध्यक्ष और डा. कमल गुप्ता, इंस्टीट्यूट के तकनीकी निदेशक तथा तत्कालीन परिसंघ के सचिव ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में श्रीलंका के श्री एम.आर. बाटा-वाला तथा पाकिस्तान के श्री इब्राहीम ज़ाहूरवाला 1986 के लिये परिसंघ के क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गये। इस समय श्री पी.ए. नायर परिसंघ की असेम्बली में इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

असेम्बली की मीटिंग के बाद 4 से 7 दिसम्बर, 1985 को साऊथ एशियन फेडरेशन आफ एकाउन्टेंटस का पहला अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का विषय "एकाउन्टेंसी व्यवसाय—दृश्य व निरभावियों", व्यवसाय की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करना, विशेषतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बदलते हुये आर्थिक एवं तकनीकी वातावरण में व्यवसाय का भविष्य के स्थान का अनुमान लगाना था। अधिवेशन में बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के लगभग 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। अधिवेशन में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री पी.ए. नायर ने किया।

25 जुलाई 1986 को साफा एसेम्बली की दूसरी मीटिंग ढाका बंगला देश में हुई। श्री पी.ए. नायर ने साफा एसेम्बली में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि की हैसियत से तथा श्री आर.एम. चोपड़ा ने श्री नायर का तकनीकी सलाहकार की हैसियत से इस मीटिंग में भाग लिया। 26 और 27 जुलाई 1986 को साफा के संरक्षण में एक सेमीनार का भी आयोजन किया गया। इस सेमीनार का आयोजन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ बंगलादेश तथा इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउन्टेंटस आफ बंगलादेश ने सामूहिक रूप से किया। लगभग 400 प्रतिनिधियों ने सेमीनार के तर्क-वितर्क में भाग लिया। श्री आर.एन. राय ने जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं "इम्पैक्ट आफ कम्प्यूटर ओन एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग" के विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया। श्री पी.ए. नायर ने "रोल आफ मैनेजमेंट एकाउन्टेंट इन एमाडर्न इन्टरप्राइज" नामक दूसरे तकनीकी सैसन की अध्यक्षता की।

2.5 11वीं कापा कांग्रेस

9 से 13 नवम्बर 1986 में एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्रीय लेखापालों का 11वां अधिवेशन मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में बुलाया जा रहा है। अधिवेशन का विषय "एकाउन्टेंसी का प्रतिबिम्ब—दावें और बदलाव" है। श्री शम्भर बनर्जी जो कि हमारी परिषद के सदस्य हैं को "एकाउन्टेंटस-व्हीथर प्रोफेशनल एण्ड सोशल रेसपोन्सीबिलिटीज टु डे एण्ड टुमारो" नामक विषय पर सामूहिक लेखन का कार्य सौंपा है। इंस्टीट्यूट श्री आर. बाला कृष्णन, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है।

2.6 13वीं वर्ल्ड कांग्रेस आफ एकाउन्टेन्ट

13वीं वर्ल्ड कांग्रेस आफ एकाउन्टेंट्स का आयोजन 11 से 15 अक्तूबर 1987 को टोक्यो, जापान में किया जा रहा है। कांग्रेस का विषय "कम्प्यूटर वातावरण में एकाउन्टेंट की भूमिका" है। श्री रूपेन राय को जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं को "आडिट आफ सिम्पल ई.डी.पी. सिस्टम" नामक विषय पर लेख तैयार करने के लिये चुना गया है। कांग्रेस में भाग लेने के लिये इंस्टीट्यूट एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।

2.7 विदेशों में सेमीनार

इंस्टीट्यूट ने एक एक सेमीनार दुबई और दोहा में क्रमशः 25 व 26 अप्रैल, 1986 को आयोजित किये। सेमीनार के फैकल्टी सदस्यों में श्री एन.पी. शारदा, एफ.सी.ए., बम्बई तथा इंस्टीट्यूट के तकनीकी निदेशक डा. कमल गुप्ता शामिल थे। सेमीनार में एकाउंटिंग, आडिटिंग और कोरपोरेट फाइनेंस पर नये झुकावों पर विचार किया गया। दोनों सेमीनारों में उपस्थिति बहुत अच्छी थी।

2.8 अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिवेदनों पर प्रतिवचन

अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों के परिसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकाउंटिंग स्तर समिति द्वारा जारी किये गये प्रतिवेदनों पर इंस्टीट्यूट लगातार प्रतिवचन करता आ रहा है।

2.9 विदेशी महानुभावों की यात्रायें

साल के दरमियान में जिन महत्वपूर्ण विदेशी महानुभावों ने भारत की यात्रा की उनमें डा. जान जो. भिनर (एशियाई तथा प्रशांत क्षेत्रीय लेखापालों के महापरिसंघ के अध्यक्ष), श्री ब्रेन जेनकिन्स (अध्यक्ष—इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस इन इंगलैंड एण्ड वेल्स) और श्री डेविड काइरन्स (इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टेन्डर्ड कमेटी के सैक्रेटरी जनरल) शामिल हैं। इन यात्राओं में उनके साथ सामान्य हित के अनेक मामलों पर विचार किया गया।

3. व्यवसायिक विकास की गतिविधियां

3.1 सामान्य :

परिषद वर्ष 17 सितम्बर 1985 से 16 सितम्बर 1986 तक की अवधि के लिये परिषद द्वारा गठित की गई अनेक अस्थाई समितियों के व्यवसायिक विकास से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है। इस मूल्यांकन में 1 अप्रैल 1985 से 16 सितम्बर 1985 तक की गतिविधियों का उल्लेख नहीं है क्योंकि इनको पहले ही गत वर्ष पेश की गई 36वीं वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा चुका है। इसमें क्षेत्रीय परिषदों तथा उनकी शाखाओं की गतिविधियों का ब्योरा भी नहीं है।

3.2 एकाउंटिंग स्टैन्डर्डस बोर्ड :

(ए) जनवरी 1979 में एकाउंटिंग स्टैन्डर्डस के निर्वचन की प्रस्तावना के जारी होने के बाद परिषद ने निम्नलिखित दस डेफीनिटिव एकाउंटिंग

स्टैण्डर्डस जारी किये हैं, इनमें से एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड (9) और (10) को इस रिपोर्ट वर्ष के दौरान जारी किया है :—

(i) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-1 (ए.एस.-1) "डिसक्लोजर आफ एकाउंटिंग पालिसीज" पर—नवम्बर 1979

(ii) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-2 (ए.एस.-2) "वैल्यूएसन आफ इन्वेन्टरीज पर—जून 1981

(iii) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-3 (ए.एस.-3) "वित्तीय स्थिति में परिवर्तन" पर—जून 1981

(iv) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-4 (ए.एस.-4) "कन्टिन्जेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स अकरिंग आफ्टर दी बैलेन्स सीट डेट" पर नवम्बर 1982

(v) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-5 (ए.एस.-5) "पूर्व समय तथा असाधारण वस्तु और एकाउंटिंग नीतियों में परिवर्तन" पर—नवम्बर 1982

(vi) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-6 (ए.एस.-6) "डेप्रीसियेशन एकाउंटिंग" पर—नवम्बर, 1982

(vii) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-7 (ए.एस.-7) "निर्माण संविदा के लिये एकाउंटिंग" पर —दिसम्बर, 1983

(viii) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-8 (ए.एस.-8) "अन्वेषण एवं विकास के लिये एकाउंटिंग" पर—जनवरी 1985

(ix) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-9 (ए.एस.-9) "आय मान्यता" पर —नवम्बर 1985

(x) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-10 (ए.एस.-10) "स्थिर सम्पत्ति के लिये एकाउंटिंग" पर—नवम्बर 1985

उपरोक्त के अलावा बोर्ड ने "वित्तीय प्रतिवेदन में प्रयुक्त प्रतिबन्धों" पर एक मार्गदर्शक नोट भी जारी किया है।

(बी) एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस को लागू करना

एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड को एक नियमित ढंग से लागू करने के लिये प्रयत्न जारी है।

एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस को विस्तृत रूप से विख्यात करने की दृष्टि से बोर्ड ने एक लोकप्रिय ब्रोशर तैयार किया है इसे अनेक संस्थाओं को बांटा जा रहा है। यह ब्रोशर बोर्ड का गठन, इसका उद्देश्य और एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड का विकास करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के वर्ष के अन्तर्गत एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड की जानकारी से संबंधित बड़ी संख्या में सेमीनारों का भी आयोजन किया गया।

(सी) निर्माणाधीन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड

निम्नलिखित विषयों पर स्टैण्डर्डस तैयार किये जा रहे हैं :—

(i) आय पर कर के लिये एकाउंटिंग

(ii) नियोक्ताओं के वित्तीय स्टेटमेंटस पर सेवा निवृत्ति लाभों के लिये एकाउंटिंग

(iii) विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन प्रभाव के लिये एकाउंटिंग

(iv) सरकारी अनुदान तथा सरकारी सहायता प्रकटीकरण के लिये एकाउंटिंग,

3.3 आडिटिंग प्रेक्टिसेज समिति

(ए) बैंक आडिट के लिये विस्तृत आडिट रिपोर्ट

1985 के दरमियान, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को आदेश दिये कि वे अपने प्रधान कार्यालयों, नियंत्रण करने वाले कार्यालयों तथा शाखाओं के आडिटरों से विस्तृत आडिट रिपोर्ट लें। इस उद्देश्य के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो अलग प्रश्नावलियां तैयार की गईं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदस्यों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुये तथा इस मामले पर उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करने के लिये समिति ने दिसम्बर 1985 में जनता के सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक वाद-विवाद पत्र जारी किया। इस वाद-विवाद पत्र पर प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति ने इस विषय पर एक मार्गदर्शक नोट तैयार किया है।

(बी) बैंक-आडिट पर अध्ययन

वर्ष के दरमियान समिति ने इंस्टीट्यूट का वर्तमान मुद्रित ग्रंथ "बैंक का आडिट" का संशोधन कार्य पूर्ण किया। संशोधित संस्करण का नाम "बैंकों के आडिट का अध्ययन" है जो कि व्यावसायिक बैंक की शाखा के आडिट की आवश्यकता अनुसार वैधानिक आडिट एवं विस्तृत आडिट रिपोर्ट की शर्तों की पूर्ति करता है। यह संस्करण भारतीय रिजर्व बैंक के ताजे निर्देशों एवं देश की बैंकिंग व्यवस्था में हुये अन्य परिवर्तनों का भी समावेश करता है।

(सी) स्टेटमेंट्स आन स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसिज

समिति ने निम्न स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज पर निम्न दो स्टेटमेंट्स पर खुला मसविदा को छापा :—

(i) धोखा और गलती

(ii) आडिट कार्य के स्तर पर नियंत्रण

सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति ने इन मसविदों को पूरा कर लिया है तथा इनको परिषद के पास विचार करने तथा स्वीकृति के लिये भेजा है। परिषद द्वारा पास करने पर इनको स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसिज के ऊपर स्टेटमेंट्स के रूप में जारी किया जायेगा।

निम्न विषयों पर स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज के ऊपर स्टेटमेंट्स का निर्माण कार्य अनेक अवस्थाओं पर चल रहा है :—

(i) आडिट नमून

(ii) आन्तरिक आडिटर के कार्य का उपयोग

(iii) एक आडिट से संबंधित एकाउन्टिंग सिस्टम और आन्तरिक नियंत्रण में संबन्ध पर अध्ययन एवं मूल्यांकन

(iv) वित्तीय स्टेटमेंटस पर आडिटर की रिपोर्ट

समिति ने अपने विचार के लिये स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज के ऊपर स्टेटमेंट्स का प्राथमिक मसविदा तैयार करने के लिये बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में अध्ययन दलों का गठन किया है। दूसरा अध्ययन दल इंस्टीट्यूट के वर्तमान मुद्रित ग्रंथ "स्टेटमेंट आन आडिटिंग प्रेक्टिसेज" के आधार पर मार्गदर्शक नोट का प्राथमिक मसविदे के विकास कार्य में व्यस्त है।

(डी) आई.एफ.ए.सी. तथा आई.ए.एस.सी. द्वारा जारी प्रलेखों पर जवाब

नई दिल्ली में समिति का एक अध्ययन दल अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों का परिसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकाउंटिंग स्तर समिति द्वारा जारी किये गये अनेक प्रलेखों के प्रारम्भिक जवाब तैयार करने के कार्य में व्यस्त है।

3.4 अन्वेषण समिति

(ए) प्रकाशित साहित्य

वर्ष के दरमियान निम्नलिखित मुद्रित पुस्तकें बिक्री के लिये जारी की गयीं :—

(i) स्टेटमेंटस एवं स्टैण्डर्डस का संग्रह

(ii) मार्गदर्शक नोटों का संग्रह

(iii) छपे हुये एकाउन्टस में लागत (वर्तमान मुद्रित पुस्तक प्रेसीडेंट्स इन परिशिष्ट एकाउन्ट्स का संशोधित संस्करण)

(iv) सामान्य बीमा का काम कर रही कंपनियों के आडिट का अध्ययन

(v) निर्माण अवधि के दौरान दरमियान खर्च का प्रबंध के ऊपर मार्गदर्शक नोट "(निर्माण अवधि के दरमियान होने वाले खर्च पर अध्ययन" नामक पुस्तक का संशोधित संस्करण)

(बी) प्रकाशन की प्रक्रिया में अध्ययन।

(i) फर्टिलाइजर उद्योग पर एकाउंटिंग तथा आडिटिंग के लिये तकनीकी गाइड।

(ii) निर्माण उद्योग--आंतरिक आडिट पर गाइडलाइंस

(iii) चीनी उद्योग-आंतरिक आडिट पर गाइडलाइंस

(सी) समिति के निर्माणाधीन प्रकाशन

(i) उद्योगो में बीमारी की हालत निश्चित करने के लिये वित्तीय सूचनाओं के प्रयोग का अध्ययन

(ii) निम्नलिखित पर एकाउंटिंग तथा आडिटिंग तकनीकी गाइड:--

(अ) आटोमोबाईल उद्योग

(ब) ड्रग व फार्मास्युटिकल उद्योग

(iii) पट्टे के लिये एकाउंटिंग पर मार्गदर्शक नोट

(iv) विदेशी विनिमय विनियम एक्ट के लिये एकाउंटेंट की गाईड

(डी) परियोजना प्रगति पर

(i) स्टेटिस्टिकल सेम्पलिंग टैकनीक--आडिट प्रोसिजेज में एक सहायता।

(ii) टैक्सटाइल उद्योग--आन्तरिक आडिट के लिये गाइड लाइन्स।

(iii) होटल उद्योग के लिये एकाउन्टिंग तथा आडिटिंग की तकनीकी गाइड।

(iv) कम्पनियों के वित्तीय स्टेटमैंट्स पर इंस्टीट्यूट की घोषणाओं का प्रभाव।

(v) कस्टम ड्यूटी के नियम के लिये एकाउटेन्ट की गाइड।

(vi) टायर उद्योग--आन्तरिक आडिट के लिये गाइड लाइन्स।

(vii) निम्नलिखित पर अध्ययन :--

(ए) एम.आर.टी.पी. एक्ट

(बी) बीमा आडिट--एल.आई.सी.

(सी) सार्वजनिक ट्रस्ट का आडिट।

(डी) हास्पीटल एकाउन्टिंग तथा प्रबन्ध नियंत्रण प्रणाली।

(ई) कम्प्यूटर और आडिटर।

(viii) मोडिफाइड एकाउन्टिंग के लिये मार्ग दर्शक नोट।

(ई) संशोधन की प्रक्रिया में वर्तमान प्रकाशन

(i) ट्रीटमैंट आफ रीटायरमैंट ग्रेच्युटी इन एकाउन्ट्स पर स्टेटमैंट्स।

(ii) बोनस एक्ट, 1965 का भुगतान--एकाउन्टैन्ट्स का अध्ययन।

(iii) शैक्षणिक संस्थाओं के आडिट के लिये तकनीकी गाइड।

(iv) कोआपरेटिव समितियों की आडिट के लिये तकनीकी गाइड।

(v) शेयर मूल्यांकन पर अध्ययन।

(vi) भारतीय उद्योगों में मूल्य निर्धारण।

(vii) एकाउन्टिंग ट्रीटमैंट आफ रिजर्व्स इन अमलगमेशन पर मार्गदर्शक नोट।

(viii) बदलती कीमतों के एकाउटिंग पर मार्ग दर्शक नोट।

(ix) एकाउन्ट्स में डेप्रिसियेशन तय करने के तरीके में परिवर्तन के ऊपर स्टेटमैंट्स।

(एफ) शील्ड पैनल

सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत किये गये एकाउन्ट्स के पुरस्कारों का वार्षिक पुरस्करण।

(ए) कम्पनियों तथा अवित्तीय वैधानिक निगम

वार्षिक प्रतियोगिता के जजों के पैनल ने सन 1984-85 के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वार्षिक रिपोर्ट और एकाउन्ट्स (31 मार्च 1985 को समाप्त हुये साल का) को सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया हुआ घोषित किया तथा इस कम्पनी को चांदी की शील्ड से पुरस्कृत किया।

जजों के पैनल ने निम्नलिखित कम्पनियों के वार्षिक रिपोर्ट और एकाउन्ट्स की बड़ी प्रशंसा की तथा इनको प्लेक से पुरस्कृत किया गया :--

दी एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड।

(31 जुलाई, 1984 को समाप्त हुये वर्ष के लिये)

दी इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (31 मार्च, 1985 को समाप्त हुये वर्ष के लिये)।

दी मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.

(31 मार्च, 1985 को समाप्त हुये वर्ष के लिये)।

(उपरोक्त कम्पनियां जिनके एकाउन्ट्स की बड़ी प्रशंसा की है इनका क्रम वर्णमाला के हिसाब से रखा गया है न कि प्राथमिकता के आधार पर)।

(बी) बैंक और वित्तीय संस्थाएं--1984-85 के लिये

जजों के पैनल ने बैंको और वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट और एकाउन्ट्स पर भी विचार किया तथा "भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक" के एकाउन्ट्स व वार्षिक रिपोर्ट को प्रतियोगिता में शामिल बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में सर्वोत्तम घोषित किया तथा इस निगम को चांदी के शील्ड से पुरस्कृत किया।

(सी) इकाइयां जैसे कि सार्वजनिक ट्रस्ट, कोआपरेटिव समितियां अन्वेषण एवं शैक्षणिक संस्थाएं इत्यादि 1984-85 के लिये

जजों के पैनल ने उपरोक्त इकाइयों के एकाउन्ट्स और वार्षिक रिपोर्ट पर भी अलग से विचार किया तथा "इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड" के एकाउन्ट्स व वार्षिक रिपोर्ट को सर्वोत्तम घोषित किया और इसे प्लेक से पुरस्कृत किया है।

3.5 व्यावसायिक विकास समिति

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाओं के एकाउन्ट्स का आडिट से संबंधित एप्वाइंटमैंट प्रक्रिया तथा अन्य कार्य

संबंधित अधिकारियों के निवेदन पर उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शको के अनुसार वर्ष 1985 के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व उनकी शाखाओं के लिये आडिटरों का पैनल तैयार करने के लिये कमेटी ने इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों से सूचनाएं एकत्रित की। जिन्होंने इस निमित्त अपने आवेदन भेजे, उन्हें कम्प्यूटराइज किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा गया। ऐसी ही सूचनाएं इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाओं के एकाउन्ट्स के आडिट के लिये 1986 के लिये एकत्रित की गई तथा इनकी कम्प्यूटर की प्रक्रिया द्वारा, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट गाइडलाइन्स के अनुसार एक सूची बनाई गई। इस तरह बनाई गई सूची को संबंधित प्राधिकारियों को

उनकी मांग के अनुसार भेज दी गई है। समिति ने सदस्यों से प्राप्त स्मरण पत्रों के आधार पर इम्पेनलमेंट से सम्बन्धित अनेक मामलों पर अधिकारियों से विचार किया।

(बी) उद्योगों में सदस्य

उद्योगों में लगे सदस्यों के लिये एक समिति का गठन किया गया जो--

(1) इन्स्टीट्यूट की गतिविधियों में उद्योगों में लगे सदस्यों का भागीदार बनने की इच्छा को जागृत करने के साधन व तरीकों पर विचार करें।

(2) उन मामलों पर विचार करना जो कि सेवा में लगे सदस्यों को प्रभावित करते हों विशेषतया भविष्य की योजनाओं से संबंधित समस्याओं, नीति विषय एवं अन्य संबंधित मामले।

(3) उद्योगों में रोजगार के इच्छुक सदस्यों तथा होने वाले नियोक्ताओं दोनों के हित में रोजगार सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करें।

(4) सदस्यों के लिये उद्योगों में रोजगार के नये स्रोतों की खोज तथा विकास कार्य करना। इस समिति में उद्योगों में लगे हैं महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं।

समिति के एक निर्णय के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व विदेशों में रोजगार के अवसरों के संबंध में सदस्यों का मार्गदर्शन करने हेतु इन्स्टीट्यूट के जर्नल में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई। नवंबर 1985 के जर्नल में अध्यक्ष के पेज पर "इन्स्टीट्यूट और उद्योगों में लगे हुये सदस्यों के बीच के सम्बन्ध में सुधार" के ऊपर सदस्यों से अनेक विचार एवं सुझाव प्राप्त हुये। इन सदस्यों से प्राप्त विचारों एवं सुझावों पर अमल किया जा रहा है। समिति ने निर्णय लिया है कि हर एक क्षेत्रीय परिषद अपने अपने क्षेत्रों में उद्योगों में लगे सदस्यों के मामलों पर विचार करने के लिये "उद्योगों में लगे सदस्यों के लिये समिति" का गठन करेगी।

(सी) अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

13 से 16 फरवरी 1986 में सूरजकुण्ड, हरियाणा में उद्योगों में लगे वित्त एवं एकाउन्ट्स अधिशासियों के लिये एक रेजिडेंशियल कोर्स का आयोजन किया गया।

(डी) आन्तरिक आडिट

(1) आन्तरिक आडिट का कार्य तथा आन्तरिक आडिटर के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्सों की भूमिका को बढ़ाना और आन्तरिक आडिट से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिये "आन्तरिक आडिट समिति" का गठन किया गया है।

(2) 6 और 7 सितम्बर 1986 को मद्रास में आन्तरिक आडिट के ऊपर अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में आन्तरिक आडिटर कार्य के बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया गया तथा आन्तरिक आडिटर की बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अधिवेशन में 12 पेपरों के जरिये चार सत्रों में आन्तरिक आडिटिंग के अनेक पहलुओं पर बहस हुई।

(ई) सदस्यों के लिये व्यावसायिक अवसरों पर प्रकाशन

उपर्युक्त प्रकाशन के पहले संस्करण के बाद से हुए अनेक परिवर्तनों को मध्य नजर रखते हुये इसे सदस्यों के प्रयोग के लिये अब संशोधित किया जा चुका है। इस प्रकाशन की एक कापी सभी नये सदस्यों को निःशुल्क दी जा रही है।

(एफ) विस्तृत फार्म की आडिट रिपोर्ट का विशेष ध्यान देते हुये बैंक आडिट पर सेमीनार

समिति द्वारा किये गये अनुरोध के उपलक्ष में क्षेत्रीय परिषदों ने अपने क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर विस्तृत फार्म की आडिट रिपोर्ट को विशेष ध्यान देते हुये बैंक आडिटर पर तकनीकी सेमीनार आयोजित किये गये। इस तरह 40 से भी अधिक सेमीनारों का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य के लिये प्रधान कार्यालय में सामान्य बैंक ग्राउन्ड सामग्री अनेक क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं में बांटा गया।

(जी) बैंकों का आन्तरिक आडिट

सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को उन बैंकों तथा उनकी शाखाओं का एकीकृत तथा आन्तरिक आडिट का कार्य करने के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता पर बल डालते हुए एक ज्ञापन दिया गया। इस अनुरोध के सदर्भ में सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि वे इस उद्देश्य के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इस आडिट कार्य को निर्विघ्नता तथा पूर्ण रूप से करने के उद्देश्य से सदस्यों की सहायता के लिये समिति ने "बैंकों का आन्तरिक आडिट" के नाम से एक मार्गदर्शक नोट तैयार करने का फैसला किया है।

(एच) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज का आडिट की व्यवस्था के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन

समिति के निवेदन पर राज्यों की राजधानियों में स्थित क्षेत्रीय परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं ने अपने अपने राज्य के संबंधित अधिकारियों को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज के आडिट की व्यवस्था के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन के लिये ज्ञापन दिये हैं। परिषद के सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले का अनुसरण कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित मुद्दों पर आदेश जारी कर दिये हैं।

(ए) ऐसी संस्थाएं जहां आडिट कार्य पिछड़ा हुआ है, वहां जिला कोआपरेटिव आडिट अधिकारी इस कार्य को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को देगा। (बी) कोआपरेटिव चीनी कारखानों का आन्तरिक आडिट का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सौंपना और (सी) राज्य स्तर की समिति का गठन जिसमें एक प्रतिनिधि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा।

(आई) आयात और निर्यात प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शन

आयात-निर्यात नीति तथा आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी 1985-86 तक की आयात-निर्यात विधि नामक हैन्ड बुक में अनेक फार्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं। समिति सदस्यों की सहायता के लिए एक मार्गदर्शक नोट निकालने का प्रयत्न कर रही है जो कि सदस्यों को अधिकारियों द्वारा निश्चित सूचनाओं को सत्यापित करते समय अपना कर्तव्य निभाने में सहायक होगा।

(जे) सेल्फ रेगुलेटरी तरीकों को आवश्यक बनाना

इन्स्टीट्यूट के सदस्यों में व्यावसायिक कार्य का बराबर बटवारा होने के उद्देश्य से परिषद ने समय-समय पर अनेक सेल्फ रेगुलेटरी तरीके जारी किये हैं। सेल्फ रेगुलेटरी तरीकों का पूरा सार जनवरी 1985 के "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" में प्रकाशित की जा चुकी है। परिषद ने अपनी 118वीं बैठक में जो कि अप्रैल, 1986 में हुई, निश्चय किया है कि सेल्फ रेगुलेटरी मीजर्स को आवश्यक किया जाए। इस निर्णय को किस ढंग से लागू किया जाए यह अभी विचाराधीन है।

3.6 कम्पनी लॉ समिति

(ए) सेमीनार

टैक्सेसन एवं कम्पनी लॉ के ऊपर 18वीं अखिल भारतीय सेमीनार संयुक्त रूप में टैक्सेसन एवं कम्पनी लॉ समिति द्वारा 11 से 13 अप्रैल 1986 को बम्बई में हुआ। (पूरे विवरण के लिये पैरा 3.7 (ए) देखिये)

(बी) कम्पनी प्रोस्पैक्टस रिपोर्ट के ऊपर मार्गदर्शक नोट

समिति ने "रिपोर्टस इन कम्पनी प्रोस्पैक्टस" के ऊपर एक मार्गदर्शक नोट जारी किया है जिसकी प्रतिलिपियां बिक्री के लिये उपलब्ध है। यह नोट हमारे उन सदस्यों की सहायता करता है जिन्हें वित्तीय मामलों मे अनेक रिपोर्ट देने को कहा जाता है।

(सी) कम्पनीज एक्ट के अनुभाग 293-ए के ऊपर मार्गदर्शक नोट

कम्पनीज एक्ट 1956 के अनुभाग 293-ए मे किये गये विस्तृत संशोधनों को मद्दे नजर रखते हुये समिति ने कम्पनीज एक्ट के अनुभाग 293-ए पर एक नया संशोधित संस्करण प्रकाशित किया।

(डी) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स वित्त एवं एकाउन्ट्स विभाग के प्रधान के रूप में

नवम्बर, 1985 मे सचिव, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें सुझाव दिया गया है कि कम्पनीज एक्ट 1956 मे संशोधन करके यह व्यवस्था की जाए कि ऐसी कम्पनियां जो स्टाक एक्सचेन्ज में पंजीकृत हो तथा जिनकी पेड-अप हिस्सा पूंजी 50 लाख या उससे अधिक हो, उनका वित्त या तथा लेखा विभाग का प्रधान अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। यह ज्ञापन कम्पनी कार्य विभाग के विचाराधीन है।

(ई) कम्पनियो की (जमा-स्वीकृत) नियम, 1975

समय-समय पर एक के बाद एक जारी किये गये अनेक सर्कुलर तथा संशोधन नियम 1975 के पास होने पर समिति ने कम्पनियों (जमा-स्वीकृति) नियम, 1975 पर नोट को संशोधित किया है। यह संशोधित संस्करण प्रकाशनाधीन है।

(एफ) कम्पनीज एक्ट के अनुभाग 309 के लिये सी.ए. की योग्यता की मान्यता।

कम्पनी कार्य विभाग को एक और ज्ञापन दिया गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि प्रेक्टिस कर रहे एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की योग्यता को कम्पनीज एक्ट, 1956 के अनुभाग 309 और अन्य संबंधित व्यवसाओ के लिये उचित योग्यता का सामान्य दर्जा दिया जाए।

(जी) कम्पनी लॉ के ऊपर सरकार से वार्ता

समिति ने कम्पनी लॉ के अनेक मामलो पर अपने विचार दिये तथा सरकार के साथ वार्ता जारी है।

3.7 कराधान समिति

(ए) सेमीनार एवं रेजिडेन्सियल कोर्स

बम्बई के ताज महल होटल में 11 से 13 अप्रेल 1986 को इंस्टीट्यूट की कराधान एवं कम्पनी लॉ समिति ने संयुक्त रूप से कराधान एवं कम्पनी लॉ पर 18वीं अखिल भारतीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इसका विषय "कराधान एवं संयुक्त कानून" नये दृश्य" था।

बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस.के. देसाई ने सेमीनार का उद्घाटन किया। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री पी. ए. मायर ने पहले सत्र की अध्यक्षता की। सेमीनार मे छः तकनीकी सत्र थे — जिनमें से चार कराधान को समर्पित तथा दो कम्पनी लॉ को समर्पित थे। छः तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता क्रमशः सर्वश्री सी.के. टिक्कू वाई.एच. मालेगम, पी.एम. नारियलवाला, बी.एम. मेहता, बी.एल. कावरा एवं दादी इंजीनियर ने की।

तीसरे तकनीकी सत्र में "वर्तमान आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओ की भूमिका" के विषय पर श्री एन. वाघुल, अध्यक्ष, आई.सी.आई.सी.आई. ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। चौथे तकनीकी सत्र में श्री पी.एम. नारियलवाला ने "फिसकल स्ट्रेटेजी फार इकोनोमिक ग्रोथ" के विषय पर प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। पांचवें तकनीकी सत्र मे "एक्सपेन्डीचर टैक्स" के ऊपर श्री प्रेम शंकर झा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधियों को उनका आलेख पढ़ कर सुनाया गया।

सेमीनार ने तेरह तकनीकी विषयों पर विचार किया गया।

आई.सी.ए. के अध्यक्ष श्री एन.एन. गोईनुरिया ने समापन भाषण दिया। सेमीनार में लगभग 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

(ii) 16 से 19 मई, 1986 को काठमांडू के होटल ब्ल्यू स्टार में नवां रेजिडेन्सियल कोर्स कराधान पर हुआ। देश के विभिन्न भागों के 52 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया।

(बी) केन्द्रीय उत्पादन एवं बहि शुल्क एक्ट

केन्द्रीय उत्पादन एवं बहि शुल्क एक्ट का रेशनेलाइजेशन एवं सरलीकरण हेतु वित्त मंत्री, सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एण्ड कस्टम के अध्यक्ष एवं सदस्य और वित्त सचिव को एक ज्ञापन दिया।

(सी) केन्द्रीय बजट

पहले के अनुसार वित्त मंत्री एवं दूसरे अधिकारियों को बजट से पहले और बजट के बाद ज्ञापन दिये गये। बजट से पहले के ज्ञापन में लोंग टर्म फिस्कल पालिसी के ऊपर इंस्टीट्यूट के सुझाव भी थे। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ने सितम्बर 1985 में लोंग टर्म फिस्कल पालिसी के निर्माण के ऊपर तथा मार्च, 1986 के वित्त विधेयक के ऊपर वित्त मंत्री के साथ विचार विमर्श में भाग लिया।

(डी) सम्पत्ति कर नियम

रिपोर्ट वर्ष के दरमियान सम्पत्ति कर नियमों के मसविदे के मूल्यांकन कर एक ज्ञापन दिया गया।

(ई) उत्तरोत्तर कराधान खर्च

उत्तरोत्तर कराधान के ऊपर खर्च पर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल को इंस्टीट्यूट ने इसकी प्रश्नावली के प्रतिवेदन में एक ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन तथा प्रतिवेदन को एक विशेष अध्ययन दल, जिसकी स्थापना इस उद्देश्य हेतु की गई थी, ने तैयार किया।

(एफ) वर्ष के दरमियान दिये गये अन्य ज्ञापन

(1) वित्त विधेयक 1985 के द्वारा एक के बाद एक परिवर्तन करने से टैक्स आडिट फार्म में संशोधन हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक ज्ञापन दिया गया। हमारे सुझावों को लागू किया गया है तथा फार्म में संशोधन किया जा चुका है।

(2) वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि एक स्वयं रोजगार प्राप्त व्यवसायी के बीमारी में इलाज का खर्च तथा बीमारी, मृत्यु एवं घटना को ढकने वाली बीमा पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि को घटाने के लिये आयकर अधिनियम में विशेष व्यवस्था की जाए। सरकार ने इस सुझाव को अंशतः मान लिया है तथा आयकर अधिनियम व्यवस्था की गई है कि बीमारी तथा बीमा के प्रीमियम की भुगतान की गई राशि को घटाया जाए।

(3) वित्त मंत्री को एक दूसरा ज्ञापन दिया गया जिसमें पंजीकृत फर्मों के ऊपर टैक्स लगाने से संबंधित विरोधी पहलुओं को ध्यान में लाया गया तथा इस व्यवस्था को व्यवसायी फर्मों के ऊपर लागू करने में होने वाले कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है तथा व्यवसायी साझेदारी फर्मों ने अलग से कर लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निवेदन किया गया है।

(4) इंस्टीट्यूट ने आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 3 में संशोधन के प्रस्ताव पर जिसमें पिछले वर्ष की समानता की व्यवस्था है पर अपने सुझाव सी.बी.डी.टी. को भेज दिये हैं।

(जी) प्रकाशन

समिति ने "टैक्स आडिट में मुद्दे" नाम प्रकाशन निकाला। यह प्रकाशन टैक्स आडिट से संबंधित 150 से भी अधिक मुद्दों का समाधान करता है।

(2) आयकर नियम के अनुभाग 14 ए.बी. के अधीन टैक्स आडिट पर मार्ग दर्शक नोट पुनर प्रकाशनाधीन है।

(एच) अनुभाग 44ए.बी. के अधीन बैंकों का टैक्स आडिट

बैंकों का टैक्स आडिट से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए तथा अनुभाग 44 ए बी के अधीन टैक्स आडिट के फोरमेट को पुर्नरूप देने के लिए "इंडियन बैंक एसोसियेशन" ने बैंकिंग उद्योग के प्रतिनिधियों और इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अध्ययन दल बनाया। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर विचार किया गया। जिसमें टैक्स आडिट शुल्क भी शामिल है तथा इससे संबंधित इसकी अनेक सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

(आई) आयकर अधिनियम के अनुभाग 80 जी से इंस्टीट्यूट को छूट

नई दिल्ली के आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम के अनुभाग 80 जी से छूटा का एक प्रमाण पत्र जारी किया है इसमें यह वर्णन किया गया है कि दानदाताओं के द्वारा इंस्टीट्यूट को दिया गया दान अनुभाग 80 जी से मुक्त होगा। यह प्रमाण-पत्र 22-10-85 से 30-11-86 तक वैध है।

3.8 अनवरत व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर समिति

(ए) सेमीनार और कोर्सिज

साल के दरमियान अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के अधीन अनेकों सेमीनारों और कोर्सो का आयोजन किया गया। पूर्ण विस्तार के लिए परिशिष्ट III देखिये।

(बी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का परिणाम

नवम्बर 1985 और मई 1986 में संशोधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी/कोरपोरेट मैनेजमेंट/टैक्स मैनेजमैंटकोर्स (भाग 1) की परीक्षाएं ली गई। नवम्बर 1985 और मई 1986 में ली गई परीक्षाओं का संक्षिप्त परिणाम परिशिष्ट-4 में दिया गया है।

(सी) योग्यता छात्रवृत्तियां

मैनेजमैंट एकाउन्टेंसी कोर्स के सहायता स्कीम के अन्तर्गत 5 विद्यार्थीयों को किताबें खरीदने के लिए प्रत्येक को 500 रुपये की योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(डी) प्रबन्ध और आर्थिक त्रैमासिक डाईजेस्ट

सितम्बर 1985 से प्रबन्ध एवं आर्थिक त्रैमासिक डाइजेस्ट (एक जनरल जिसमें अर्थशास्त्र एवं मैनेजमेंट में समकालिन मुद्दों पर छपे हुये महत्वपूर्ण लेखाको का सारांश शामिल है) के चार संस्करण निकाले गये। इस प्रकाशन को अब छापा जा रहा है तथा इस समय इसके 2,000 से अधिक सदस्य इसके ग्राहक है।

(ई) व्यवहारिक प्रशिक्षण/मैक (एम. ए. सी.) में उत्तीर्ण

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भाग 2 के अन्तर्गत व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है।

(1) मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कोर्स—12

(2) कोरपोरेट मैनेजमेंट कोर्स—1

(3) टैक्स मैणेजमेंट कोर्स—1

निम्नलिखित सदस्यों ने मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर योग्यता कोर्स के दोनों भागों को पूरा कर लिया है।

(1) श्री एस. वेंकटेशन (सदस्य संख्या 9139)

(2) श्री एन. एस. रामाचन्द्रन (सदस्य संख्या 18070)

(3) श्री जे. राजागोपालन (सदस्य संख्या 18713)

(4) श्री आर. दुर्गादास (सदस्य संख्या 20755)

(एफ) कम्प्यूटर केन्द्र

सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिये अलग ढंग के कोर्सों की व्यवस्था के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों में आन्तरिक कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। उचित ढंग से प्रशिक्षण देने हेतु एक चार श्रेणी का प्रशिक्षण कार्यक्रम की खोज की है। मद्रास कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र ने फरवरी के अंतिम सप्ताह से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सदस्यो एवं विद्यार्थियो के लिये अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस केन्द्र से हमें बहुत ही उत्साहवर्धक अनुभव प्राप्त हुये। कलकत्ता में कम्प्यूटर केन्द्र ने 3 सितम्बर 1986 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। बम्बई, दिल्ली और कानपुर में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाये जा रहे है।

(जी) उच्च योग्यता पाठ्यक्रमों पर प्रकाशन

"उच्च योग्यता पाठ्यक्रमों—मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी, कोरपोरेट मैनेजमेंट और टैक्स मैनेजमेन्ट नामक एक प्रकाशन तैयार किया गया है। यह प्रकाशन सदस्यों को विशिष्टीकरण के प्रत्यक्ष प्रमाणों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। प्रकाशन में इस पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों, किताबों की सूचियों को पाठ्यक्रम तथा योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह सदस्यों द्वारा जमा किये जाने वाले औपचारिक वार्तालाप तथा संग्रह के प्रकृति पर विस्तार से जानकारी देता है। यह प्रकाशन अनवरत शिक्षा कार्यक्रम और कम्प्यूटर कोर्स के बारे में भी जानकारी देता है।

3.9 दक्ष सलाहकार समिति

(1) पिछली रिपोर्ट सितम्बर 1985 से समिति ने 43 प्रश्न प्राप्त किये, उनमें से 30 का उत्तर दे दिया है। 12 प्रश्न विचाराधीन हैं तथा एक प्रश्न अभी रुकी हुई है क्योंकि प्रश्नकर्ता से कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी है।

(2) "रायों का संग्रह"—वोल्यूम 5 में समिति के विचार सितम्बर 1984 से सितम्बर 1985 तक सम्मिलित हैं तथा इसके साथ पहिले के चारों वोल्यूम से में निहित रायो का विषयानुसार वर्णमाला क्रम में परिशिष्ट है। इसे बिक्री के लिये जारी कर दिया है।

(3) समिति के महत्वपूर्ण विचारों का संक्षिप्त सारांश "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" के प्रत्येक संस्करण में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

3.10 आचार संहिता स्तर समिति

समिति ने इंस्टीट्यूट के सदस्यों को प्रभावित करने वाले आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जैसे कि :—

(ए) "दूसरे दुराचरण" को कौन बनाते है के ऊपर मार्ग दर्शक नोट

समिति द्वारा तैयार किये गये दर्शक नोट को परिषद् ने दिसम्बर 1985 में हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी। इस मार्ग दर्शक नोट को तैयार करने की आवश्यकता तब हुई जबकि यह निश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा था कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम के अनुभाग 21 और 22 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट के सदस्यों के कौन से कार्य तथा गलतियों "अन्य दुराचार" को जन्म देते हैं। मार्गदर्शक नोट में "अन्य दुराचार" के क्षेत्रों जिससे कि एक सदस्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है का वर्णन किया गया है। इस मार्गदर्शक नोट को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के जून 1986 के संस्करण में छापा गया था।

(बी) प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेन्टो द्वारा अपने एकाउन्ट्स की किताबों को अनिवार्य रूप से रखना।

समिति की सिफारिशों के आधार पर परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 के दूसरी अनुसूची के भाग 2 क्लॉज (2) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रैक्टिस कर रहा सदस्य व्यवसायिक दुराचार

का दोषी माना जायेगा यदि वह या वह कोई एकाउन्टेन्ट की उस फर्म का जिसमें वह भागीदार हो, अपने या इस फर्म के व्यावसायिक प्रेक्टिस से संबंधित एकाउन्ट्स की उचित किताबों को जिसमें कि एक कैश बुक तथा एक लेजर शामिल है रखने या बनाए रखने में असमर्थ रहता हो।

3.11 विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

(ए) पी. एच. डी. करने के लिये सी. ए. पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब तक 24 विश्वविद्यालयों तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने पी. एच. डी. को कोर्स करने हेतु सी. ए. योग्यता को मान्यता दे दी है।

(बी) बी. कॉम. कोर्स के लिये आदर्श पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति ने भारतीय विश्वविद्यालयों के बी. कॉम. कोर्स के लिये एक आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किया है तथा देश के बहुत से विश्वविद्यालयों को इसे वितरित किया गया है। समिति विश्वविद्यालयों द्वारा इस आदर्श पाठ्यक्रम को स्वीकार कराने के लिये प्रयत्न कर रही है।

(सी) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में भविष्य

समिति का पहला प्रकाशन "प्रोफाईल ऑफ ऐ प्रोफेशन" का संशोधन कार्य पूर्ण हो गया है। संशोधित प्रकाशन का नाम "केरियर इन ऐ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" रखा गया है। इसका शीघ्र ही जारी होने की आशा है।

(डी) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा एकाउन्टेन्सी तथा संबंधित विषयों का पाठन कार्य

इस मामले को समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ लिया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। मामले पर समिति द्वारा फिर से विचार किया जायेगा।

(ई) बी. कॉम. परीक्षाओं में एकाउन्टेन्सी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा पुरस्कार से अलंकृत करने हेतु अनुदान

साल के दरमियान, अनुदान देने के लिये राशि जो कि पहले से स्वीकृत थी का वितरण निम्न प्रकार से किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (रु. 5,000/-), रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (रु. 5,000/-), उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग (रु. 3,000/-) और उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (रु. 10,000/-), उसमानिया विश्वविद्यालय के लिये 5000 रुपया स्थानीय सदस्यों द्वारा इकट्ठा किया गया।

(एफ) सेमीनार

फरवरी 1986 में जोधपुर में जोधपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से एक सेमीनार का आयोजन किया गया। 1986-87 में समिति के साथ संयुक्त रूप से सेमीनार का आयोजन करने हेतु पूना विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, तथा बंगलौर विश्वविद्यालय ने अपनी सहमति दे दी है।

(जी) अनेक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को इंस्टीट्यूट को जरनल उपलब्ध कराना

समिति इस बात की कोशिश कर रही है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को इंस्टीट्यूट का जनरल मिल सके।

3.12 अवैधिक रूप से हटाये गये आडिटरों के मामलों पर विचार हेतु समिति

साल के दरमियान परिषद् द्वारा निश्चित किये गये समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत समिति ने इस तरह के 2 मामलों पर विचार किया। जिनके परिणाम के आधार पर समिति के कार्य क्षेत्र को विस्तार के प्रश्न पर परिषद् का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

4 अन्य मामले

4.1 जन सम्पर्क समिति

(1) व्यवसाय की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने तथा इंस्टीट्यूट के कार्यों को आम जनता को अच्छी तरह से समझाने हेतु जन-सम्पर्क समिति ने अनेक कार्यक्रमों को अपनाया।

(2) 31 मार्च 1985 को समाप्त हुये वर्ष की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट का एक सारांश बहुत सारे प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छापा गया।

(3) आई. सी. ए. आई. का समाचार पत्र के माध्यम से परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके द्वारा बनाई गई नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसे संसद सदस्यों, अधिकारियों को सदस्यों, विश्वविद्यालयों, अनेक सरकारी विभागों तथा दूसरी अन्य संस्थाओं को वितरित किया जाता है। अब तक 10 ऐसे अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(4) "चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और समाज" नामक प्रकाशन को संशोधित किया गया है तथा दूसरी बार छापा गया है।

(5) जब कभी भी जरूरत महसूस हुई समय-समय पर समाचार पत्रों में छापे हुये गलत अफवाहों को सही करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किये गये तथा परिषद् की नीतियों पर प्रकाश डाला गया।

(6) काउन्टिंग स्टेन्डर्डस के एक रूप से अपनाने के ऊपर इंस्टीट्यूट के विचारों को अपनाने, पाठ्यक्रम को दोहराने तथा अन्य मामलों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट के विचारों को अनेक समाचार पत्रों ने उचित स्थान दिया।

(7) स्थानीय पत्रों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनेक क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं की यात्राओं का अपने दैनिक समाचार पत्रों में उचित वर्णन किया।

(8) सामान्य महत्व के मामलों तथा व्यवसाय से संबंधित मामलों पर इंस्टीट्यूट के विचारों को पत्र विज्ञप्तियों के द्वारा समझाया गया।

4.2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों का अखिल भारतीय सम्मेलन

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों का अखिल भारतीय सम्मेलन हर तीन साल के बाद देश के विभिन्न भागों में आयोजित किया जाता है। इस बार सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेदारी पूर्वी क्षेत्र की है। परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों का ग्यारहवां अखिल भारतीय सम्मेलन 18, 19, 20 और 21 दिसम्बर 1986 को कलकत्ता में आयोजित करने का निश्चय किया है। सम्मेलन का आयोजन करने के लिए श्री पी. ए. मायर अध्यक्ष के सभापतित्व में एक सम्मेलन समिति नियुक्त की गई है।

इस सम्मेलन का विषय "नब्बे की मांगें" (चेलेन्जेज ऑफ नाइनटीज) है। इस सम्मेलन में तीन तीन पेपरों वाले चार प्लेनरी सेशन होंगे जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है :—

प्लेनरी सेशन-I —मेजरमैंट एवं कम्यूनिकेशन

1. स्टेण्डर्ड सेटिंग एवं इम्पलीमेंन्टेशन
2. सिस्टम अप्रोच टू आडिटिंग
3. प्रोबेल्मस एण्ड क्योर ओफ इण्डस्ट्रीयल सिकनेस

प्लेनरी सेशन II—फिसकल पॉलिसी एण्ड कोरपोरेट लेजिसलेशन

1. मोडवेट —कनसैप्ट एण्ड अप्लीकेसन
2. सिम्पलीफिकेशन एवं रानेलाइजेशन आफ डारेक्ट टैक्स लॉज-ए क्रिटिकल एपाराईजल।
3. लाइबीलीटीज ऑफ डाइरेक्टरस—रिसेन्ट ट्रेन्डस

प्लैनरी सैशन III—इमरजिंग रोल आफ एकाउन्टेन्ट्स इन मेनेजमेंट

1. ई. डी. पी. इज एन ऐड टू मेनेजमेंट

2. प्रोफिट मेनेजमेंट इन पब्लिक सैक्टर

3. कोरपोरेट फाईनेंसिंग—एवेन्यूज फार फण्ड रेजिंग

प्लेनरी सेशन IV—प्रोफेसनल डवलपमेंट

1. सोशाईटीज एक्सपैक्टेसन फ्रोम आडिटर्स

2. एकाउन्टिंग एजुकेसन एण्ड ट्रेनिंग

3. रीव्यू आफ कोड आफ कन्डक्ट

लेखापालों के दक्षिण एशियाई परिसंघ की सदस्य संस्थाओं को इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिये आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन समिति ने सम्मेलन के तिथियों के नजदीक साफा की इस की असैम्बली की बैठक कलकत्ता में करने का निमंत्रण भेजा है जिससे कि उसके सदस्य सम्मेलन में भाग ले सकें। इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। देश के अन्दर सहायक संस्थाओं के सदस्यों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट आफ कम्पनीज सैक्रेटरीज आफ इंडिया को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है। यह आशा की जा रही है कि लगभग 1200 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिये पंजीकरण शुल्क 500 रुपया तथा प्रतिनिधि के साथ आने वाले व्यक्ति के लिये 250 रुपये रखा गया है।

4.3 शिक्षा एवं प्रशिक्षण पुनरवलोकन समिति

परिषद् ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण का पुनरवलोकन हेतु एक समिति गठित की है जिससे कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के कार्य क्षेत्र के वातावरण में हुये परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सके तथा इंस्टीट्यूट के शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण में और सुधार करने की आवश्यकता पर विचार एकत्रित किये जा सकें। अध्यक्ष श्री पी. ए. नायर इस समिति के सभापति हैं।

समिति ने अनेकों श्रेणियों के प्रतिनिधियों जिनमें कि सदस्य, विद्यार्थी, शिक्षाविदों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सेवाओं का प्रयोग करने वाले शामिल हैं को विस्तृत प्रश्नावली जारी की है। इन प्रश्नावलियों पर प्राप्त उत्तरों को जांचा जा रहा है। समिति ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स व्यवसाय से संबंधित समाज के अनेक वर्गों से मौखिक प्रमाण एकत्र करने हेतु देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी बैठकें की। एकत्रित किये गये प्रमाणों का समिति जांच कर रही है तथा इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र ही परिषद् को प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

4.4 इंस्टीट्यूट का जनरल

(i) जनरल "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" सदस्यों को निःशुल्क तथा आर्टिकल एवं आडिटकल्र्क क्लर्क और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे कामर्स के छात्रों को 15 रु. वार्षिक रियायती दर पर भेजा जा रहा है। अन्य लोगों को 50 रुपया वार्षिक दर पर जनरल की प्रतिलिपियां भेजी जा रही हैं।

(ii) जनरल का वितरण 54,500 प्रतिलिपियों तक पहुंच गया है।

(iii) जनरल के प्रकाशन में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गये। इसकी सामग्री तथा बाह्य पृष्ठ तथा अन्य क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। छापने की प्रक्रिया को लैटरप्रेस से आफसेट में बदल दिया है। जरनल को आम जनता विद्यार्थियों तथा सदस्यों में लोकप्रिय बनाने हेतु अनेक सम्पादकीय सुधार भी किये गये।

(iv) सम्पादकीय बोर्ड ने जरनल के वाल्यूम 33 (जुलाई 1984 से जून 1985 तक) तथा 34 (जुलाई 1985 से जून 1986) तक में छपे सर्वोत्तम लेखों को निम्नलिखित पुरस्कार दिये हैं।

1984-85

मुख्य भाग

1500 रुपये का प्रथम पुरस्कार	अक्तूबर 1984 संस्करण में छपे श्री आर. के. शर्मा द्वारा लिखित "पी. ए. रेशियों एनालिसिस एण्ड इनवैस्टमेंट डीसीजन" के लेख को।
1000 रुपये का दूसरा पुरस्कार	अगस्त 1984 संस्करण में छपे श्री डी. एन. पाण्डे द्वारा लिखित "टैक्स ट्रीटमेंट आफ, स्पेकुलैटिव ट्रानजेक्सन्स" के लेख को।
500 रुपये का तीसरा पुरस्कार	जनवरी 1985 संस्करण में छपे श्री पी. सी. जैन द्वारा लिखित "इफेक्टिव मेनेजमेंट आडिट रिपोर्ट" के लेख को।

विद्यार्थी भाग

500 रुपये का पुरस्कार	मार्च 1985 संस्करण में छपे श्री सतीश के. बागमर द्वारा लिखित "आडिटिंग दी कम्प्यूटराइज एकाउन्ट्स" के लेख को

1985-86

मुख्य भाग

1500 रुपये का प्रथम पुरस्कार	अगस्त 1985 संस्करण में छपे श्री एस. एम. घटपाण्डे द्वारा लिखित "फोर्म एण्ड कन्टेन्ट्स ऑफ अनक्वालिफाइड कम्पनी आडिट रिपोर्ट" के लेख को
1000 रुपये का दूसरा पुरस्कार	मई 1986 संस्करण में छपे श्री आर. ए. यादव द्वारा लिखित "वर्किंग कैपिटल मनेजमेंट ए. पैरामैट्रिक एप्रोच" के लेख को
500 रुपये का तीसरा पुरस्कार	जून 1986 संस्करण में छपे संयुक्त रूप से श्री जी. वेंकटाचलम और श्री डी. वर्कासिनामूर्थी द्वारा लिखित लेख "पब्लिक सैक्टर इन्टरप्राइजेज—एक्सटर्नल सोर्स आफ फाइनेंस" के लेख को

विद्यार्थी भाग

750 रुपये का प्रथम पुरस्कार	दिसम्बर 1985 संस्करण में छपे श्री अनिल महेश द्वारा लिखित लेख "कोस्ट इस्टीमेशन फंडामेंटल कानसेप्ट" के लेख को
500 रुपये का दूसरा पुरस्कार	अप्रैल 1986 में छपे श्री वी. एस. जोहरी द्वारा लिखित "सिस्टम ऐनालिसिस" लेख को

4.5 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियमों में परिवर्तन

(ए) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से वर्ष के दरमियान विनियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :—

1. 1-4-1986 से सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सदस्यता शुल्क में बढ़ोत्तरी।

2. अन्तिम परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम) को समाप्त करना तथा सूची "बी" में पैराग्राफ 10ए को जोड़ना जिसमें कि उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा का एक भाग पास कर लिया है या जिन्होंने किसी विशेष विषयों में छूट प्राप्त की है उनको नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समान विषयों में छूट देने की व्यवस्था की गई है।

3. सूची "बी" के पैराग्राफ 14 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन बंगलादेश को मान्यता देना

(बी) नये आने वाले रेगुलेशन्स जिसका आशय वर्तमान रेगुलेशन्स का सरलीकरण करना तथा प्रक्रिया संबंधी विलम्ब को कम करना है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से अति शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सी) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन्स पिछली बार सन् 1983 में 1-1-1983 तक के हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए छापा गया था। रेगुलेशन्स के छपने के बाद से बहुत सारे परिवर्तन हो गये हैं। 1-12-1985 तक हुए परिवर्तनों को सुधार पर्चियों के रूप में छापा गया है। ये अब बिक्री के लिये उपलब्ध हैं।

4.6 परिषद् की वार्षिक बैठक

इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस.सी. चक्रवर्ती के सभापतित्व में परिषद की 36वीं वार्षिक बैठक 16 सितम्बर 1986 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई। इस उत्सव में केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री ए.के. सेन मुख्य अतिथि थे। मंत्री महोदय ने उन कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को शील्ड और प्लैक्यू भेंट की जिन्होंने सर्वोच्च ढंग से प्रस्तुत एकाउन्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार जीता था। इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार तथा पदक प्रदान किये गये। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी.ए. नायर ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा।

4.7 पुस्तकालय

वर्ष के दरमियान नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय परिषद् की पुस्तकालय में 708 नई किताबें रखी गई जिनको मिलाकर पुस्तकों की कुल संख्या 20558 हो गई है। पुस्तकालय में बढ़ती हुई सुविधाओं का सदस्यों तथा विद्यार्थियों द्वारा पूरा उपयोग किया जा रहा है।

4.8 बाहरी निकायों में प्रतिनिधित्व

इंस्टीट्यूट अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक बाहरी निकायों में अपना प्रतिनिधित्व बनाये हुए हैं। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का पूरा विवरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है।

4.9 समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत सदस्य:

एकाउन्टिंग तथा वित्त के क्षेत्र में अपनी उच्चतर डिग्री अनुभव तथा ज्ञान के कारण इंस्टीट्यूट के अनेक सदस्य सार्वजनकि क्षेत्रों के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों जिनमें कानून बनाने वाली संस्थाएं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों शैक्षणिक संस्थाएं और स्थानीय प्राधिकरण शामिल है पर अपना स्थान बनाए हुए है।

4.10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बैठकें तथा शाखाओं की यात्रायें

पुनरवलोकन वर्ष के दरमियान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष केन्द्रीय मंत्रियों सरकारी विभाग के अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनेक विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों, चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्षों तथा इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों से भी मिले।

23 जनवरी 1986 को 1986-87 के बजट प्रस्तुत करने से पहले उद्योगपतियों सहित माननीय वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर हुई बैठक का विशेष वर्णन किया जाता है। अध्यक्ष ने माननीय वित्त मंत्री के साथ 21 मार्च 1986 को पोस्ट बजट विचार विमर्श में भी भाग लिया। 7 मार्च, 1986 को अध्यक्ष ने केन्द्रीय उद्योग मंत्री माननीय श्री एन.डी. तिवारी से उन्हें राष्ट्रीय कार्यों में व्यवसाय के योगदान से अवगत कराने हेतु भेंट की।

अप्रत्यक्ष करों के ढंग और नियमों में सुधार हेतु वित्तमंत्री द्वारा मांगे गये सुझावों के प्रतिवेदन में इंस्टीट्यूट में अपनी कराधान समिति के सभापतित्व की देखरेख में बम्बई में एक अध्ययन दल का गठन किया। केन्द्रीय आबकारी तथा बहिःशुल्क नियमों का राशनेलाइजेशन तथा सरलीकरण हेतु अलग-अलग ज्ञापन सरकार को दिये गये।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने समस्त क्षेत्रीय परिषदों तथा अनेक क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं का दौरा किया तथा सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक अवसरों तथा शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के मामलों पर विचार विमर्श किया।

4.11 चार्टर्ड एकउन्टेंट्स सहायता कोष

इंस्टीट्यूट के जरूरतमन्द सदस्यों तथा उनकी विधवाओं और बच्चों के शिक्षा तथा अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये दिसम्बर 1962 मे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स सहायता कोष की व्यवस्था की गई थी। इसकी स्थापना के बहुत सारे वर्षों के निकल जाने के बावजूद भी इसकी सदस्य संख्या तथा आय के साधन बहुत कम थे। 31-3-83 को कोष के 2112 सदस्य थे जिनमें 166 आजीवन सदस्य थे। "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के माध्यम से अध्यक्ष ने आजीवन सदस्य बनाने के लिए एक उल्लासजनक कार्यक्रम की शुरूआत की। बहुत सारे सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र लिखे गये। अध्यक्ष ने क्षेत्रीय परिषदों तथा इनकी शाखाओं की यात्राओं का लाभ उठाते हुए सदस्यों से आजीवन सदस्य बनाने के लिये निवेदन किया। यह उत्साहवर्धक है कि असर बहुत ही सन्तोषजनक रहा। आजीवन सदस्यों की संख्या जो कि 31-3-85 का 166 थी बढ़कर 1-9-1986 को 2718 हो गई।

वर्ष के दरमियान संकट मे फंसे सदस्यों तथा दिवंगत सदस्यों के परिवारों को 1,06,500 रुपये बांटे गये। कोष के आय मे वृद्धि होने से अब जरूरत मंद सदस्यों तथा उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करना संभव हो गया है।

कोष में 31-3-1986 को शेष राशि 6,66,221 रुपये थी जो कि 31-3-1985 को 2.17,471 थी। इस रिपोर्ट की तिथि के समय बकाया राशि 15,13,221.00 रुपये थी।

4.12 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मृति कोष

वर्ष 1985-86 के दरमियान सी.ए. का कोर्स कर रहे छात्रों को 100/- रुपये प्रति महीने की छः छात्रवृत्तियों प्रदान की गई। कोष की प्रबन्धक समिति ने छात्रवृत्तियो की संख्या को बढ़ाने का निश्चय किया है। इस साल 100/- रुपये प्रति महीने के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को 18 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इनका विवरण इस प्रकार है—पश्चिमी क्षेत्र–4, दक्षिणी क्षेत्र–4, पूर्वी क्षेत्र–4, केन्द्रीय क्षेत्र–3, और उत्तरी क्षेत्र–3। 1986-87 में सी.ए. कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को इस कोर्ष में से 25 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है।

31-3-1986 को कोष का सदस्य संख्या 161 थी। 31-3-1986 को कोष में बकाया राशि 55740 रु. 10 पैसे थी जोकि 31-3-1985 को 59594 रु. 90 पैसे थी।

4.13 भूतपूर्व डायरेक्टर आफ स्टडीज श्री टी.एस. ग्रेवाल का निधन

प्रो. टी.एस. ग्रेवाल जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व डायरेक्टर आफ स्टडीज थे, का 14-12-1985 को निधन हो गया।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता

साल के दरमियान 4387 नये सदस्य पंजीकृत किये गये। परिणामस्वरूप 31-3-1986 को सदस्य संख्या 40278 हो गई। साल के दरमियान पिछले साल में पंजीकृत 1145 फैलो सदस्यों की तुलना में 1330 एसोसियेट सदस्यों को फैलो बनाया गया। सदस्यता के वर्गीकरण का विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

5.2 ट्रेड/फर्म के नामों की स्वीकृति हेतु गाइडलाइन्स

परिषद् ने ट्रेड और फर्म नाम के पंजीकरण के लिये कुछ गाइड लाइनों का निर्माण किया जो कि "दि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट" के फरवरी 1984 संस्करण में छपे थे। सदस्यों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों को दूर करने के के लिए परिषद ने इन गाइड लाइनों को और भी उदार बना दिया। संशोधित गाइड लाइनों को "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्" के सितम्बर 1986 संस्करण मे छापा गया है।

5.3 सदस्यता शुल्क में बढ़ोत्तरी

जरनल के नवम्बर 1985 के संस्करण में इंस्टीटयूट के सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले वार्षिक शुल्क में बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव सुझावों हेतु

प्रकाशित किया गया। प्राप्त सुझावों पर विचार करने उपरान्त परिषद् ने शुल्क में बढ़ोतरी के मूल प्रस्ताव को निम्न प्रकार से संशोधित करने का निश्चय किया।

	पहले का शुल्क	शुल्क में बढ़ोतरी	
		मूल रूप से प्रस्तावित	अन्त में निश्चित
एसोसियेट	रुपये	रुपये	रुपये
सदस्यता शुल्क	80	120	100
फैलो सदस्यता शुल्क	200	300	275
सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस शुल्क	175	300	275

परिषद् ने शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को इस समय नेशनल अकादमी आफ ऐकाउन्टिंग की स्थापना तथा इसके लिये भवन निर्माण के प्रस्तावों से अलग करने का निश्चय किया है। जब कभी अकादमी का निर्माण कार्य शुरू होगा कैपिटल कोस्ट के लिए उस विशेष वर्ष में सदस्यता शुल्क में उचित बढ़ोतरी करके एक समय लेवी लगाई जायेगी।

सदस्यों द्वारा दी जाने वाली शुल्क में उपरोक्त बढ़ोतरी को केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है तथा इसे 1-4-1986 से लागू कर दिया गया है।

5.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही.—अनुभाग 21 के अंतर्गत "शिकायतों" और "सूचनाओं" के निम्नलिखित मामले निपटाए गए :

साल के दरमियान (1-4-85 से 5-7-86 तक) परिषद् के समक्ष रखे गए मामलों की संख्या		97
साल के दरमियान अनुशासनात्मक समिति को जांच पड़ताल के लिए सौंपे गए मामलों की संख्या :		
(अ) 1-4-85 से 16-9-85 तक	23	40
(ब) 17-9-85 से जुलाई 1986 की परिषद की बैठक तक	17	
साल के दरमियान (17-9-85 से इस रिपोर्ट की तिथि तक) अनुशासनात्मक समिति द्वारा सुने गए मामलों की संख्या		47
अनुशासनात्मक समिति द्वारा सुनवाई के लिए बचे हुए मामलों की संख्या (उन मामलों को सम्मिलित करते हुए जो कि न्यायालय के आदेशों के कारण स्थगित किए गए हैं)		14

बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई एक याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व परिषद् प्रतिवादी को सुनने का अवसर दे कि समिति की रिपोर्ट को स्वीकार क्यों न कर लिया जाए। इंस्टीट्यूट ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की जिस पर फरवरी 1986 में सुनवाई हुई तथा निर्णय को सुरक्षित रखा गया है। उपरोक्त याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के कार्य को परिषद् ने स्थगित रखा है। इस कारण से 31-8-1986 को परिषद् के पास विचार हेतु अनुशासनात्मक समिति की 99 रिपोर्ट शेष पड़ी है। अनुशासनात्मक मामलों का संक्षिप्त विवरण जहां चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस अधिनियम के अनुभाग 21(6) के अन्तर्गत कार्यवाहियां की गई हैं (पिछली रिपोर्ट की तिथि से) परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

5.5 विलंगत सदस्य

25 जुलाई 1986 में श्री डी.एस. भट्ट, 21 जनवरी 1986 को श्री जे.एन. शर्मा तथा 6 अगस्त 1986 को श्री एस.डी. नागोलवाला जो कि परिषद् के भूतपूर्व सदस्य है कि मृत्यु पर परिषद् गहरा दुख व्यक्त करती है।

परिषद् उन सदस्यों की मृत्यु पर भी गहरा दुख व्यक्त करती है जिनका उल्लेख परिशिष्ट 8 में किया गया है।

6. आर्टीकलड एवं आडिट क्लर्क

6.1 पंजीकरण

31 मार्च 1986 तक पंजीकृत किये गये आर्टीकलड एवं आडिट क्लर्कों की संख्या, इसके पहले साल की संख्या निम्न प्रकार से है:—

	1984-85	1985-86
आर्टीकलड एवं आडिट क्लर्क	9256	10666

6.2 आर्टीकलड एवं आडिट क्लर्कों को रोजगार संबन्धी सहायता

उन सभी, विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी आर्टीकलड एवं आडिट सेवा की अवधि पूरी कर ली है और इंस्टीट्यूट को इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर ली है रोजगार संबन्धी सहायता लगातार दी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक रोजगार रजिस्टर बनाया गया है। जो छात्र उपरोक्त सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं और शर्तों को पूरा करते हैं वे इन्स्टीट्यूट में जमा करने के लिए व्यक्तिगत विवरणों का फार्म के लिए इंस्टीट्यूट के संबन्धित सहायक सचिव को या तो खुद मिल सकता है या पत्र लिख सकता है।

6.3 बोर्ड आफ स्टडीज

(ए) 31 मार्च 1986 तथा 31 मार्च 1985 को पंजीकृत किये गये विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

कोर्स	1984-85	1985-86
इन्टरमीडिएट	9256	10666
फाइनल	3513	6202

31 मार्च 1986 को कुल विद्यार्थियों की संख्या 44284 थी जो कि 31 मार्च 1985 को 40052 थी। इस प्रकार के पंजीकरण का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 9 में दिया गया है।

(बी) इन्टरमीडिएट तथा फाइनल कोर्स से विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई गई अरिएन्टेशनरी कक्षाएं पहले की भांति क्षेत्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में लगाई गई।

(सी) 31 मार्च 1986 को समाप्त हुए साल के दरमियान निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की गई—

(i) योग्यता छात्रवृत्तियां

75 रुपये प्रति महीने की दर से 10 विद्यार्थियों को अधिकतम 18 महीने के लिये

75 रुपये प्रति महीने की दर से 4 विद्यार्थियों को अधिकतम 12 महीने के लिए

(ii) योग्यता कम जरूरत पर आधारित छात्रवृत्तियां

75 रु. महीने की दर से 2 छात्रों को अधिकतम 12 महीने के लिए

(iii) जरूरत पर आधारित छात्रवृत्तियां:—50 रुपये प्रति महीने की दर से 89 विद्यार्थियों को अधिकतम 30 महीने के लिए

(iv) आंशिक शुल्क मुक्ति अर्थात 46 विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की दूसरी किस्त में छूट देना।

(v) एस. वैश्य यादगार छात्रवृत्ति

100 रुपये प्रति महीने की दर से 2 विद्यार्थियों को एक साल की अवधि के लिए।

(डी) सजेस्टेड आनसर के वोल्यूम को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए विद्यार्थियों के लिए देश के 33 स्थानों में इनकी बिक्री का प्रबन्ध किया है ।

(ई) कुछ महत्वपूर्ण विकास

(1) फाइनल कोर्स के विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाईयों को हटाने के उद्देश्य से मई 1986 की परीक्षा से फाइनल परीक्षा में प्रवेश के लिए बोर्ड आफ स्टडीज से योग्यता प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की शर्त को समाप्त कर दिया है ।

(2) बोर्ड द्वारा इन्टरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए टैस्ट पेपर योजना का पुनर्वलोकन किया गया अब एक विद्यार्थी को जो कि सम्बे टैस्ट योजना के अन्तर्गत आता है योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एकाउन्टेन्सी, आडिटिंग, कास्टिंग, इनकम टैक्स और लॉ के ऊपर 9 प्रश्न पत्र जमा कराने होते हैं तथा उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। जो विद्यार्थी डाक द्वारा प्रश्न पत्र जमा कराने की योजना के अन्तर्गत आते हैं उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन्टरमीडिएट कोर्स के सभी विषयों पर 16 प्रश्न पत्र जमा कराने होते हैं तथा उनमें उत्तीर्ण होना पड़ता है ।

(3) बोर्ड आफ स्टडीज के एक निर्णय के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने इन्टरमीडिएट परीक्षा के दोनों समूहों में से (या तो एक ही बार या अलग अलग बार में) प्रवेश लिया है और जिन्होंने अपनी व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या अगले 5 महीने के अन्दर पूरे करने वाले हो निवेदन करने पर फाइनल कोर्स के लिए अध्ययन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि वह इन्टरमीडिएट परीक्षा पास कर लेने के तुरन्त बाद फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर सके ।

(एफ) यद्यपि बोर्ड ने प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए कोई पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं दिया है इस ने विद्यार्थियों के हित में अध्ययन सामग्री तैयार की है इस सामग्री के पूरे सैट की कीमत 100 रुपया है ।

(जी) आयकर और कम्पनी मामलों और करैन्ट रीडिंग के रूप में बोर्ड आफ स्टडीज का जनरल को लगातार योगदान दिया जा रहा है ।

(एच) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट और विद्यार्थियों के हित के लिए कार्यशील संचार के ऊपर बोर्ड आफ स्टडीज ने एक विशेष कोर्स तैयार किया है । इस कोर्स को बनाने और लागू करने का मुख्य उद्देश्य सदस्यों और विद्यार्थियों को उनके मौखिक और लिखित संचार की योग्यता में मदद दिलाना है जिससे कि वे अपने व्यवसाय कार्य में लोगों से बातचीत करने में, आम जनता से बोलने में, सामूहिक कार्य को संभालने में साक्षात्कार और परीक्षाओं इत्यादि में ज्यादा से ज्यादा कार्यशील हो सकें ।

यह कोर्स 6 सप्ताह की अवधि का है इससे सायंकाल के समय एक दिन में दो घंटे के हिसाब से सप्ताह में तीन दिन कक्षाओं का आयोजन किया जाता है । कोर्स का शुल्क 150 रुपये है ।

बोर्ड आफ स्टडीज ने इस प्रकार का पहला कोर्स फरवरी से अप्रैल 1986 में 21 सदस्यों के एक बैच के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया । दूसरा कोर्स 19 मई 1986 से 23 व्यक्तियों के बैच के लिए शुरू किया गया था ।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और अन्य शाखाओं के केन्द्रों में भी इस प्रकार के कोर्सों के आयोजन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

7. परीक्षाएं

देश के अनेक केन्द्रों में जून और दिसम्बर 1985 में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया गया । नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा नये एवं पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फाइनल परीक्षाएं मई एवं नवम्बर 1985 के पूरे भारत में अनेक केन्द्रों पर आयोजित की गई । परीक्षाओं में बैठे हुए तथा कथित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार का पूरा विवरण परिशिष्ट 100 में दिया गया है।

7.2 नये परीक्षा केन्द्र

1. बुवाई में भारतीय मूल के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवम्बर 1985 में इन्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षा के लिये बुवाई में एक परीक्षा केन्द्र खोला गया। इन परीक्षाओं का मई 1986 में भी बुवाई में आयोजन किया गया।

2. मई और नवम्बर 1986 की परीक्षाओं के लिये प्रयोग के तौर पर कालीकट में नया परीक्षा केन्द्र खोलने तथा भोपाल परीक्षा केन्द्र को पुनः शुरू करने का फैसला किया है। नवम्बर 1986 की परीक्षाओं के बाद इन केन्द्रों का जारी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि इन केन्द्रों से कम से कम 150 उम्मीदवार परीक्षा में बैठें या नहीं।

7.3 अन्तिम तिथि के बाद परीक्षा फार्मों को स्वीकार करना

नवम्बर 1985 की परीक्षाओं तक अन्तिम तिथि के बाद सी.ए. की परीक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाता था । डाक तथा अन्य कारणों से होने वाली देरी के कारण विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि मई 1986 से आरम्भ होने वाली परीक्षाओं के लिये प्रवेश का प्रार्थना पत्र अन्तिम तिथि से 15वें दिन तक 50 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किये जायेंगे ।

7.4 पुरस्कार और योग्यता प्रमाणपत्र

उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें मई और नवम्बर 1986 की परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किये गये परिशिष्ट II में दिया गया है ।

7.5 पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फाइनल परीक्षा को समाप्त करना

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट रेगुलेशन्स 1964 की सूची बी के अन्तर्गत फाइनल परीक्षाओं को मई 1986 की परीक्षाओं के बाद समाप्त कर दिया है । जो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फाइनल परीक्षा को पास नहीं कर सके उन्हें नवम्बर 86 से और आगे सूची "बी" के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फाइनल परीक्षा देनी होगी । जिन विद्यार्थियों ने सूची बी के अन्तर्गत या तो ग्रुप 1 को या ग्रुप 2 को पास कर लिया है या किसी विशेष प्रश्नपत्र या प्रश्न पत्रों में छूट प्राप्त की है और यह छूट अब तक वैध है ऐसे विद्यार्थियों परिशिष्ट 12 में दिये गये विवरण के अनुसार फाइनल परीक्षा के नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समान विषयों में छूट के हकदार होंगे ।

7.6 ऐसे विद्यार्थियों के आर्टीकलड सेवा का नया पंजीकरण जो इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के योग्य नहीं है ।

वर्तमान चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट रेगुलेशन्स के अनुसार एक आर्टीकलड क्लर्क जो अपने पंजीकरण के आरम्भिक तिथि से 10 साल के अन्दर इंटर परीक्षा पास नहीं कर सकता है उसे कथित परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है । ऐसे उम्मीदवारों को प्रैक्टिस कर रहे एक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के साथ 1 साल के आर्टीकलड के लिए नये रूप में पंजीकृत करने के लिए तथा पोस्टल ट्यूशन कोर्स प्राप्त करने, जिससे कि वह इन्टर मीडिएट परीक्षा में नये रूप से प्रवेश प्राप्त कर सकें, की व्यवस्था के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन्स में संशोधन किया जा रहा है ।

7.7 वाणिज्य स्नातक के मामले में आर्टीकलड क्लर्क के रूप से पंजीकरण हेतु योग्यता शर्तें

वर्तमान विनियम 32ए के अनुसार जिसमें कि 1 अप्रैल 1985 को या उसके बाद आर्टीकलड क्लर्कों के पंजीकरण का वर्णन है एक व्यक्ति तभी आर्टीकलड बन सकता है जब वह या तो स्नातक हो या उसने प्रवेश परीक्षा पास की हो। इस समय केवल इस वाणिज्य स्नातक को प्रवेश परीक्षा से छूट है जिसने सम्पूर्ण अंकों में से कमसे कम 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त किये हो और एकाउन्टेन्सी, आडिटिंग, मरकैनटाइल लॉ या व्यापारिक नियम के विषयों का अध्ययन किया हो अभी हाल ही में

यह स्पष्ट किया गया है कि एक उम्मीदवार जिसने स्नातक परीक्षा एकाउन्टेन्सी, आडिटिंग, मरकैनटाइल लॉ या वाणिज्य लॉ जैसे विषयों में उत्तीर्ण की हो लेकिन सम्पूर्ण अंकों का औसतन 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हो को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जायेगी यदि वह एम. काम. परीक्षा उपर्युक्त तीन विषयों में से किसी एक या अधिक विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण करता है।

7.8 परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्यवाही

चार उम्मीदवारों को जो कि परीक्षाओं में नकल करते हुए या नकल करने की कोशिश करते हुए पाये गये को अलग-अलग अवधि के लिए परीक्षा में प्रवेश हेतु अयोग्य करार किया गया है।

8. क्षेत्रीय परिषदें और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाएं

8.1 नई शाखाएं

पिछली रिपोर्ट के बाद से निम्नलिखित शाखाएं खोली गई है:—

1. पश्चिमी क्षेत्र
   1. आनन्द
   2. औरंगाबाद
2. दक्षिण क्षेत्र
   1. इरोडे
   2. हुगली
   3. पांडिचेरी
3. केन्द्रीय क्षेत्र
   1. कोटा
   2. मेरठ

उपर्युक्त शाखाओं की स्थापना से अब क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 57 हो गयी है।

8.2 भारत से बाहर इंस्टीट्यूट के चैप्टर

पिछली रिपोर्ट के बाद से बहरीन और जाम्बिया में इंस्टीट्यूट के चैप्टरों की स्थापना की गई इनकी स्थापना से देश से बाहर चैप्टरों की संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है।

8.3 क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के लिए भवन

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में वर्णन किया गया था परिषद ने क्षेत्रीय परिषदों कि शाखाओं को अपने भवन के निर्माण हेतु उत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत शाखाएं मकान या भवनों को बनाने या प्राप्त करने के लिए चंदा एकत्रित कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए परिषद् एक विशेष सीमा तक अनुदान देगी। इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम के अनुभाग 80 जी के अधीन मान्यता मिल गई है और शाखाओं को इंस्टीट्यूट के नाम पर चंदा एकत्रित करने के लिए आज्ञा दे दी गई है जिससे कि कथित मान्यता का लाभ उठाया जा सके। यह संतोषजनक बात है कि बहुत सारी शाखाओं ने इस दिशा में कदम उठाये हैं। साल के दरमियान शाखाओं को अर्द्धरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कदम तेज किये गये इस योजना के अंतर्गत इरनाकुलम शाखा ने एक भवन बनाया है जिसका उद्घाटन 23-8-1986 को अध्यक्ष ने किया।

8.4 क्षेत्रीय परिषद् को सर्वोच्च शाखाओं को रोटेटिंग शील्ड

क्षेत्रीय परिषदों को शाखाओं को अधिक कर्त्तव्यशील बनाने के प्रयत्नों में तथा शाखाओं के सदस्यों का व्यवसाय के क्रिया कलापों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ने क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं को न्यूनतम क्रियाकलापों के लिए कुछ नियम बनाये हैं। इस योजना के अंतर्गत शाखाओं को अपनी गतिविधियों तथा विकास से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करानी होगी। शाखाओं को क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा साल के दरमियान विकास तथा अन्य गतिविधियों के आधार पर से सर्वोच्च शाखा को एक रोटेटिंग शील्ड प्रदान की जाती है। वर्ष 1984-85 में एस. आई. आर. सी. को कोयम्बटूर शाखा को इस रोटेटिंग शील्ड से पुरस्कृत किया गया। यह शील्ड सितम्बर 1985 को आयोजित वार्षिक समारोह में विधि एंव न्याय मंत्री माननीय श्री अशोक सैन द्वारा प्रदान की गई। वर्ष 1985-86 के लिए यह शील्ड एस. आई. आर. सी. को इरनाकुलम शाखा को दी जायेगी, यह शील्ड 16 सितम्बर, 1986 को वार्षिक समारोह में प्रस्तुत की जायेगी।

9. वित्त

परिषद् द्वारा 31 मार्च, 1986 तक की बैलेंस शीट तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा स्वीकृत किया गया। आय और व्यय के लेखे में 9.56 लाख रुपए का मुनाफा निकला है जो कि पिछले वर्ष 37.65 लाख रुपए था।

10. प्रशंसा

(ए) परिषद् इंस्टीट्यूट के उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इंस्टीट्यूट को समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किया तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है जो इंस्टीट्यूट के सदस्य नहीं है तथा जिन्होंने परिषद् को इस वर्ष में इसकी शैक्षणिक और तकनीकी गतिविधियों एवं परीक्षाओं में सहयोग प्रदान किया।

(बी) परिषद् सरकार और इसके द्वारा परिषद् में मनोनीत सदस्यों का पूरे साल भर में दिये जाने वाले अनुकरत सहयोग व सहायता के लिए आभार प्रकट करती है।

(सी) परिषद् इंस्टीट्यूट के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशंसा करती है जिन्होंने अपने अथक प्रयास और ईमानदारी से वर्ष भर कार्य किया।

आर. एल. चोपड़ा	आर. बालाकृष्णन	पी. ए. नायर
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

नई दिल्ली

16 सितम्बर, 1986

वार्षिक रिपोर्ट की परिशिष्टयां

परिशिष्ट 1

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 1.1)

परिषद के सदस्य

(1-4-1985 से 16-9-1985 तक)

बालाकृष्णन, आर.	मद्रास
बनर्जी, भास्कर	कलकत्ता
बन्सल एल. के.	नई दिल्ली
चक्रवर्ती, ए. सी.]	कलकत्ता
चावला, बिज लाल	नई दिल्ली
छोजेड, एस. पी.	बम्बई
डरेक बी. सी.	बम्बई
*डूगर, एस. एम. (डा.)	नई दिल्ली
किया, आर. सी.	जयपुर
*हार्डिंग, बी. आर.	बम्बई
जैन, आई. सी.	बम्बई
*जेम्स, जी. ए.	नई दिल्ली
काले, वाई. एम.	बम्बई
खन्ना, एम. एम.	नई दिल्ली
कुम्भट, अशोक	मद्रास
नायर, पी. ए.	बम्बई
नम्बगोपाल, एस.	मद्रास
नारायणस्वामी, जी.	मद्रास

*वानीकर पी. जे. एम.	बम्बई
पटेल, मनुभाई जी.	अहमदाबाद
पोद्दार, एन. के.	कलकत्ता
*राव, के. एन.	नई दिल्ली
राय चौधरी, ए.	कलकत्ता
सम्पत कुमार, पी. टी.	मद्रास
शारदा, एम. पी.	बम्बई
शाह, पी. एन.	बम्बई
*सिन्हा, आई. बी. (डा.)	लखनऊ
सोमानी, के. जी	नई दिल्ली,
सुरेश बाबू, डी. एल.	बंगलौर
वैश्य, आई. सी. (डा.)	कानपुर

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिषद् के सदस्य

(17-9-1985 से 31-3-1986 तक)

अग्रवाल, के. एम.	नई दिल्ली
बालाकृष्णन, आर.	मद्रास
बनर्जी, भास्कर	कलकत्ता
भंडारी, एस. एस.	जयपुर
चक्रवर्ती, ए. के.	कलकत्ता
छाजेड़, एस. पी.	बम्बई
चितले, एम. एम.	बम्बई
डलाल, ए. एच.	बम्बई
दासगुप्ता, एस. के.	कलकत्ता
*दूगर, एस. एम. (डा.)	नई दिल्ली
*घोष, ए.	बम्बई
जैन, आई. सी.	बम्बई
जैन, एस. बी.	नई दिल्ली
काले, बाई. एम.	बम्बई
*मेहता, कान्ती	नई दिल्ली
मूर्ति, के. एस. (1-3-86 से)	नई दिल्ली
नायर, पी. ए.	बम्बई
नन्दगोपाल, एस.	मद्रास
नारायनस्वामी, जी.	मद्रास
*पटेल, मनुभाई जी.	अहमदाबाद
पोद्दार, एन. के.	कलकत्ता
राठी, आनन्द	बम्बई
राव, बी. पी.	बंगलौर
*राव के. एन. (28-2-86 तक)	नई दिल्ली
शर्मा, लक्ष्मीनिवास	हैदराबाद
सोमानी, के. जी.	नई दिल्ली
सुन्दरराजन, एम.	मद्रास
*ठिक्कू, सी. के.	नई दिल्ली
वैश्य, आर. सी. (डा.)	कानपुर
वासुदेवा, एस. सी.	नई दिल्ली
विश्वनाथ, टी. एस.	नई दिल्ली

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिशिष्ट – 2

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 1.1)

समितियों के सदस्य

(1-4-85 से 16-9-85 तक)

ए. – स्थायी समितियां

प्रबन्धकारिणी समिति

श्री एस. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी	(कलकत्ता)
श्री एस. के. बन्सल	(नई दिल्ली)
श्री पी. टी. सम्पत कुमारन	(मद्रास)]
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

परीक्षा समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन	(मद्रास)
डा. आई. बी. सिन्हा	(लखनऊ)
श्री के. जी. सोमानी	(नई दिल्ली)
श्री के. कल्याणारमन (समिति के सचिव)	

अनुशासनात्मक समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
डा. एस. एम. दूगर	(नई दिल्ली)
श्री एस. नन्दगोपाल	(मद्रास)
डा. आर. सी. वैश्य	(कानपुर)
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)	

बी० अस्थायी समितियां

अन्वेषण समिति

श्री एम. एम. खन्ना, सभापति	(नई दिल्ली)
श्री बाई. एम. काले, उप-सभापति	(बम्बई)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)	(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी	(कलकत्ता)
श्री पी. एन. शाह	(बम्बई)
श्री पी. जे. एम. पालीकर	(बम्बई)
श्री बाई. एच. मालेगम, श्री उदय खन्ना, श्री के. गनेसन — मनोनीत	(बम्बई) (बम्बई) (कलकत्ता)
श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)	

आडिटिंग प्रैक्टीसेज समिति

श्री बाई. एम. काले, सभापति	(बम्बई)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)	(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी	(कलकत्ता)
श्री एम. एम. खन्ना	(नई दिल्ली)
श्री के. एन. राव	(नई दिल्ली)
श्री पी. आर. खन्ना	(नई दिल्ली)
श्री बाई. एच. मालेगम	(बम्बई)
श्री समीर घोष	(कलकत्ता)
श्री एन. जे. एग्नागर	(मद्रास)
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)	

स्थायी व्यवसायिक शिक्षा समिति

श्री एन. के. पोद्दार, सभापति	(कलकत्ता)
श्री डी. एल. सुरेश बाबू, उपसभापति	(बंगलौर)

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आर. सी. धिया		(जयपुर)
श्री एम. जी. पटेल		(अहमदाबाद)
श्री आर. सी. वैश्य		(कानपुर)
श्री एस. भट्टाचार्य	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री एच. एम. बामनिया	मनोनीत	(कलकत्ता)
डा. एन. एल. धमेजा (समिति के सचिव)		

लेखांकन स्तर समिति

श्री एन. पी. शारदा, सभापति		(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी, उपसभापति		(कलकत्ता)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(बम्बई)
डा. एस. एम. डूगर		(नई दिल्ली)
श्री जी. ए. जेम्स		(नई दिल्ली)
श्री के. एन. राव		(नई दिल्ली)
श्री पी. एन. शाह		(बम्बई)
श्री पी. जे. एम पानीकर		(बम्बई)
श्री बी. एल. चावला		(नई दिल्ली)
श्री एस. मदनगोपाल		(मद्रास)
श्री ए. एम. नारियलवाला	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री महिमा ए. पारिख	मनोनीत	(बम्बई)
श्री ए. गांगुली	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री जोसफ कुरियाण	मनोनीत	(मद्रास)
श्री आर. एस. लोढा	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		

व्यवसायिक विकास समिति

श्री पी. एन. शाह, सभापति		(बम्बई)
श्री एन. के. पोद्दार, उपसभापति		(कलकत्ता)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आई. सी. जैन		(बम्बई)
श्री बी. आर. हार्सिंग		(बम्बई)
श्री जी. नारायनास्वामी		(मद्रास)
श्री के. एन. राव		(नई दिल्ली)
श्री आर. एन. बंसल	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री ए. के. चक्रवर्ती	मनोनीत	(कलकत्ता)
डा. एन. एल. धमेजा	(समिति के सचिव)	

पाठ्यक्रम समिति

श्री ए. राय चौधरी, सभापति		(कलकत्ता)
श्री बी. सी. उरैक, उपसभापति		(बम्बई)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री आर. बालाकृष्णन		(मद्रास)
श्री एन. पी. शारदा		(बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी		(नई दिल्ली)
श्री टी. एस. विश्वनाथ	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री के. सी. मेहता	मनोनीत	(बड़ौदा)
श्री ए. के. मजुमदार,	(समिति के सचिव)	

कराधान समिति

श्री जी. नारायनस्वामी, सभापति		(मद्रास).
श्री एम. जी. पटेल, उपसभापति		(अहमदाबाद)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री एस. के. बंसल		(नई दिल्ली)
श्री जी. ए. जेम्स		(नई दिल्ली)
श्री एन. के. पोद्दार		(कलकत्ता)
श्री ए. ए. दलाल	मनोनीत	(बम्बई)
श्री जी. वी. रमन	मनोनीत	(मद्रास)
श्री सी. आर. टी. वर्मा (समिति के सचिव)		

कम्पनी नियम समिति

श्री आई. सी. जैन, सभापति		(बम्बई)
श्री डी. एल. सुरेश बाबू, उपसभापति		(बंगलौर)
श्री ए. सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(कलकत्ता)
श्री बी. एल. चावला		(नई दिल्ली)
श्री एस. एम. डूगर		(नई दिल्ली)
श्री एस. मदनगोपाल		(मद्रास)
श्री एस. सी. बफना	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री एन. टी. दलाल	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एस. के. चक्रवर्ती (समिति के सचिव)		

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति		(कलकत्ता)
श्री प. ए. नायर, उपसभापति		(बम्बई)
श्री एम. एम. खन्ना		(नई दिल्ली)
श्री अशोक कुम्भट		(मद्रास)
श्री एन. के. पोद्दार		(कलकत्ता)
श्री पी. एन. शाह		(बम्बई)
श्री बी. एल. काबरा	मनोनीत	(बम्बई)
श्री बंसी एस. मेहता	मनोनीत	(बम्बई)
श्री वाई. एच. मालेगम	मनोनीत	(बम्बई)
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		

दक्ष सलाहकार समिति

श्री बी. एल. चावला, सभापति		(नई दिल्ली)
श्री एम. एम. खन्ना, उपसभापति		(नई दिल्ली)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री एस. के. बंसल		(नई दिल्ली)
श्री ए. राय चौधरी		(कलकत्ता)
श्री के. जी. सोमानी		(नई दिल्ली)
श्री एस. कुमार	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एस. सी. वासुदेवा	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)		

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

श्री एस. पी. छाजेड, सभापति		(बम्बई)
श्री आर. सी. धिया, उपसभापति		(जयपुर)
श्री पी. ए. नायर, उपाध्यक्ष (एक्स-ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री बी. सी. डेरक		(बम्बई)
श्री ए. राय चौधरी		(कलकत्ता)
श्री आई. बी. सिन्हा		(लखनऊ)
श्री पी. मित्रा	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री पी. डी. खन्ना	मनोनीत	(बम्बई)
डा. एम. के. अग्रवाल (समिति के सचिव)		

सामान्य उद्देश्य समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति		(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी		(कलकत्ता)

श्री एस. के. बंसल	(नई दिल्ली)
श्री पी. टी. सम्पत कुमारन	(मद्रास)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

नीति विषयक स्तर समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति	(बम्बई)
श्री एस. पी. छाजेड	(बम्बई)
डा. एस. एम. डूगर	(नई दिल्ली)
श्री जी. नारायणस्वामी	(मद्रास)
श्री पी. टी. सम्पत कुमारन	(मद्रास)
डा. आर. सी. वैश्य	(कानपुर)
श्री जी. बनर्जी (समिति के सचिव)	

जन सम्पर्क समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति	(बम्बई)
श्री आर. सी. घिया	(जयपुर)
श्री बी. आर. हार्सिंग	(बम्बई)
श्री अशोक कुम्मठ	(मद्रास)
श्री पी. एन. शाह	(बम्बई)
श्री एम. एम. चितले } मनोनीत	(बम्बई)
श्री पी. एस. कुमार } मनोनीत	(मद्रास)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

अनैतिक रूप से हटाये गये आडिटरों के लिए समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति	(बम्बई)
डा. एस. एम. डूगर	(नई दिल्ली)
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)	

सम्पादकीय समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, मुख्य सम्पादक	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, संयुक्त सम्पादक	(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन	(मद्रास)
श्री बी. सी. डेरक	(बम्बई)
श्री पी. एन. शाह	(बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी	(नई दिल्ली)
श्री नारायण वर्मा	(बम्बई)
श्री कसी जे. वाछावाला	(बम्बई)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

आई. सी. ए. आई.–आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. समन्वय समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, नेता	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर उपनेता	(बम्बई)
श्री बी. एल. चावला	(नई दिल्ली)
श्री एस. पी. छाजेड	(बम्बई)
श्री अशोक कुम्मठ	(मद्रास)
श्री ए. राय चौधरी	(कलकत्ता)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

आई. सी. ए. आई.–आई. सी. एस. आई. समन्वय समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, नेता	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपनेता	(बम्बई)
श्री एस. पी. छाजेड	(बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी	(नई दिल्ली)

डा. आर. सी. वैश्य	(नई दिल्ली)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

क्षेत्रीय भाषाओं पर समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति	(बम्बई)
श्री एम. एम. खन्ना	(नई दिल्ली)
श्री जी. नारायणस्वामी	(मद्रास)
श्री एम. जी. पटेल	(अहमदाबाद)
श्री पी. एन. शाह	(बम्बई)
डा. आई. बी. सिन्हा	(लखनऊ)
श्री डी. एल. सुरेश बाबू (समिति के सचिव)	

शिक्षा एवं प्रशिक्षण पुनरवलोकन समिति

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, सभापति	(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, उपसभापति	(बम्बई)
श्री पी. एन. शाह	(बम्बई)
श्री पी. जे. एम. पानीकर	(बम्बई)
श्री ए. राय चौधरी	(कलकत्ता)
श्री अशोक कुम्मठ } मनोनीत	(मद्रास)
श्री एम. जी. पटेल } मनोनीत	(अहमदाबाद)
श्री बंसी एस. मेहता } मनोनीत	(बम्बई)
श्री पी. के. मल्लिक } मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री एस. के. अग्रवाल } मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री ए. के. मजुमदार (समिति के सचिव)	

समितियों के सदस्य

(17-9-1985 से 31-3-1986 तक)

ए० स्थायी समितियां

प्रबंधकारिणी समिति

श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष	(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष	(मद्रास)
श्री एस. के. दासगुप्ता	(कलकत्ता)
श्री वाई. एम. काले	(बम्बई)
श्री एस. सी. वासुदेवा	(नई दिल्ली)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)	

परीक्षा समिति

श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष	(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष	(मद्रास)
श्री एम. एम. चितले	(बम्बई)
श्री एस. नन्दगोपाल	(मद्रास)
श्री टी. एस. विश्वनाथ	(नई दिल्ली)
श्री के. कल्यानारमन (समिति के सचिव)	

अनुशासनात्मक समिति

श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष	(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष	(मद्रास)
श्री ए. के. चक्रवर्ती	(कलकत्ता)
डा. एस. एम. डूगर	(नई दिल्ली)
श्री जी. नारायणस्वामी	(मद्रास)
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)	

स्थायी समितियां

अन्वेषण समिति

श्री एन. के. पोद्दार, सभापति		(कलकत्ता)
श्री आनन्द राठी, उपसभापति		(बम्बई)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री ए. के. चक्रवर्ती		(कलकत्ता)
डा. आर. सी. वैश्य		(कानपुर)
श्री एस. सी. वासुदेवा		(नई दिल्ली)
श्री ए. घोष		(बम्बई)
श्री वाई. एच. मालेगाम	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एन. कन्नोरेसन	मनोनीत	(मद्रास)
श्री एस. के. पारिख	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री अमिताभ चन्द्र (समिति के सचिव)		

आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति

डा. आर. सी. वैश्य, सभापति		(कानपुर)
श्री ए. एल. दलाल, उप सभापति		(बम्बई)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(मद्रास)
श्री भास्कर बनर्जी		(कलकत्ता)
श्री एस. के. दासगुप्ता		(कलकत्ता)
श्री एन. सी. सुन्दरराजन		(मद्रास)
श्री के. एन. राव		(नई दिल्ली)
श्री वाई. एच. मालेगाम	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एम. एम. खन्ना	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री पी. डी. एम. पानीकर	मनोनीत	(बम्बई)
(एक और सदस्य को मनोनीत करना था)		
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		

स्थायी व्यावसायिक शिक्षा समिति

श्री एस. पी. छाजेड़, सभापति		(बम्बई)
श्री एन. सी. सुन्दरराजन, उपसभापति		(मद्रास)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(मद्रास)
श्री एस. सम्बागोपाल		(मद्रास)
डा. आर. सी. वैश्य		(कानपुर)
श्री पी. डी. देसाई	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एस. एम. दमानिया	मनोनीत	(बम्बई)
डा. ए. एन. रोना (समिति के सचिव)		

लेखांकन स्तर समिति

श्री भास्कर बनर्जी, सभापति		(कलकत्ता)
श्री वाई. एच. काले, उपसभापति		(बम्बई)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(मद्रास)
श्री एस. के. दासगुप्ता		(कलकत्ता)
डा. एस. एम. डूगर		(नई दिल्ली)
श्री के. एन. राव		(नई दिल्ली)
श्री सी. के. टिक्कू		(नई दिल्ली)
श्री एस. बी. जैन		(नई दिल्ली)
श्री पी. एम. नारियलवाला	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री एन. पी. शारदा	मनोनीत	
श्री एम. एम. गोईपुरिया	मनोनीत	(बम्बई)
फिक्की द्वारा मनोनीत	मनोनीत	
स्कोप द्वारा मनोनीत	मनोनीत	
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)		(बम्बई)

उद्यमीय एवं विकास समिति

श्री एम. जी. पटेल, सभापति		(अहमदाबाद)
श्री आई. सी. जैन, उपसभापति		(बम्बई)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(मद्रास)
श्री कान्ती मेहता		(नई दिल्ली)
श्री के. एन. राव		(नई दिल्ली)
श्री के. जी. सोमानी		(नई दिल्ली)
श्री आर. एन. बंसल	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री पी. पी. मोहरा	मनोनीत	(अहमदाबाद)
डा. एस. एल. धमेजा (समिति के सचिव)		

पाठ्यक्रम समिति

श्री के. जी. सोमानी, सभापति		(नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, उपसभापति		(हैदराबाद)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री एस. एस. भण्डारी		(जयपुर)
श्री एम. एम. चितले		(बम्बई)
श्री बी. पी. राव		(बंगलोर)
श्री ए. घोष		(बम्बई)
श्री सुकुमार भट्टाचार्या	मनोनीत	(कलकत्ता)
श्री एस. बी. कावरा	मनोनीत	(नई दिल्ली)
श्री ए. के. मजूमदार (बोर्ड का सचिव)		

कराधान समिति

श्री आई. सी. जैन, सभापति		(बम्बई)
श्री एल. सम्बगोपाल, उपसभापति		(मद्रास)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री ए. एल. दलाल		(बम्बई)
श्री . जी. नारायणस्वामी		(मद्रास)
श्री के. जी. सोमानी		(नई दिल्ली)
श्री सी. के. टिक्कू		(नई दिल्ली)
श्री वी. रंगास्वामी	मनोनीत	(मद्रास)
श्री बी. डी. लोया	मनोनीत	(नागपुर)
श्री सी. आर. डी. वर्मा (समिति के सचिव)		

कम्पनी कानून समिति

श्री ए. एल. दलाल, सभापति		(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी, उपसभापति		(कलकत्ता)
श्री पी. ए. नायर, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)		(बम्बई)
श्री के. एल. अग्रवाल		(नई दिल्ली)
श्री एन. के. पोद्दार		(कलकत्ता)
डा. एस. एम. डूगर		(नई दिल्ली)
श्री डी. एस. विश्वनाथ		(नई दिल्ली)
श्री एस. सी. बफना	मनोनीत	(बम्बई)
श्री एस. प्रभाकरन	मनोनीत	(कोचीन)
श्री एस. के. चक्रवर्ती (समिति का सचिव)		

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति		(बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उप सभापति		(मद्रास)
श्री भास्कर बनर्जी		(कलकत्ता)
श्री एस. के. दास गुप्ता		(कलकत्ता)
श्री आई. सी. जैन		(बम्बई)
श्री एन. के. पोद्दार		(कलकत्ता)

श्री बी. एल. कावरा (बम्बई) } मनोनीत
श्री वाई. एच. मोलेगम (बम्बई) } मनोनीत
श्री बंसी एस. मेहता (बम्बई)
श्री कमल गुप्ता (समिति के सचिव)

बस सलाहकार समिति

श्री आनन्द राठी सभापति (बम्बई)
श्री के. एम. अग्रवाल, उपसभापति (नई दिल्ली)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो) (मद्रास)
श्री एस. पी. छाजेड (बम्बई)
श्री ए. एच. दलाल (बम्बई)
श्री एम. कुमार (बम्बई)
श्री डी. एन. चतुर्वेदी (बम्बई)
श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

श्री एस. एस. भंडारी, सभापति (जयपुर)
श्री बी. पी. राव उपसभापति (बंगलौर)
श्री आर. बालाकृष्णन उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो) (मद्रास)
श्री एस. पी. छाजेड (बम्बई)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा (हैदराबाद)
श्री एस. सी. जैन (नई दिल्ली)
श्री एस. के. बसल (नई दिल्ली) } मनोनीत
श्री जी एस. मेहता (जोधपुर) } मनोनीत
डा. एन. के. अग्रवाल (समिति के सचिव)

सामान्य उद्देश्य समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपसभापति (मद्रास)
श्री ए. के. दास गुप्ता (कलकत्ता)
श्री वाई. एम. काले (बम्बई)
श्री एस. सी. वासुदेवा (नई दिल्ली)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

नीति विषयक स्तर समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उप सभापति (मद्रास)
श्री ए. के. चक्रवर्ती (कलकत्ता)
श्री जी. नारायनस्वामी (मद्रास)
डा. आर. सी. वैश्य (कानपुर)
श्री एस. सी. वासुदेवा (नई दिल्ली)
डा. एस. एम. डूगर (नई दिल्ली)
श्री जी. बनर्जी (समिति के सचिव)

जन सम्पर्क समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उप सभापति (मद्रास)
श्री के. एम. अग्रवाल (नई दिल्ली)
श्री कान्ती मेहता (कलकत्ता)
श्री बी. पी. राव (बंगलौर)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा (हैदराबाद)
श्री दिलीप एम. शाह (बम्बई) } मनोनीत
श्री एस. बी. भट्ट (मद्रास) } मनोनीत
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

[illegible] हटाये गये आफिसरों के लिए समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उप सभापति (मद्रास)
डा. एस. एम. डूगर (नई दिल्ली)
श्री के. एन. राव (नई दिल्ली)
श्री सी. के. टिक्कू (नई दिल्ली)
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)

संपादकीय समिति

श्री पी. ए. नायर, मुख्य संपादक (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, संयुक्त संपादक (मद्रास)
श्री एस. एस. भंडारी (जयपुर)
श्री एम. एस. चितले (बम्बई)
श्री आर. सी. जैन (बम्बई)
श्री वाई. एच. काले (बम्बई)
श्री टी. एस. विश्वनाथ (नई दिल्ली)
श्री एस. सी. भगत (बम्बई)
श्री ए. बरता चौधरी (कलकत्ता)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

आई. सी. ए. आई.—आई. सी. एस. आई. समन्वय समिति

श्री पी. ए. नायर, नेता (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपनेता (मद्रास)
श्री एस. एस. भंडारी (जयपुर)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)
श्री एन. सी. सुन्दरराजन (मद्रास)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

शिक्षा और प्रशिक्षण पुनरवलोकन समिति

श्री पी. ए. नायर, सभापति (बम्बई)
श्री आर. बालाकृष्णन, उपसभापति (मद्रास)
श्री ए. के. चक्रवर्ती (कलकत्ता)
श्री जी. नारायनस्वामी (मद्रास)
श्री एम. जी. पटेल (अहमदाबाद)
डा. आर. सी. वैश्य (कानपुर)
श्री ए. घोष (बम्बई)
श्री एस. के. अग्रवाल (नई दिल्ली)
श्री पी. के. मल्लिक (कलकत्ता)
श्री ए. के. मजूमदार (समिति के सचिव)

परिशिष्ट—3

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.8(ए))

स्थायी व्यवसायिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित सेमीनारों व कोर्सों का विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम	स्थान	तिथि
1	2	3	4
1.	कारपोरेट फाइनेन्सियल मैनेजमेंट" पर आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसियेशन के सहयोग से रेजिडेंसियल कोर्स	गोआ	25 से 30 सितम्बर 1985
2.	गृह मंत्रालय पर्सनल एवं प्रशासकीय रिफोर्म विभाग, भारत सरकार के सहयोग से "वित्तीय एवं लेखाकन प्रबंध" पर कोर्स	नई दिल्ली	7 से 25 अक्तूबर 1985

1	2	3	4
3. "पेश, वनि शुल्क एवं सीमा शुल्क" पर कोर्स	जयपुर	12-13 अक्तूबर 1985	
4. "नेशोकर स्तर एवं कराधान" पर सेमीनार	कलकत्ता	23-24 नवम्बर 1985	
5. "सार्वजनिक इकाईयों एवं अलाभ-प्रद संस्थाओ में लेखांकन व्यवसाय" पर सेमीनार	नई दिल्ली	7-8 सितम्बर 1985	
6. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अधिकारियों के लिये इन-हाउस कार्यक्रम	नई दिल्ली	23 से 25 जनवरी 1986	
7. इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के साथ, "कार्यकारी पूजी के विशेष संदर्भ में वित्तीय प्रबंध में नये विशाए" पर सेमीनार	कलकत्ता	8 एवं 9 मार्च 1986	
8 इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रटरीज आफ इंडिया के साथ "कारपोरेट वित्त एवं कानून" पर सेमीनार-	बम्बई	9 एवं 10 अगस्त 1986	

परिशिष्ट—4

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3 8 (बी)

(स्नातकोत्तर कोर्सो के परिणाम का सारांश

	मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कोर्स (भाग 1) परीक्षा नवम्बर 1985	कारपोरेट मैनेजमेंट कोर्स (भाग 1) परीक्षा नवम्बर 1985	टैक्स मैनेजमेंट कोर्स (भाग 1) परीक्षा नवम्बर 1986	एम.ए.सी. (भाग 1) परीक्षा मई, 1986	टैक्स मैनेजमेंट कोर्स (भाग 1) परीक्षा मई, 1986
1. दोनों ग्रुप					
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी	27	2	7	14	11
दोनों ग्रुपो मे उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशी	2	1	—	2	1
प्रतिशत	7.4	50	—	14.28	9.09
केवल ग्रुप 1 मे उत्तीर्ण	3	—	—	—	—
केवल ग्रुप 2 में उत्तीर्ण	10	—	—	10	
2. ग्रुप 1					
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी	25	1	1	18	2
उत्तीर्ण प्रत्याशी	2	1	—	4	—
प्रतिशत	8	100	—	22.22	—
3. ग्रुप 2					
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी	8	—	—	7	1
उत्तीर्ण प्रत्याशी	2	—	—	7	—
प्रतिशत	25	—	—	100	—

परिशिष्ट 5

संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 4.8

बाहरी निकायों मे परिषद के प्रतिनिधि

1. जनरल काउन्सिल आफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लाईज रिसर्च	श्री पी.ए. नायर
2. कीमत लेखाकार रिकार्ड नियमो से संबन्धित मामलों पर कम्पनी कार्य विभाग को इनफोरमल सलाहकार समिति	श्री पी.ए. नायर
3. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	श्री पी.ए. नायर
4. भारतीय मानक संस्था का फार्म एकाउन्ट्स सैक्सनल समिति	श्री एन.के. पोद्दार
5 [illegible] सलाहकार [illegible]	श्री पी.ए. नायर
6. आल इंडिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज	श्री आर. बालाकृष्णन
7. अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकारों के परिसंघ की परिषद् (आई.एफ ए.सी.)	श्री बी.एल. कावरा
8. आई.ए.एफ.सी. की अन्तर्राष्ट्रीय आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति	श्री वाई.एच. मालेगम
9. आई.ए.एफ.सी. की शिक्षा समिति	श्री बंसी एस. मेहता
10 दक्षिण एशियाई लेखाकारों का परिसंघ	श्री ए.सी. चक्रवर्ती (31-12-85 तक) श्री पी.ए. नायर (1-1-1986 से)
11. "[illegible] आफ [illegible] पेटेंट आफ वैल्थ" के बारे आई.ए.एफ.सी. की स्टीयरिंग समिति	श्री पी.ए. नायर

परिशिष्ट 6

संदर्भ का रिपोर्ट का पैरा 3.11

सदस्यों का विवरण 1-4-1986 तक

फैलो : पूर्ण कालिक प्रैक्टिस मे	10,705	
अंशकालिक प्रैक्टिस मे	1,518	
जो प्रैक्टिस मे नहीं है	1,139	
		13,362
एसोसिएट्स पूर्णकालिक प्रैक्टिस मे	11,284	
अंशकालिक प्रैक्टिस में	5,265	
जो प्रैक्टिस मे नहीं है	10,367	
		26,916
		40,273

क्षेत्र	फैलो				एसोसिएट्स				
	प्रैक्टिस में		जो प्रैक्टिस में नहीं है	कालम 2, 3, एवं 4 का योग	प्रैक्टिस मे		जो प्रैक्टिस मे में नहीं है	कालम 6, 7 एवं 8 का योग	कालम 5 एवं 9 का योग
	पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस मे			पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	3,391	641	377	4,409	3,933	2,623	2,903	9,459	13,868
II	2,653	312	276	3,241	2,375	1,011	3,546	6,932	10,173
III	1,597	206	219	2,022	1,186	544	1,987	3,717	5,739
IV	1,069	147	72	1,288	1,243	351	706	2,300	3,588
	1,995	212	195	2,402	2,547	736	1,226	4,508	6,910
	10,705	1,518	1,139	13,362	11,284	5,265	10,367	26,916	40,278

परिशिष्ट 7

संदर्भ . रिपोर्ट का पैरा 5.4

सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विनियम 32बी के अनुसार आर्टिकल क्लर्कों की स्टाईपैंड के भुगतान मे असफल होना :— सी०ए० अधिनियम 1949 की धारा 21 के साथ पठित इसी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के क्लॉज 2 के अधीन 3 सदस्यों को व्यवसायिक दुराचार का दोषी पाया गया। व्यवसायिक दुराचार का अर्थ सी०ए० रेगुलेशन्स 1964 के विनियम 32 बी की व्यवस्थाओं के अनुसार आर्टिकल क्लार्कों को स्टाईपेन्ड का भुगतान न करना है। परिषद् ने उच्च न्यायालय से सिफारिश की है कि मुलजिमों को रिपेमेंड किया जाय। उच्च न्यायालय ने परिषद् के इस निष्कर्ष को वैध ठहराया है कि मुलजिमों ने सी०ए० रेगुलेशन 1964 के विनियम 32बी का उल्लंघन किया है। और सदस्यों को रिपेमेंड किया है। (विस्तृत विवरण के लिए "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" के फरवरी 1986 संस्करण के पेज 678 और 679 देखिए)

परिशिष्ट-8

संदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 5.5

वर्ष 1985-86 के दरमियान मृत्यु के कारण सदस्यों के रजिस्टर में से हटाये गये सदस्यों के नाम :—

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम	हटाने की तिथि
1	2	3	4
1	99	श्री वी०वी० रामा शर्मा राजामहेन्द्रवरम	20-9-85
2	102	श्री वी०एल० सहू, बम्बई	26-7-85
3.	204	श्री पी०के० घोष, कलकत्ता	11-12-85
4.	231	श्री जितेन्द्र नाथसैन, कलकत्ता	12-11-85
5	244	श्री आर०के० करामाथ, बम्बई	23-6-85
6	365	श्री पी०एन० मेहता, बम्बई	1-7-85
7.	405	श्री एस०एम० सैनगुप्ता, कलकत्ता	27-3-85
8.	465	श्री जे०एन० दादाभाई, बम्बई	30-7-85

1	2	3	4
9.	554	श्री ई०डी० विश्वानाथन, मद्रास	24-8-85
10.	629	श्री एस०एम० सचदेव, दिल्ली	20-2-85
11.	688	श्री ए०एन० सचार, नई दिल्ली	17-12-84
12.	692	श्री डी०के० बोरकर, बम्बई	10-6-85
13.	750	श्री नारायण मध्यस्थ शास्त्री, बंगलौर	24-7-85
14.	762	श्री एस०सी० रंगानाथ, मद्रास	9-4-85
15.	789	श्री आर०सी० साहा, कलकत्ता	29-8-85
16.	801	श्री पी०के० घोष, कलकत्ता	19-12-82
17.	932	श्री गोविन्द राम नाथ, नई दिल्ली	10-1-84
18.	1038	श्री जगन्नाथ शर्मा, कानपुर	22-1-86
19.	1063	श्री अवध बिहारी टंडन, कानपुर	4-5-85
20.	1101	श्री के०एस०पी० राव, बम्बई	24-12-83
21.	1204	श्री आर०ए० वैद्यनाथस्वामी, अय्यर, बंगलौर	23-5-85
22.	1354	श्री ए०के० भट्टाचार्य, कलकत्ता	24-10-84
23.	1768	श्री बी०पी० दारेकर, पुणे	21-9-84
24.	1887	श्री बा०सी० चक्रवर्ती, कलकत्ता	15-2-86
25.	2061	श्री टी०एस० राजू, मदुराई	12-4-83
26.	2178	श्री आर०डी० शाह, बम्बई	15-2-85
27.	2214	श्री निखिलचरन भर्मा, कलकत्ता	16-3-85
28.	2294	श्री सी०आर० कल्याणकृष्णन, पालघाट	5-1-86
29.	2306	श्री ए०आर० खरे, कलकत्ता	19-12-84
30.	2320	श्री जीकोर बाबू, तिरुपाला	9-8-85
31.	2385	श्री के०पी० सक्सेना, नई दिल्ली	3-2-84
32.	2404	श्री ए० सी० राय, कलकत्ता	16-9-84
33.	2556	श्री धर्म चन्द जैन, इंदौर	1-12-85
34.	2575	श्री डी०जी० बाली, बम्बई	1-12-83
35.	2841	श्री आर० चन्द्र शेखरन, पांडिचेरी	5-12-85
36.	3090	श्री जगदीशचन्द्र वधावन, नई दिल्ली	1-7-84
37.	3092	श्री एन० रामास्वामी अय्यर, मद्रास	17-9-85
38.	3269	श्री एन० सेन मजुमदार, कलकत्ता	19-12-85
39.	3674	श्री एन०सी० बजाज, नई दिल्ली	1-1-84
40.	4177	श्री एम०के० सिन्हा, कलकत्ता	31-7-85
41.	4627	श्री जे०एम०शाह, बम्बई	10-5-85
42.	4900	श्री डा० अक्षेश्वराव, राजावल्लीगुडम	12-10-85
43.	5003	श्री टी०बी० कृष्णामूर्ति, गुन्टूर	19-7-85
44.	6001	श्री आर०बी० पटेल, अहमदाबाद	26-2-84
45.	6203	श्री पी०आर० नारायणन नायर, पालघाट	23-11-85
46.	6304	श्री एस० रामाचन्द्रन, गुंटी	8-11-85
47.	7203	श्री ए०एम० कार, इलाहाबाद	9-2-85
48.	7221	श्री आर० वेदेश्वरम, बंगलौर	19-9-85
49.	7245	श्री जगदीश सिंह थाटी, बिकानेर	13-1-86
50.	7407	श्री बी०के० खिम्वरिया, नई दिल्ली	16-3-8.
51.	7540	श्री बी०टी० कपाड़िया, बम्बई	8-7-83
52.	8405	श्री शशिकांत राजपाल, नई दिल्ली	30-1-86
53.	8580	श्री श्रीनारायण बहल, नई दिल्ली	23-8-85
54.	8621	श्री बी० राजामणि, तिरुचिरापल्ली	12-11-85
55.	8723	श्री आर०वी० कृष्णामूर्ति, तिरुचिरापल्ली	8-12-85
56.	9241	श्री बी० कुमार, कलकत्ता	8-9-86
57.	9869	श्री के० वीरास्वामी, त्रिचूर	21-5-85
58.	14282	श्री एन०के० सभरवाल, नई दिल्ली	21-10-85
59.	14714	श्री एस०के० बासु, कलकत्ता	18-1-85
60.	14929	श्री श्याम सुन्दर, नई दिल्ली	26-1-86
61.	17077	श्री प्रकाश चन्द्र चतुर्वेदी, नई दिल्ली	26-1-86
62.	20773	श्री एम०आर० देवराज, सेलम	4-6-85
63.	20910	श्री एक०ए० सिद्दकी, बंगलौर	29-9-82
64.	20970	श्री एन० बालाचन्द्रन, बंगलौर	4-11-85
65.	21971	श्री के०जी० नायर, त्रिचूर	27-5-85
66.	24026	श्री के० रवीन्द्र, हैदराबाद	23-10-35
67.	32914	श्री पी० मन्यू० कामत, बम्बई	30-9-85
68.	34026	श्री एस०एस० अय्यर, बम्बई	13-3-85
69.	50808	श्री बी०एन० राय, हावड़ा	14-2-86
70.	51171	श्री एस०के० घोष, 24 परगना	22-11-84
71.	70472	श्री पी०एम० मोदानी, जयपुर	23-10-86
72.	70793	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, जयपुर	6-4-84
73.	70941	श्री राजकुमार चौधरी, भीलवाड़ा	6-4-84
74.	80196	श्री रवीन्द्र कुमार, नई दिल्ली	23-12-85
75.	80720	श्री प्रदीप चावला, नई दिल्ली	30-4-86
76.	81519	श्री भूपिन्द्र कुमार जैन, नई दिल्ली	6-7-85
77.	82405	श्री एस०पी० अग्रवाल, दिल्ली	25-7-84
78.	83034	श्री एस०के० जैन, दिल्ली	6-10-83
79.	83329	श्री ज्ञान चन्द्र, फरीदाबाद	28-4-85
80.	83538	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, नई दिल्ली	3-4-86
81.	84195	श्री रविन्द्र कुमार, नई दिल्ली	31-12-85

परिशिष्ट-9

संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 6.4(ए)

	इन्टर	फाइनल
1-4-85 को पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	25,263	14,810
वर्ष 1985-86 के दौरान पंजीकृत	10,813	6,202
	36,076	21,012
वर्ष 85-86 में ट्यूशन पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (मई 85 और नवम्बर 85)	7,095	5,709
	28,981	15,303

परिशिष्ट-10

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.1

परिणामों का सारांश

मई/जून 1985 में हुई परीक्षाएं

प्रवेश परीक्षा—जून 1985 में हुई परीक्षाएं	
परीक्षार्थियों की कुल संख्या	2,212
उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या	296
प्रतिशत	13.38
इन्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम परीक्षा)	
ग्रुप 1 के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	10,358
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	2,740
प्रतिशत	25.23
ग्रुप 2 के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	11,783
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	2,036
प्रतिशत	17.27
दोनों ग्रुपों की परीक्षार्थियों की कुल संख्या	4,241
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	486
प्रतिशत	11.45

फाईनल (पुराना पाठ्यक्रम) परीक्षा

ग्रुप 1 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	1,514
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	131
प्रतिशत	8.65
ग्रुप 2 के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	1.148
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	273
प्रतिशत	23.78
दोनों ग्रुपों के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	524
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	10
प्रतिशत	1.90

फाईनल (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा

ग्रुप 1 के कुल परीक्षार्थियो की संख्या	7,116
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	3,638
प्रतिशत	49.05
ग्रुप 2 के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	6,829
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	1,945
प्रतिशत	28.48
दोनों ग्रुपों के कुल परीक्षार्थियों की संख्या	5,968
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	1,4 66
प्रतिशत	24.51

परिणामों का सारांश

नवम्बर/दिसम्बर 1985 में की गई परीक्षाएं

कुल परीक्षार्थियों की संख्या	2,518
उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	392
प्रतिशत	15.57

इन्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा

ग्रुप 1 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	1 3,09 6
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	2,434
प्रतिशत	18.58
ग्रुप 2 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	13,961
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	3,45 8
प्रतिशत	24.76
दोनों ग्रुपों में कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	5.460
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	757
प्रतिशत	13.8 6

फाईनल परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम)

ग्रुप 1 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	1,155
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	161
प्रतिशत	13.93
ग्रुप 2 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	840
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	234
प्रतिशत	27.00
दोनों ग्रुपों में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	309
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	12
प्रतिशत	3.88

फाईनल परीक्षा (नया पाठ्यक्रम)

ग्रुप 1 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	6,723
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	2,703
प्रतिशत	40.20
ग्रुप 2 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	6,712
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	2,235
प्रतिशत	33.29
दोनों ग्रुपों में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	3,660
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	657
प्रतिशत	17.95

परिशिष्ट–11

संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 7.4

मई–1985

फाइनल परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम)

योग्यता प्रमाण-पत्र–किसी को भी नहीं

फाईनल परीक्षा (नया पाठ्यक्रम)

निम्नलिखित विद्यार्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये

वरीयता	रोल नं.	नाम
1 प्रथम	7411	सुरेश राजा गोपाल (800 में से 540 नम्बर)
2 द्वितीय	8305	वीरज कुमार कठोतिया (800 में से 521 नम्बर)
3 तृतीय	7424	पी. वेंकटेश (800 में से 517 नंबर)

1. जी.पी. कपाडिया प्रथम आगम स्वर्ण पदक पुरस्कार श्री सुरेश राजा गोपाल (रोल नं. 7411–फाईनल परीक्षा नया पाठ्यक्रम) को दिया जायेगा।

2. सर्वोच्च विद्यार्थी के लिए रामबाग सिंधी पुरस्कार श्री सुरेश राजागोपाल (रोल नं. 7411–फाईनल नए पाठ्यक्रम परीक्षा) को दिया जायेगा।

3. एकाउन्टेंसी पेपर में सर्वोच्च अंकों के लिए "अर शापुर जी बिलीमोरिया पुरस्कार" कुमारी मोनिषा एम. पारिख को दिया जायेगा (रोल नं. 5920)– फाईनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–200 में से 169 अंक)

4. मैनेजमेंट एकाउंटिंग में सर्वोच्च अंकों के लिए "जे.के. वोरा" पुरस्कार श्री जी.श्री. नागेश्वरराव को दिया ।

(रोल नं० 6334-फाईनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा-85 अंक

5. आडिटिंग में सर्वोच्च अंकों के लिए "ए एफ फरगूसन" पुरस्कार और "आर वेंकटेशन यादगार पुरस्कार" अजित सूथरा को दिया गया।
(रोल नं. 8118–फाईनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–83 अंक)

6. ग्रुप 1 में सर्वोत्तम विद्यार्थियों के लिए "शेरवा वर्मा पुरस्कार" कुमारी मोनिषा एम. पारिख को दिया गया (रोल नं. 5920–फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–284 अंक)

7. कम्पनी ला में सर्वोत्तम पेपर के लिए "यू पी मजूमदार पुरस्कार" और "एम एन शाह पुरस्कार" श्री कर रह मिलिन्द रामा नैना को दिया गया (रोल नं. 6113 – फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा-70 अंक)

8. डायरेक्ट टैक्स ला में सर्वोत्तम पेपर के लिए "एन.एन. शाह पुरस्कार" "सूरी यादगार पुरस्कार" अजित सूथरा को दिया गया (रोल नं. 8118 फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–71 अंक)

9. अर्थशास्त्र में सर्वोत्तम पेपर के लिए "वेंकटचलम मोहन पुरस्कार" वीरेंद्र एस. शाह को दिया गया (रोल न. 370—फाइनल पुराना पाठ्यक्रम परीक्षा–50 अंक)

10. फाइनल नये पाठ्यक्रम परीक्षा के ग्रुप 2 में सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए "पी.एन. घोष यादगार पुरस्कार" सुरेश राजागोपालन को दिया गया (रोल नं. 7411–295 अंक)

11. फाईनल परीक्षा में दूसरे नम्बर पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए श्री दीपक कुमार कपोरिया को "जयन्ती लाल के ठक्कर यादगार पुरस्कार" दिया गया (रोल नं. 8305–524 अंक)

12. कोस्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिए "आर.बी.के. उमर जी पुरस्कार" गंगानाथा विनेश रमेश को दिया गया (रोल नं. 6353 फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा-83 अंक)

13. सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए "आर. शिवाभागम पुरस्कार" कुमारी मोदी समिता अरविन्दा को दिया गया (रोल नं. 5908-फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–800 में से 513 अंक)

इंटरमीडियट (नया पाठ्यक्रम) परीक्षा मई 1985

निम्नलिखित विद्यार्थियों को योग्यता प्रदान की गई है।

वरीयता	अनुक्रमांक	नाम
प्रथम	2792	नितिन सिंह (700 में से 474 अंक)
द्वितीय	5763	निर्मल चन्द्र बी. जैन (700 में से 469 अंक)
तृतीय	14681	मीता कुमारी शंकर (700 में 468 अंक)

1. "जी.पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार" नितिन सिंह (रोल नं. 2792) को दिया गया।

2. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिए "दिनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार" राजकुमार को दिया गया (रोल नं. 720–100 में 63 अंक)

पुरस्कार विजेता

फाइनल परीक्षा (पुराना और नया) पाठ्यक्रम–नवम्बर 1985

फाइनल परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम)

योग्यता प्रमाण पत्र–किसी को नहीं

फाइनल परीक्षा (नया पाठ्यक्रम)

वरीयता	अनुक्रमांक	नाम
प्रथम	6334	श्री सत्याप्रणव नवीन चन्द्र (800 में 522 अंक)
	7249	श्री श्रीधर रामामूर्ति (800 में 522 अंक)
द्वितीय	6011	श्री प्रमोद कुमार डाड (800 में 500 अंक)
	6866	श्री सुखबीर सिंह साहनी (800 में से 500 अंक)
तृतीय	6263	श्री मरविन एन्ड्रयू जान रमोस (800 में 498 अंक)

1. "जी.पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार" श्री सत्याप्रणव नवीनचन्द्र (रोल नं. 6334) और श्री श्रीधर रामामूर्ति (रोल नं. 7249) को दिया गया (फाइनल परीक्षा नया पाठ्यक्रम)

2. सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिये फाइनल परीक्षा नये पाठ्यक्रम में 'रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार' श्री सत्याप्रणव नवीनचन्द्र (रोल नं. 6334) और श्री श्रीधर रामामूर्ति रोल नं. 7249) को दिया गया।

3. वर्ष 1985 के लिये सर्वोत्तम विद्यार्थी का "जी. बासु फाउन्डेशन पुरस्कार (श्री सुरेश राजागोपालन' (रोल नं. 7411) फाइनल परीक्षा नया पाठ्यक्रम मई 1985) को दिया गया।

4. एकाउटेंसी ग्रुप में वर्ष 1985 के लिये सर्वोत्तम विद्यार्थी का "एन.एन. दास पुरस्कार" कुमारी मोनिका एन. पारिख (रोल नं. 5920–फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा मई 1985) को दिया गया।

5. एकाउन्टेंसी में सर्वोत्तम पेपर के लिये "सर जार्ज जी जिजिभोयिया पुरस्कार श्री अब्बासी फकीरारबनेर एम (रोल नं. 8319-फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–200 में से 164) को दिया गया।

6. फाइनेन्सियल मैनेजमेंट में सर्वोत्तम पेपर के लिये "के.के. शेठ पुरस्कार" रो पराग्रोशाना परसो जान (रोल नं. 6338) फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–89 अंक को दिया गया।

7. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये "ए.एफ. फरगुसन पुरस्कार" तथा "आर. वेंकटेशन यादगार पुरस्कार "श्री एस. दुरई मूर्ति (रोल नं. 1473—फाइनल पुराना पाठ्यक्रम परीक्षा–69 अंक) को दिया गया।

8. ग्रुप 1 में सर्वोत्तम विद्यार्थी का "केरला वर्मा पुरस्कार" श्री जामुमदार कोशिक विष्णु (रोल नं. 6721 फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा 269 अंक) को दिया गया।

9. कम्पनी ला में सर्वोत्तम पेपर के लिये "यू.सी. मजूमदार पुरस्कार" तथा "एस.एम. शाह पुरस्कार" श्री सुधांशु भूषण बड्डा (रोल नं. 4792—फाइनल परीक्षा नया पाठ्यक्रम – 70 अंक) को दिया गया।

10. प्रत्यक्ष कर नियमों में सर्वोत्तम पेपर के लिये "एस.एम. शाह पुरस्कार" तथा "सूरी यादगार पुरस्कार" श्री सयता प्रणव नवीन चन्द्र (रोल नं. 6334 फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–80 अंक) को दिया गया।

11. अर्थशास्त्र में सर्वोत्तम पेपर के लिये "वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार" श्री सुदा विश्वनाथ पाण्ड्ये (रोल नं. 7489—फाइनल परीक्षा नया पाठ्यक्रम–71 अंक) को दिया गया।

12. फाइनल परीक्षा नये पाठ्यक्रम के ग्रुप 2 में सर्वोत्तम विद्यार्थी का "पी.एन. घोष यादगार पुरस्कार" श्री श्रीधर रामामूर्ति (रोल नं. 7249 270 अंक) को दिया गया।

13. फाइनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले सर्वोत्तम विद्यार्थी का "जयन्ती लाल के. ठक्कर यादगार पुरस्कार" श्री सुखबीर सिंह साहनी (रोल नं. 8365) और श्री प्रमोद कुमार डाड (रोल नं. 6011) फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा को दिया गया।

14. कास्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये "आर.बी.के. उमरजी पुरस्कार" श्री श्रीधर रामामूर्ति (रोल नं. 7249–फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–81 अंक) को दिया गया।

15. सर्वोत्तम महिला विद्यार्थी का "आर. शिवाभोकम पुरस्कार" कुमारी पूर्वी सरवीर कुमार डाक्टर (रोल नं. 6010 फाइनल नया पाठ्यक्रम परीक्षा–800 में से 481 अंक) को दिया गया।

इंटरमीडिएट परीक्षा (नया पाठ्यक्रम नवम्बर 1985)

निम्नलिखित विद्यार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

वरीयता	अनुक्रमांक	नाम
प्रथम	17224	कुमारी मिमथुका नरसिंहमन (700 में से 526 अंक)
द्वितीय	2457	श्री संजय वर्मा (700 में से 497 अंक)
तृतीय	5714	श्री मुकेश मोवानी (700 में से 496 अंक)

1. "जी.पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार" कुमारी मिथुका नरसिम्हन (रोल नं. 17224) को दिया गया।

2. वर्ष 1985 में सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिये "मूरी यादगार पुरस्कार" कुमारी मिथुका नरसिम्हन (रोल नं. 17224) को दिया गया।

3. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिए "दिनेश हिम्मतलाल शाह पुरस्कार" कुमारी अंजलि कृष्ण डामले (रोल नं. 10123—100 में से 72 अंक) को दिया गया।

परिशिष्ट—12

संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 7.5

उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम) के या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है। उन्हें फाइनल (नये पाठ्यक्रम) के प्रश्नपत्रों में प्राप्त छूट को दर्शाती हुई तालिका

सूची ए (पुराना पाठ्यक्रम) के अन्तर्गत उत्तीर्ण किये हुए ग्रुप	सूची बी. (नया पाठ्यक्रम) के अन्तर्गत छूट
ग्रुप 1 पेपर (1)—एडवांस एकाउंटिंग	ग्रुप 1 पेपर (1)—एडवांस एकाउंटिंग
पेपर (2)—एडवांस एकाउंटिंग एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटिंग	पेपर (2)—मैनेजमेंट एकाउंटिंग
पेपर (3)—कास्टिंग	ग्रुप 2, पेपर (8), समूह बी—कास्ट सिस्टम एंड कास्ट कन्ट्रोल (यदि परीक्षार्थी ने समूह "बी" को चुना हो)
पेपर (4)—आडिटिंग	ग्रुप 1 पेपर 3—आडिटिंग
पेपर (5)—टेक्सेसन	ग्रुप 2 पेपर 5—डारेक्ट टैक्स लॉज
ग्रुप 2	
पेपर (2) कम्पनी ला	ग्रुप 1 पेपर (4) कम्पनी ला

वार्षिक लेखा

आडिटरों की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया को, 31 मार्च 1986 तक का तुलन पत्र और इसी तिथि को समाप्त हुए संलग्न आय एवं व्यय के लेखे का जिसमें कि इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, क्षेत्रीय परिषद और उनकी शाखाओं तथा छात्र संघों और उनकी शाखाओं का दूसरे आडिटरों द्वारा आडिट किया हुआ लेखा शामिल है, का आडिट किया है और हम रिपोर्ट देते हैं कि :—

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के साथ आडिट के उद्देश्य के लिये आवश्यक हैं।

2. बैलेन्स सीट तथा आय एवं व्यय का लेखा जिसका वर्णन हमारी रिपोर्ट में किया गया, लेखों की किताबों के अनुरूप है।

3. हमारी राय में, लेखे, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम 1949 की शर्तों के अनुरूप रखे गये है।

4. हमारी राय में, और सभी प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार स्टेटमेंटस के साथ संलग्न अनुसूचियों और पढ़े हुए नोट्स निम्न के क्षेत्र में सही एवं उचित स्थिति प्रकट करती है :—

(1) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 1986 तक के कार्य कलाप के बारे में

(2) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखे में हुए मुनाफे के बारे में।

सी.पी. मेहरा — एम.आर. वेंकटारमन

चार्टर्ड एकाउन्टेंट — चार्टर्ड एकाउन्टेंट

नई दिल्ली

12 सितम्बर 1986

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ इंडिया

लेखा नीतियां

1. मूल्य ह्रास: अचल सम्पत्ति ऐतिहासिक लागत आधार पर दिखाई गई है और उसका मूल्य ह्रास ह्रासमान लेखा तरीके से किया है। पुस्तकालय की पुस्तकों को, जो कि प्रधान कार्यालय में है पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से किया गया है।

2. फैलो सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क एवं एसोसिएट सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का अधिकतम भाग को पूंजीगत मान लिया गया है। विद्यार्थी क्रिया-कलापों से होने वाले अधिशेष के उपयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और आरक्षित पूंजी में उपयुक्त होने वाले कोष का पूंजीगत आरक्षण स्थानान्तरित कर दिया गया है।

3. अध्ययन सामग्री और प्रकाशनों और पेपर के इन्वैन्ट्रीज को कम लागत और विकल्प प्राप्त होने वाली लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है। इस उद्देश्य के लिये लागत को सीधी लागत प्रणाली के आधार पर आंका गया है।

4. कर्मचारियों के ग्रेचुएटी की व्यवस्था सम्मृति के आधार पर की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम से एक ग्रेचुएटी तथा ग्रुप इंश्योरेंस पालिसी ली गई है। ग्रेच्युटी में अगर कोई भी कमी हो तो उसे भुगतान वाले वर्ष में डाला गया है।

5. निवेशों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है। सेमीनारों सिम्पोजियम्स और सम्मेलनों जो कि साल में आयोजित किये गये, से इस आय और व्यय को नगद आधार पर लिया गया है।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1986 तक का तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

	अनुसूची	31-3-1986 रुपये	रुपये	रुपए	31-3-1985 रुपए
नियुक्त कोष					
(1) स्थायी पूंजी		2,28,17,981		2,10,58,627	
कुल ब्लोक					
घटाये मूल्य ह्रास		85,37,312		74,77,244	
निवल ब्लाक	"ए"		1,42,80,669		1,35,81,383
(2) अनिवार्य निवेश	"बी"		52,13,823		48,73,388
(3) अन्य निवेश					
(ए) बैंकों में सावधि जमा		1,15,32,002		1,69,84,268	
(बी) सरकारी प्रतिभूति		2,506		2,506	
			1,52,34,508		1,69,86,774
(4) निवल चालू पूंजी	"सी"		28,27,419		(-) 3,84,221
योग			3,74,56,419		3,50,57,324
वित्तीय सहायता द्वारा					
(1) पूंजीगत जमा	"डी"		2,07,31,061		1,87,76,877
(2) सामान्य जमा	"ई"		99,07,150		99,20,632
(3) अन्य जमा	"एफ"		17,04,885		14,86,427
(4) निर्दिष्ट कोष	"जी"		51,13,823		48,73,388
योग			3,74,56,419		3,50,57,324

नोट :– जो कि 31 मार्च, 1986 के लेखे के भाग बनाते हैं।

(1) छात्र संघों के 3 शाखाओं (इंदौर, जोधपुर और जयपुर) के लेखे प्राप्त नहीं हुए इसलिए उन्हें सम्मलित नहीं किया गया है। यद्यपि वर्ष के दरमियान इन शाखाओं को दिये गये। दिये जाने वाले अनुदान और शुल्क को लिया गया है।

(2) क्षेत्रीय परिषदों के दो शाखाओं (लुधियाना और जमशेदपुर) के आडित किये हुए लेखे प्राप्त नहीं हुए। फिर शाखाओं के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित लेखों को सम्मिलित किया गया है।

पी. सी. जैन
अतिरिक्त उप सचिव

आर. एल. चोपड़ा
सचिव

पी. ए. नायर
अध्यक्ष

इस तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

आर. बालाकृष्णन
उपाध्यक्ष

सी. पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

एम. आर. वेंकटरमन
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय का लेखा

	1985-86 (रुपये)	1984-85 (रुपये)
1. आय – अनुसूची "एच"		
(ए) सदस्य		
(1) रेगुलेटरी	1,11,18,491	1,02,60,411
(2) व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान	20,05,261	14,76,081
	1,31,23,752	1,17,36,492
(बी) विद्यार्थी	2,21,48,913	2,16,97,222
योग	3,52,72,665	3,34,33,714
2. व्यय – अनुसूची "आई"		
(ए) सदस्य		
(1) रेगुलेटरी	50,77,751	34,95,376
(2) व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान	90,19,130	79,04,983
	1,40,96,921	1,14,00,359
(बी) विद्यार्थी	2,02,19,458	1,82,68,688
योग	3,43,16,379	2,96,69,04
3. वर्ष का अधिशेष		
(1) शिक्षा कोष को स्थानांतरण	9,64,727	17,14,267
(2) सामान्य कोष को स्थानांतरण	(–) 8,441	20,50,400
योग	9,56,286	37,64,667
योग	3,52,72,665	3,34,33,714

बी. सी. जैन
वरिष्ठ उप सचिव

आर. एल. चोपड़ा
सचिव

पी. ए. नायर
अध्यक्ष

इस तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

आर. बालाकृष्णन
उपाध्यक्ष

बी. पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट

एस. आर. वेंकटरामन
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट

12 सितम्बर 1986

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "ए" – आरक्षित पूंजी

(राशि रुपयों में)

क्रमांक	पूंजी	1-4-85 को लागत	शाखाओं तथा अन्य संबंधित समायोजन	वर्ष के दौरान जोड़	31-3-1986 को लागत	31-3-86 को मूल्य ह्रास	31-3-1986 को किताबी मूल्य	31-3-1985 को किताबी मूल्य
1.	भूमि	8,15,073	—	—	8,15,073	—	8,15,073	8,15,073
2.	भवन	97,58,595	(15,000)	1,45,416	98,89,011	18,91,659	79,97,352	80,70,872
2ए	भवन (कार्य प्रगति पर इत्यादिसहित)	—	—	1,17,134	1,17,134	—	1,17,134	—
3.	विद्युत इंस्टालेशन एवं फिटिंग	12,40,633	26,561	2,33,724	15,00,918	7,83,768	7,17,150	5,56,688
4.	एयर कंडीशन इंस्टालेशन	14,81,117	—	1,59,708	16,40,825	9,36,125	7,04,700	6,74,318
5.	फर्निचर एंड फिक्चर	30,07,155	(49,968)	4,77,855	34,35,042	14,94,980	19,40,152	16,97,773
6	लिफ्ट	2,84,041	—	25,871	3,09,912	1,62,122	1,47,790	1,38,340
7.	आफिस सामान	12,83,643	25	1,93,836	14,77,504	8,55,416	6,22,088	5,37,085
8.	वाहन	76,985	—	—	76,985	45,452	31,533	39,416
9.	पुस्तकालय	31,11,385	(11,652)	3,38,679	34,38,412	23,44,447	10,93,965	10,51,818
10.	कम्प्यूटर	—	—	1,17,165	1,17,165	23,433	93,732	—
	योग	2,10,58,627	(50,034)	18,09,388	2,28,17,981	85,37,312	1,42,80,669	1,35,81,383

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "बी" — निर्दिष्ट निवेश

(राशि रुपयों में)

	बैंकों में सावधि जमा		अन्य बैंकों में शेष		सरकारी प्रतिभूतियों में		योग	
	31-3-86	31-3-85	31-3-86	31-3-85	31-3-86	31-3-85	31-3-86	31-3-85
(ए) शिक्षा कोष निवेश योग "ए"	28,64,653	26,30,413	—	—	—	—	28,64,653	26,30,413
(बी) अन्य उद्देश्य निवेश :								
(ए) अनुसंधान कोष	6,80,250	6,80,250	—	—	—	—	6,80,250	6,80,250
(बी) पदक एवं पुरस्कार कोष	2,08,211	1,95,534	40,525	25,088	80,025	80,025	3,28,761	3,00,647
(सी) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	2,28,682	2,24,654	—	4,028	—	—	2,28,682	2,28,682
(डी) अन्य	9,47,372	9,81,155	64,105	52,241	—	—	10,11,477	10,33,396
योग "बी"	20,64,515	20,81,593	1,04,630	81,257	80,025	80,025	22,49,170	22,42,975
योग (ए+बी)	49,29,168	47,12,006	1,04,630	81,357	80,025	80,025	51,13,823	48,73,388

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "सी"—निवल चालू पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण	रुपये	31-3-1986 रुपये)	रुपये	31-31-86 रुपये
चालू पूंजी :				
(ए) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी		29,34,128		33,42,006
(बी) प्राप्त राशि :				
1. निवेशों पर ब्याज	9,83,565		8,61,230	
2. भवन एवं वाहन ऋण पर ब्याज	6,60,234		5,32,603	
3. अन्य	21,68,621	38,12,420	18,83,708	32,77,541
(सी) ऋण एवं अग्रिम राशि :				
1. कर्मचारियों को गृह एवं वाहन हेतु अग्रिम	33,16,428		30,68,489	
2. अन्य	2,08,555		64,570	
	35,24,983		31,33,059	
2. विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां	73,055		4,03,934	
3. अन्य	8,32,602	44,30,640	5,68,955	41,05,948
(डी) नकद एवं बैंक राशि	49,79,181		52,42,235	
इकट्ठा करने वाले बैंकों के नाम में	20,49,479	70,28,660	10,89,806	63,32,041
योग		1,82,05,848		1,70,57,536
घटायें :				
(ए) अग्रिम प्राप्त शुल्क		1,07,88,509		1,22,13,679
(बी) व्यय के लिये ऋणदाता		30,68,116		28,59,948
(सी) अन्य देयतायें		11,19,487		20,17,928
(डी) क्षेत्रीय परिषदों की आन्तरिक इकाइयों में बकाया (एडजस्टमैंट के शर्त पर)		4,42,317		3,50,202
योग		1,53,78,429		1,74,41,757
निवल चालू पूंजी		28,27,419		(—) 3,84,221

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "डी"—रिजर्व पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-86 रुपये	31-3-85 रुपये
(ए) सामान्य : "ए"			
पिछले लेखे के अनुसार बकाया		1,40,77,250	1,26,66,252
जोड़ें : कानपुर, मद्रास एवं इरनाकुलम बिल्डिंग के अतिरिक्त निर्माण हेतु प्राप्त दान		2,09,784	3,72,398
जोड़ें : प्रवेश शुल्क एवं नियम प्रवेश शुल्क		11,47,400	10,38,600
	योग	1,54,34,434	1,40,77,250
(बी) शिक्षा : "बी"			
पिछले लेखे के अनुसार बकाया		46,99,627	23,31,627
जोड़ें : शिक्षा कोष से स्थानान्तरण		5,97,000	23,68,000
	योग	52,96,627	46,99,627
पूरा योग (ए—बी).		2,07,31,061	1,87,76,877

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "ई"—सामान्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-86 रुपये	31-3-85 रुपये
पिछले लेखे के अनुसार शेष	99,20,632	78,78,052
घाटा अधिशेष आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरण	(–) 8,441	20,50,400
योग	99,07,150	99,20,632

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "एफ"—अन्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-86 रुपये	31-3-85 रुपये
पिछले लेखे के अनुसार शेष	14,86,427	14,64,119
जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल एडीशन/एडजस्टमेंट	2,17,958	1,50,308
	17,04,385	16,14,427
घटायें : निर्दिष्ट कोष को स्थानान्तरण	---	(--) 1,28,000
योग	17,04,385	14,86,427

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "जी"—निर्दिष्ट कोष

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-86 रुपये	31-3-85 रुपये
(ए) शिक्षा कोष :			
पिछले खाते से शेष		26,30,413	31,38,726
आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरण		9,64,727	17,14,267
साल के दरमियान कमाया ब्याज		1,42,017	1,72,285
		37,37,157	50,25,278
घटाये : —(ए) आरक्षित पूंजी को स्थानान्तरण		(—) 5,97,000	(—) 23,68,000
(बी) समायोजन		(—) 2,75,504	(—) 26,865
	योग "ए"	28,64,653	26,30,413
(बी) अन्य निर्दिष्ट कोष :			
(ए) अनुसंधान कोष		6,80,250	6,80,250
(बी) पदक एवं पुरस्कार कोष—पिछले खाते से शेष		3,00,647	2,61,112
साल के दरमियान अधिक्य		14,848	38,549
साल के दरमियान अर्जित ब्याज		30,079	21,004
		3,45,574	3,20,665
घटाये : —पुरस्कार में दिये गये पदकों एवं पुरस्कार की कीमत		(—) 16,813	(—) 20,018
		3,28,761	3,00,647
(सी) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष—पिछले खाते से शेष		2,28,682	2,28,682
(डी) अन्य :			
1. पिछले खाते से शेष		10,33,396	7,31,286
2. साल के दरमियान अधिक्य		15,500	1,10,000
3. सामान्य आरक्षण से स्थानान्तरण		—	1,28,000
4. अन्य आरक्षणों से स्थानांतरण		—	1,28,000
5. समायोजन (एडजस्टमेंट)		(—) 1,10,000	—
जमा : — साल के दरमियान अर्जित ब्याज		70,646	57,446
		10,14,583	10,34,552
घटायें : —साल के दरमियान खर्च		(—) 3,116	(—) 1,156
		10,11,477	10,33,396
	योग "बी"	22,49,170	22,42,975
	पूर्ण योग (ए+बी)	51,13,823	48,73,388

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची "एच"

31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे का अनुलग्नक

राशि रुपयों में

	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
			रेगुलेटरी		व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान			
	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985
आय								
1. प्रवेश शुल्क (नियमित)	4,40,900	4,00,200	4,40,900	4,00,200	—	—	—	—
2. सदस्यता शुल्क	97,01,977	86,73,345	97,01,977	86,73,345	—	—	—	—
3. स्नातकोत्तर कोर्स शुल्क	19,700	15,900	—	—	19,700	15,900	—	—
4 विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	13,32,740	12,04,440	—	—	—	—	13,32,740	12,04,440
5. छात्र संघ शुल्क	1,06,660	92,560	—	—	—	—	1,06,660	92,560
6. कोचिंग शुल्क	98,14,291	90,44,208	—	—	—	—	98,14,291	90,44,208
7. परीक्षा शुल्क	71,30,634	77,66,382	—	—	—	—	71,30,634	77,66,382
8. जर्नल एवं न्यू लैटर	4,60,152	3,48,360	—	—	—	—	4,60,152	3,48,360
9. प्रकाशन	32,35,142	31,63,679	—	—	14,04,458	9,28,183	18,30,684	22,35,496
10. निवेशों पर ब्याज	1,71,336	1,67,195	—	—	1,01,480	98,422	69,856	68,773
11. केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव हेतु नामांकन शुल्क	97,400	—	97,400	—	—	—	—	—
12. अन्य	7,53,129	3,69,871	—	5,686	4,22,765	2,39,174	3,30,364	1,52,011
उपयोग	3,32,64,061	3,12,73,140	1,02,40,277	90,79,231	19,48,403	12,81,679	2,10,75,381	2,09,12,230
13. सामान्य कोष निवेश से आय (नियमित)	16,57,007	17,71,770	7,78,214	11,81,180	—	—	7,78,793	5,90,590
उपयोग	3,49,21,068	3,30,44,910	1,11,18,491	1,02,60,411	19,48,403	12,81,679	2,18,54,174	2,15,02,820
14. समय से पहले समायोजना***	3,51,597	3,88,804	—	—	56,858	1,94,402	2,94,739	1,94,402
योग	3,52,72,665	3,34,33,714	1,11,18,491	1,02,60,411	20,05,261	14,76,081	2,21,48,913	2,16,97,222

***इसमें 2,90,209 रुपये शामिल हैं, जो कि परीक्षा विभाग के एक बैंक के खाते के रिकनसाइल में एडजस्टमेंट के रूप में हैं।

अनुसूची "आई"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का अनुलग्नक

राशि रुपयों में

	योग		सदस्य रेगुलेटरी		व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान		विद्यार्थी	
	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985
व्यय								
1. वेतन एवं कर्मचारी व्यय	1,16,27,340	96,76,106	23,73,521	18,75,171	24,32,173	21,43,814	68,21,646	56,57,121
2. छपाई एवं स्टेशनरी	11,50,034	10,12,590	1,40,157	1,24,120	5,27,066	4,72,378	4,82,811	4,16,092
3. प्रकाशन	20,86,806	22,20,092	5,93,295	4,20,910	5,83,986	6,60,075	9,09,525	11,39,107
4. जर्नल एवं न्यूज लैटर	25,65,272	21,68,455	—	—	21,75,804	18,44,279	3,89,468	3,24,176
5. कोचिंग (वेतन एवं कर्मचारी खर्च को छोड़कर)	32,83,703	30,33,957	—	—	—	—	32,83,703	30,33,957
6. परीक्षाएं (वेतन एवं कर्मचारी खर्च को छोड़कर)	51,63,490	49,67,875	—	—	—	—	51,63,490	49,67,875
7. डाक, तार एवं टेलीफोन	10,31,507	9,30,918	2,25,017	2,07,667	3,20,080	2,82,855	4,86,410	4,40,396
8. किराया, दर एवं कर	14,15,176	11,56,165	2,82,930	2,41,627	4,95,522	3,83,870	6,36,724	5,30,668
9. मरम्मत एवं रख-रखाव	5,54,990	3,79,338	1,21,237	87,182	1,73,769	1,10,139	2,59,984	1,82,017
10. मूल्य ह्रास	11,27,221	9,91,300	2,81,805	2,47,826	2,81,806	2,47,825	5,63,610	4,95,649
11. यात्रा एवं परिवहन:—								
(ए) परिषद् के सदस्य	10,45,080	9,91,249	2,23,768	1,85,107	5,06,383	4,94,766	3,14,929	3,11,376
(बी) कर्मचारी एवं अन्य	4,88,135	3,69,174	1,00,017	56,012	1,71,783	1,27,930	2,16,335	1,85,232
12. पुस्तकालय रख-रखाव	85,675	48,970	—	—	38,928	29,528	46,747	19,442
13. विदेशी संबंध	4,03,476	3,63,866	—	—	4,03,476	3,63,866	—	—
14. व्यवसायिक शुल्क	2,41,295	2,72,288	34,659	43,459	1,08,700	1,17,588	97,936	1,12,241
15. चुनाव	7,01,385	7,295	7,01,385	7,295	—	—	—	—
16. अन्य	12,96,353	10,79,409	—	—	763,801	6,26,070	5,32,552	4,53,339
उपयोग	3,42,66,938	2,96,69,047	50,77,791	34,95,376	89,83,277	79,04,983	2,02,05,870	1,82,68,688
17. पहले का समायोजन	49,441	—	—	—	35,853	—	13,588	—
योग	3,43,16,379	2,96,69,047	50,77,791	34,95,376	90,19,130	79,04,983	2,02,19,458	1,82,68,688

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली
वर्ष 1985-86 को सदस्यों पर किये गये खर्च का ब्यौरा

परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	1985-86	1984-85
1.	(ए) सदस्यों की संख्या	40,331	36,254
	(बी) कुल खर्च*	14,097	11,400
2.	प्रति सदस्य कुल खर्च	350	314
3	रेगुलेटरी		
	(ए) कुल खर्च*	5,078	3,495
	(बी) प्रति सदस्य खर्च	126	96
	(सी) प्रतिशत	36 प्रतिशत	31 प्रतिशत
4	व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान		
	(ए) कुल खर्च*	9,019	7,905
	(बी) प्रति सदस्य खर्च	224	218
	(सी) प्रतिशत	64 प्रतिशत	69 प्रतिशत

*रुपए हजारों में

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली
31 मार्च को समाप्त वर्ष में वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन का विवरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	1985-86	1984-85
कोषों का स्रोत:		
सम्पत्ति एवं निवेश से निवल आय (पूंजी एवं राजस्व दोनों पर)	20.57	21.73
प्रवेश शुल्क एवं दान के रूप में पूंजीगत प्राप्तियां	12.20	16.86
निवेशों की निकासी	15.11	—
	47.88	38.59
वर्ष का अधिक्य-बिना मूल्यह्रास आर्ज किये तथा निवेशों एवं सम्पत्ति से उपार्जित राजस्व आय पर विचार करते हुए	02.32	28.80
योग	50.20	67.39
कोषों का विनियोग:		
कार्यकारी पूंजी में बढ़त	32.11	33.44
अचल पूंजी का अधिग्रहण	18.09	22.53
निवेशों का अधिग्रहण	—	11.42
योग	50.20	67.39

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

चालू पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	1985-86	1984-85
चालू संपत्तियां		
(ए) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी	(—)04.08	08.40
(बी) प्राप्त राशि—		
निवेशों पर ब्याज	01.22	00.78
भवन एवं वाहन ऋण पर ब्याज	01.27	05.33
अन्य	02.95	00.10
(सी) ऋण एवं अग्रिम		
1. कर्मचारियों को अग्रिम	03.92	08.74
2. विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां	(—)03.31	00.34
3. अन्य	02.64	00.53
(डी) नकद एवं बैंक अधिशेष	06.97	23.48
योग	11.48	45.96
चालू देयताएं		
(ए) अग्रिम प्राप्त शुल्क	(—)14.25	11.41
(बी) व्यय के लिये ऋणदाता	01.68	11.55
(सी) अन्य देयताएं	(—)08.06	12.38
योग	(—)20.63	12.52
चालू पूंजी में निवल बढ़ोतरी	32.11	33.44

आर०एल० चोरड़िया, सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1986.

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(5)037|86.—In pursuance of Sub-section (5) of Section 13 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audited accounts of the Council for the year ended 31st March, 1986 is hereby published for general information.

37TH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1986

In accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council has pleasure in presenting its 37th Annual Report. The report not only covers the activities of the Institute for the year ended March 31, 1986 but also refers to some of the significant activities upto the date of this report.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various Committees.

The 12th Council held office till 16th September, 1985 and the 13th Council, which consists of 24 members of the Institute elected from five regional constituencies and 6 members nominated by the Central Government, was constituted on 17th September, 1985. The composition of the two Councils and their committees for the period (a) from 1st April, 1985 to 16th September, 1985 and (b) from 17th September, 1985 to 31st March, 1986, is given in Appendices I and II respectively.

1.2 President and Vice-President

Shri A. C. Chakrabortti and Shri P. A. Nair continued as President and Vice-President respectively until September 16, 1985. Shri P. A. Nair and Shri R. Balakrishnan were elected as President and Vice-President respectively for a term of one year with effect from September 17, 1985.

1.3 Council meetings

During the year 1985-86, the Council held five meetings—113th on April 11, 12, and 13, 1985 at Bombay, 114th on July 11 and 12, 1985 at New Delhi; 115th on September 14, 15 and 16, 1985 at New Delhi; 116th on September 17, 1985 at New Delhi and 117th on December 19, 20 and 21, 1985 at New Delhi.

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants

(a) The Institute continues to be a member of the International Federation of Accountants (IFAC). India continues as an elected member of the Council of the IFAC and is represented on its Education Committee, International Auditing Practices Committee and Financial and Management Accounting Committee.

(b) Shri B. L. Kabra, a past President of the Institute, continues to represent India on the Council of the IFAC.

(c) Shri Bansi S. Mehta, a past President of the Institute, continues be the Chairman of the Education Committee of the IFAC.

(d) Shri Y. H. Malegam, a past President of the Institute, continues to represent India on the International Auditing Practices Committee of the IFAC.

A meeting of the IFAC Education Committee was held in New Delhi on February 20-21, 1986. On this occasion, seminar was also organised to focus the International Guidelines on Education and review the future programme of the Education Committee. In addition, a joint meeting of the representatives of our Institute and of the Institute of Cost and Works Accountants of India with the members of the IFAC Education Committee was organised. At the meeting, several matters of common interest concerning education and training objectives and programmes of the two Institutes were discussed.

The President, Shri P. A. Nair, attended the meeting of the Council of IFAC in Zurich in May, 1986 as Technical Advisor to the Indian representative on IFAC Council.

2.2 International Accounting Standards Committee

Shri P. A. Nair, President of the Institute is presently a member of the Steering Committee of the International Accounting Standards Committee on "Disclosures in Financial Statements of Banks".

2.3 Confederation of Asian and Pacific Accountants

India continues to be represented on the Executive Committee of the Confederation of Asian and Pacific Accountants through our sister Institute, the Institute of Cost and Works Accountants of India.

2.4 South Asian Federation of Accountants (SAFA)

A meeting of the Assembly of the South Asian Federation of Accountants was held in Colombo, Sri Lanka, on December 3-4, 1985, under the Chairmanship of Shri P. N. Shah, the then President of the Federation and a past President of the Institute. Shri P. A. Nair, President of the Institute, Shri A. C. Chakrabortti, immediate past President of the Institute, and Dr. Kamal Gupta, FCA, Technical Director of the Institute and the then Secretary of the Federation, attended the meeting. At the meeting, Mr. L. R. Watawala of Sri Lanka and Mr. Ibrahim Dahoodwala of Pakistan were elected respectively as the President and Vice-President of the Federation for the year 1986. Shri P. A. Nair is presently the Institute's representative on the Assembly of the Federation.

The Assembly meeting was followed by the First Conference of South Asian Federation of Accountants on December 4—7, 1985. The theme of the Conference, viz. "Accountancy Profession, Perspectives and Prospects" sought to underline the current status of the profession and probe into its future prospects, particularly in the context of the changing economic

and technological environment in the South Asian region. More than 300 delegates from Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka and Nepal attended the Conference. The delegation of the Institute at the Conference was led by Shri P. A. Nair.

Another meeting of the SAFA Assembly was held in Dhaka, Bangladesh on July 25, 1986. The meeting was attended by Shri P. A. Nair in his capacity as the Institute's representative on SAFA Assembly and by Shri R. L. Chopra as technical advisor to Shri Nair. A seminar under the auspices of SAFA was also organised on July 26-27, 1986. The seminar was jointly hosted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh. About 400 delegates participated in the deliberations at the seminar. Shri R. N. Roy, a member of our Institute, presented a paper at the seminar on the subject "Impact of Computers on Accounting and Auditing". Shri Nair presided on the second technical session on "Role of Management Accountants in a Modern Enterprise."

2.5 11th CAPA Conference

The 4th Conference of the Asian and Pacific Accountants (CAPA) is being held in Melbourne, Australia from 9th to 13th November, 1986. The theme of the Conference is "Accountants, Image—Challenge and Change". Shri Bhaskar Banerjee, a member of our Council has been given the joint authorship of a paper titled "Accountants—Their Professional and Social Responsibilities Today and Tomorrow". The Institute would be sending a delegation to attend the Conference.

2.6 13th World Congress of Accountants

The 13th World Congress of Accountants is scheduled to be held in Tokyo, Japan on October 11—15, 1987. The theme of the Congress is "The Role of the Accountant in a Computer Environment". Shri R. N. Roy, a member of our Institute, has been selected as preparer of a paper on "Audit of Simple EDP Systems". The Institute would be sending a delegation to attend the congress.

2.7 Overseas Seminars

The Institute organised a seminar each at Dubai and Doha on April 25 and 26, 1986 respectively. The Faculty for the seminars comprised of Shri N. P. Sarda, FCA, Bombay and Dr. Kamal Gupta, FCA, Technical Director of the Institute. At the Seminars, recent trends in accounting, auditing and corporate finance were discussed. Both the seminars were very well attended.

2.8 Responses to International Technical Documents

The Institute continues to respond to the technical documents issued by the International Federation of Accountants and the International Accounting Standards Committee.

2.9 Visits of Foreign Dignitaries.

The prominent foreign dignitaries who visited India during the year included Dr John O Miller (President of the Confederation of Asian and Pacific Accountants), Mr. Brian Jenkins (President of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales), and Mr. David Cairns (Secretary General of the International Accounting Standards Committee). Matters of mutual interest were discussed with them during these visits.

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES

3.1 General

The following paragraphs give a brief review of the Professional Development Activities of the various non-standing committees constituted by the Council of the Institute, during the Council year i.e., September 17, 1985 to September 16, 1986. The review does not include the activities of the period from April 1, 1985 to September 16, 1985, as these have already been included in the 36th Annual Report submitted last year. It does not also include details of the activities of the Regional Councils and their branches.

3.2 Accounting Standards Board

(a) Issuance of Accounting Standards :—Since the issuance of the preface to the Statements of Accounting Standards in January 1979, the Council has issued the following ten definitive Accounting Standards of which Accounting Standards (ix) and (x) were issued during the period under report.

(i) Accounting Standard—1 on "Disclosure of Accounting Policies" (AS-1)—November, 1979.

(ii) Accounting Standard—2 on "Valuation of Investment" (AS-2) June, 1981.

(iii) Accounting Standard—3 on "Changes in Financial Position" (AS-3) - June 1981.

(iv) Accounting Standard—4 on "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet Date" (AS-4)—November, 1982.

(v) Accounting Standard—5 on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" (AS-5)—November, 1982.

(vi) Accounting Standard—6 on "Depreciation Accounting" (AS-6) -November, 1982.

(vii) Accounting Standard—7 on "Accounting for Construction Contracts" (AS-7)—December, 1983.

(viii) Accounting Standard—8 on "Accounting for Research and Development" (AS-8)—January, 1985.

(ix) Accounting Standard—9 on "Revenue Recognition" (AS-9)— November, 1985.

(x) Accounting Standard—10 on "Accounting for Fixed Assets" (AS-10)—November, 1985.

Apart from the above, the Board has also issued a guidance note on "Terms Used in Financial Statements".

(b) Implementation of Accounting Standards :- Efforts are continuing to implement, in a phased manner, the Accounting Standards.

With a view to give wide publicity about the utility of Accounting Standards, a publicity brochure has been prepared by the Board and the same is being circulated among various organisations The brochure gives detail about the composition of the Board, its objectives and procedure for developing of Accounting Standards. In addition, a large number of seminars were organised during the period under report to enable familiarisation with the Standards.

(c) Accounting Standards under Formulation : Standards on the following subjects are under formulation :

(i) Accounting for Taxes on Income.

(ii) Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statement of Employers.

(iii) Accounting for the effects of changes in Foreign Exchange Rates.

(iv) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

3.3 Auditing Practices Committee

(a) Long-Form Audit Report in Bank Audits :

During the year 1985 the Reserve Bank of India advised the public-sector banks to get Long-Form Audit Reports from the auditors of their head offices and controlling offices and from the auditors of their branches. For this purpose two separate questionnaires were designed by the Reserve Bank of India. Considering the need for providing guidance to the members on this vital issue and also to benefit from their experience in the matter, the Committee issued a discussion paper on the subject in December 1985 inviting public comments. Based on the comments received on the discussion paper, Committee has now finalised a Guidance Note on the subject.

(b) Study on Audit of Banks

During the year the Committee also finalised the revision of the Institute's existing publication dealing with Audit of Banks. The revised edition titled "Study on Audit of Banks" integrates the requirements of tax audit and Long-form Audit Report with the requirements of statutory bank branch audit. It also takes into account the latest directives of the Reserve Bank of India and other changes in the banking environment in th country.

(c) Statements on Standard Auditing Practices

The Committee published the Exposure Drafts of two Statements on Standard Auditing Practices as below :—

(i) Fraud and Error.

(ii) Control of the Quality of Audit Work.

Based on the comments received from the members, the Committee has now finalised these drafts and submitted the same to the Council for consideration and approval Once approved, these will be issued as Statements on Standard Auditing Practices.

Statements on Standard Auditing Practices on the following subjects are also at various stages of formulation:

(i) Audit Evidence.

(ii) Using the Work of the Internal Auditor.

(iii) Study and Evaluation of the Accounting System and Related Internal Control in Connection with an Audit.

(iv) The Auditor's Report on Financial Statements.

The Committee has constituted Study Groups at Bombay, Calcutta and Madras to formulate preliminary drafts of the Statements on Standard Auditing Practices for the consideration of the Committee. Another Study Group at Delhi is engaged in the task of developing preliminary drafts of the Guidance Notes based on the Institute's existing publication titled "Statement on Auditing Practices".

(d) Responses to documents issued by IFAC & IASC.

A study group of the Committee at New Delhi is engaged in the task of preparing initial responses to various documents issued by the International Federation of Accountants and the International Accounting Standards Committee.

3.4 Research Committee

(a) Published Literature

The following publications were released for sale during the year:

(i) Compendium of Statements and Standards.

(ii) Compendium of Guidance Notes.

(iii) Trends in Published Accounts (a revised verson of existing Precedents in Published Accounts).

(iv) Study on Audit of Companies Carrying on General Insurance Business.

(v) Guidance note on treatment of expenditure during construction period (A revised edition of the study on expenditure during construction period).

(b) Studies in the process of publication.

(i) Accounting and Auditing Technical Guide on Fertilizer Industry.

(ii) Guidelines on Internal Audit—Construction Industry.

(iii) Guidelines on Internal Audit—Sugar Industry.

(c) Publications under finalisation by the Committee.

(i) Study on Use of Financial Information for Determination of Sickness in Industry.

(vii) Accounting and Auditing Technical Guides on:—

(a) Automobile Industry

(b) Drug and Pharmaceutical Industry.

(viii) Guidance Note on Accounting for Leases.

(ix) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulation Act.

(d) Projects in progress

(i) Statistical Sampling Techniques—An Aid to Audit Practices.

(ii) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry.

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide —Hotel Industry.

(iv) Impact of the Pronouncements of the Institute on the Financial Statements of Companies.

(v) Accountant's Guide of Law of Customs Duty.

(vi) Guidelines on Internal Audit—Tyre industry.

(vii) Studies on:

(a) MRTP Act.

(b) Insurance Audit—LIC.

(c) Audit of Public Trusts.

(d) Hospital Accounting and Management Control Systems.

(e) Computer and the Auditor.

(viii) Guidance Note on Accounting for MODVAT.

(e) Existing publications in the process of revision

(i) Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts.

(ii) The Payment of Bonus Act 1965—An Accountant's Study.

(iii) Technical Guide for Audit of Educational Institutions.

(iv) Technical Guide for Audit of Cooperative Societies.

(v) Study on Valuation of Shares.

(vi) Price Fixation in Indian Industries.

(vii) Guidance Note on Accounting Treatment of Reserves in Amalgamation.

(viii) Guidance Note on Accounting for Changing Prices.

(ix) Statement on changes in the Mode of Charging Depreciation in the Accounts.

(f) Shield Panel

ANNUAL AWARD OF PRIZES FOR THE BEST PRESENTED ACCOUNTS FOR 1984—85

(a) COMPANIES AND NON-FINANCIAL STATUTORY CORPORATIONS.

The Panel of Judges for the annual competition for the Year 1984-85 have adjudged the Annual Report and Accounts of

HMT LTD

(for the year ended 31st March, 1985)

as the best and accordingly it has decided to award its Silver Shield to this company.

This Panel of Judges have also highly commended the Annual Reports and Accounts of the following companies and have accordingly decided to award the Plaques to

THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTD

(for the year ended 31st July, 1984)

INDIAN OIL CORPORATION LTD

(for the year ended 31st March, 1985)

THE MINERALS AND METALS TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.

(for the year ended 31st March, 1985)

(b) BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 1984-85.

The Panel of Judges also considered the Accounts of Banks and Financial Institutions and adjudged the Annual Report and Accounts of

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

(for the year ended 31st December, 1984)

as the best among the entries received from banks and financial institutions and have accordingly decided to award the Silver Shield to this bank.

Note: The listing of the companies whose accounts have been highly commended is alphabetical and it does not denote any ranking on the basis of merit.

(c) ENTITIES SUCH AS PUBLIC TRUSTS, CO-OPERATIVE SOCIETIES, RESEARCH AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS, ETC. FOR 1984-85.

The Panel of Judges separately considered the Accounts of above mentioned entities and adjudged the Annual Report and Accounts of

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LTD.

(for the year ended 30th June, 1984)

as the best among the entries received and have accordingly decided to award the Plaque to it.

3.5 Professional Development Committee.

(a) Empanelment procedure and other matters relating to audit of accounts of branches of nationalised banks and regional rural banks.

At the request of the concerned authorities, the Committee collected information from practising members of the Institute for empanelment as auditors of public sector banks and their branches for the year 1985 in accordance with the guidelines indicated by the authorities The information given by members who submitted their applications was computerised and the same was sent to the concerned authorities. Similar information audit of accounts of branches of public sector banks including regional rural banks for the year 1986 has been collected from the practising members of the Institute and the same has been processed on the computer for preparing a list in accordance with the guidelines indicated by the authorites. The list so prepared has been sent to the concerned authorities as per their requirements. The committee also took up a number of issues regarding the empanelment with the authorities on the basis of the representations received from members.

(b) Members in Industry

A Committee for Members in Industry has been constituted.

(i) to consider ways and means to enhance participation of members in service in the affairs of the Institute.

(ii) to consider matters affecting members in service in particular to consider problems relating to career planning ethics and other related matters as they affect the members in service.

(iii) to provide employment service both for the benefit of the members seeking employment in industry and the prospective employers and

(iv) to explore and develop fresh avenues of employment for members in industry.

The Committee comprises of a number of eminent members in industry.

In pursuance of the decision of the Committee, a series of articles is being published in the Journal with a view to provide guidance to members regarding employment opportunities in various sectors of the economy and in foreign countries. A number of views and suggestion were received from the members in response to the President's page in November 1985 issue of the Journal regarding improvement in the quality of relationship between the members in industry and the Institute. Action has been initiated on the basis of the views and suggestions received from the members. It has also been decided that the Regional Councils would constitute committee for members in industry to discuss matters relating to members in industry in the respective regions.

(c) Continuing Education Programme

A residential course for Finance and Accounts Executives in industry was organised form February 13 to 16, 1986 at Suraj Kund, Haryana.

(d) Internal Audit .

(i) A Committee on Internal Audit has been constituted to consider matters relating to internal audit work and to streamline the role of chartered accountants as internal auditors

(ii) The Sixth All India Conference on Internal Audit was held at Madras on September6—7, 1986. The conference discussed the various aspects of the internal audit function and deliberated on the expanding role of the Internal Auditor. There were four technical sessions in the conference to discuss the various aspects of Internal Auditing through twelve papers.

(e) Publication on Professional Opportunities to Members.

Keeping in view the changes which have taken place since the first edition of the aforesaid publication, it has now been revised and updated for the use of the members. A copy of this publication is given free to all the new members.

(f) Seminars on Bank Audit with Special reference to Long Form Audit Report.

In response to the request made by the Committee the Regional Councils organised technical seminars on Bank Audit with special reference to Long Form Audit Report at various places in their regons. In all more than 40 seminars were held. For this purpose, common background material was prepared centrally and distributed to various Regional Councils and branches.

(g) Internal Audit of Banks

A representation was made to all the nationalised banks emphasising the need and to utilise the services of Chartered Accountants in a greater degree for carrying out concurrent or internal audit of their banks and branches. In respose to our request all the nationalised banks have informed us that they are utilising the services of Chartered Accountants for the purpose. In order to provide help and guidance to the members in carrying out these audits smoothly and efficiently, the Committee has decided to bring out a Guidance Note on Internal Audit of Banks

(h) Amendment of Co-operative Societies Act to provide for audit of Co-operative Soceities by chartered Accountants.

At the behest of the Committee, the Regional Councils and branches of Regional Councils at State Capitals have represented to the appreriate authorities in their States(s) for the amendment of the Co-operative Societies Act to provide for audit of Co-operative Societies by Chartered Accountants. The members of the Council have also been pursuing the matter at the personal level. The Andhra Pradesh Government has issued circulars indicating that (a) District Co-operative Audit Officers could entrust audit to any chartered accountant in the case of an insti-

tution where audit was in arrears and (b) entrustment of internal audit of accounts of co-operative sugar factories to chartered accountant and (c) constitution of State level Committee wherein one of the representatives would be a chartered accountant.

(i) Guidelines on Import and Export certificates.

The Import and Export Policy and Hand-Book of Imports and Exports Procedures 1985—88 issued by the Chief Controller of Imports and Exports contains varoius forms requiring certification by chartered accountants. The Committee is making efforts to bring out a guidance note to assist the members in discharging their duties while certifying information as prescribed by the authorities.

(j) Making Self-regulatory measures mandatory.

The Council has been issuing, from time to time, certain self-regulatory measures with the objective of ensuring equitable flow of professional work among members of the institute. A complete text of the Self-regulatory measures was last published in January 1985 issue of "The Chartered Accountant".

The Council at its 118th meeting held in April 1986 decided that the self-regulatory measures should be made mandatory. The manner of implementation of this decisoin is under consideration.

3.6 Company Law Committee

(a) Seminar

The 18th All India Seminar on Taxation and Company Law was held jointly by the Taxation and Company Law Committees at Bombay from 11th to 13th April 1986 details given in para 3.7 (a).

(b) Guidance Note on Reports in Company Prospectuses.

The Committee has issued the Guidance Note on on 'Reports in Company Prospectuses' and copies thereof are available for sale. The note gives detailed guidance to assist our members who are called upon to give certain reports on financial matters.

(c) Guidance Note on Section 293-A of the Companies Act.

In view of the elaborate amendments made in section 293A of the Companies Act 1956, the Commitee has brought out a revised edition of the Guidance Note on Section 293A of the Companies Act.

(d) Chartered Accountants as Head of Finance & Accounts Departments

A representation was made to the Secretary, Govt. of India, Department of Company Affairs in November 1985 suggesting therein the amendment of the Companies Act, 1956 to provide that companies listed on any stock exchange or companies having a paid-up share capital of Rs. 50 lakhs or more should compulsorily have a Chartered Accountant to head their Finance and Accounts Department. The same is under the consideration of the Department of Company Affairs.

(e) Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.

Consequent upon the intermittent issuance of the various circulars and release of the Amendment Rules, 1975, the Committee has revised the Note on 'Companies (Acceptance of Deposits) Rules 1975' and the same is under print.

(f) Recognition of C.A. qualification for Section 309 of Companies Act.

A representation has been made to the Department of Company Affairs suggesting that a general approval to the qualification of being chartered accountant in practice be considered as sufficient qualification for the purpose of Section 309 and other related provisions of the Companies Act, 1956.

(g) Dialogue with Government on Company Law

The Committee continued to discuss with the Government and respond to the various issues relating to Company Law.

3.7 Taxation Committee

(a) Seminar|Residential course

(i) The 18th All India Seminar on Taxation and Company Law organised by the Taxation and Company Law Committees of the Institute, with the theme 'Taxation and Corporate Laws—New Perspectives' took place in Taj Mahal Hotel, Bombay from 11th to 13th April, 1986.

The Seminar was inaugurated by Hon'ble Justice Mr. S. K. Desai of Bombay High Court. The inaugural session was presided over by Shri P. A. Nair, President of the Institute. There were six technical sessions—four devoted to Taxation and two devoted to Company Law. The six technical sessions were chaired by S|Shri C. K. Tikku, Y. H. Malegam, P. M. Narielvala, B. S. Mehta, B. L. Kabra and Dadi Engineer respectively.

Shri N. Vagul, Chairman, ICICI delivered a key-note address on the topic 'Role of Financial Institutions in the current Economic Development', in the Third Technical Session. Shri P. M. Narielvala delivered key-note address on the topic 'Fiscal Strategy for economic growth' in the Fourth Technical Session. They key-note address of Shri Prem Shankar Jha on 'Expenditure Tax' was read out in his absence in the Fifth Technical Session.

Thirteen Technical papers were discussed in the Seminar.

Shri M. N. Goipuria, Chairman, IBA, delivered the valedictory address. Nearly 400 delegates participated in the Seminar.

(ii) The 9th Residential Course on Taxation was held in Hotel Blue Star, Kathmandu from 16th to 19th May, 1986.52 delegates from different parts of the country attended the Course.

(b) Central Excise & Customs Act

A memorandum on 'Rationalisation and Simplification of Central Excise and Customs Act' was submitted to the Finance Minister, Chairman and Members of the Central Board of Excise and Customs and the Finance Secretary.

(c) Central Budget

As usual, Pre-Budget and Post-Budget Memorandum were submitted to the Finance Minister and other authorities. The Pre-Budget Memorandum contained the Institute's suggestions on the Long Term Fiscal Policy also. The President participated in the discussion with the Finance Minister on formulation of Long Term Fiscal Policy in September 1985 and on the Finance Bill in March, 1986.

(d) Wealth-tax Rules

A memorandum on Draft Wealth-tax Rules on valuation was also submitted during the period under report.

(e) Progressive Taxation of Expenditure

The Institute submitted to the Study Group on Progressive Taxation of Expenditure appointed by the Government a memorandum in response to its questionnaire. The memorandum and the responses were prepared by a special study group for the purpose.

(f) Other representations submitted during the year

(i) A representation was submitted to the Central Board of Direct Taxes suggesting amendments in Tax Audit Forms consequent on the changes made by the Finance Act, 1985. The suggestions have been implemented and the forms have been amended.

(ii) A representation was submitted to the Finance Minister suggesting the enactment of a specific provision in the Income-tax Act for deduction in the case of self-employed professionals in respect of medical expenses as well as premium paid under an insurance scheme covering the risks of accidents, death and sickness. The suggestion has been partly accepted by the Government and a provision for deduction in respect of medical insurance premia paid by an assessee, has been introduced in Income tax Act.

(iii) Another representation was submitted to the Finance Minister bringing out the diverse aspects involved in the levy of tax on registered firms highlighting the harshness of the provision in actual operation on professional firms and pleading for the abolition of the separate levy on professional partnership firms.

(iv) The Institute has submitted its views to the CBDT on the proposal regarding amendment of Section 3 of the Income tax Act, 1961 to provide for a uniform previous year.

In response to the Finance Minister's call for suggestions for reform of indirect tax structure and laws, the Institute constituted a Study Group in Bombay under the convenership of Shri I. C. Jain, Chairman of its Taxation Committee. A memorandum on Simplification and Rationalisation of Central Excise and another on Customs Law has been submitted to the Government.

(g) Publications

(i) The Committee brought out a Publication entitled 'Issues on Tax Audit' dealing with more than 150 issues on different aspects of Tax Audit.

(ii) The 'Guidance Note on Tax Audit under Section 44AB of the Income-tax Act' is under reprint.

(h) Tax Audit for Banks under Section 44AB

A Working Group was formed by the Indian Banks Association with the representatives of the Institute and representatives of Banking Industry to devise format of Tax Audit under Section 44AB for Banks and to discuss issues relating to Tax Audit of Banks. Discussions were held regarding various issues including Tax Audit fees and certain recommendations in this regard are under consideration of the Reserve Bank of India.

(i) Institute's exemption under Section 80G of Income Tax Act

The Commissioner of Income tax, New Delhi has granted a certificate of exemption under Section 80G of the Income tax Act, notifying that donations made to the Institute would be eligible for relief under Section 80G in the hands of the donor. The certificate is valid from 22-10-1985 to 30-11-1986.

3.8 Continuing Professional Education Committee

(a) Seminar & Courses

Under the Continuing Education Programme, a number of seminars and courses were organised during the Year. [For details please see Appendix III.]

(b) Results of Post Graduate Courses

Examinations of the Management Accountancy| Corporate Management|Tax Management Courses (Part 1) were held under the revised syllabus in November 1985 and in May 1986.

The summarised results of the examinations held in November 1985 and in May 1986 are given in Appendix IV.

(c) Merit Scholarships

Merit Scholarships of Rs. 500 each were granted to 5 candidates for purchase of books under the incentive schemes of the Management Accountancy Course.

(d) Management & Economic Quarterly Digest

Since September 1985—4 issues of the Management and Economic Quarterly Digest (a journal containing abstracts of important articles on contemporary issues in economics and management) have been brought out. This publication is now being printed and is being subscribed to by about 2,000 members.

(e) Practical training|passing of MAC

The number of candidates registered for practical training under Part II of the Post Graduate Courses was as under :

(i) Management Accountancy Course	12
(ii) Corporate Management Course	1
(iii) Tax Management Course	1

The following members completed both Parts of the Post Qualifications Course in Management Accountancy :

(i) Shri L. Venkatesan (M. No. 9139)

(ii) Shri N. S. Ramachandran (M. No. 18070)

(iii) Shri J. Rajagopalan (M. No. 18713)

(iv) Shri R. Durgadass (M. No. 20755)

(f) In-house Computer Centres

It has been decided to set up in-house computer centres at the regional offices, to provide well designed courses for its students and members. A four tier training programme is envisaged to impart thorough training. The computer training centre at Madras started, functioning in the last week of February 1986. A number of programmes have been organised for students and members and we have had a very encouraging response at the centre. The computer centre at Calcutta has started functioning from Sept. 3, 1986. Steps are being taken to set up computer centres at Bombay, Delhi and Kanpur.

(g) Publication, 'Post Qualification Courses'

A publication entitled 'Post Qualification Courses: Management Accountancy, Corporate Management and Tax Management' has been prepared. This publication will assist members to gain a visible evidence of specialisation. The publication describes in detail the scheme, syllabus, the list of books, and rules relating to these courses. It also provides detailed guidance on the nature of synopsis and dissertation to be submitted by members. The publication also gives information regarding the Continuing Education Programmes and Computer Courses.

3.9 Expert Advisory Committee

(i) Since the last report in September 1985, the Committee received 43 queries and disposed of 30 of them. 12 queries are under consideration and one query is pending as additional information has been sought from the querist.

(ii) The "Compendium of Opinions"—Volume V—containing the opinions of the Committee between September, 1984 and September 1985 along with a composite subject-wise alphabetical index on the opinions contained in all the earlier four volumes, has been released for sale.

(iii) Brief versions of important opinions of the Committee are being published in each issue of "The Chartered Accountant" for information of all readers.

3.10 Ethical Standards Committee

The Committee deliberated upon important questions of ethics affecting members of the Institute, such as :

(a) Guidance Note on what would constitute "Other Misconduct"

The guidance note prepared by the Committee was approved by the Council at its meeting held in December, 1985. The need for providing this guidance note arose because it was not clear as to what acts or commissions on the part of the members constituted "other misconduct" within the meaning of Sections 21 and 22 of the Chartered Accountants Act. In the guidance note, the scope of "other misconduct" for which a member may be liable to disciplinary action has been illustrated Guidance note was published in June, 1986 issue of "The Chartered Accountant".

(b) Compulsory maintenance of account books by chartered Accountants in practice

Based on the recommendation of the Committee, the Council issued a notification in exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 specifying that a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he or the firm of chartered accountant of which he is a partner fails to maintain and keep in respect of his|its professional practice proper books of account, including a cash book and a ledger.

3.11 University Liaison Committee

(a) Recognition of C.A. Course by Universities for Ph.D. Programme.

With the effort of the University Liaison Committee so far 24 Universities and the Association of Indian Universities have recognised C.A. qualification for pursuing Ph.D. Programme.

(b) Model Syllabi for B. Com. Course

The University Liaison Committee has finalised the model syllabi for B.Com Course of Indian Universities and has circulated the same to the various universities in the country. The Committee is also considering further steps for getting the model syllabi accepted by the universities.

(c) Career as a Chartered Accountant

The revised version of the earlier publication of the Committee "Profile of a Profession" is under print. It is being published under a new title "Career as a Chartered Accountant".

(d) Teaching by Chartered Accountants in Accountancy and allied subjects for under-graduate and Post-graduate classes

The University Liaison Committee has taken up this matter with the University Grants Commission. The University Grants Commission has recently indicated its inability to accede to the request of the Committee. The matter will receive further consideration of the Committee.

(e) Endowments for awarding Gold Medal|Prize to students securing highest marks in accountancy at the B.Com. Examination

During this period, funds for creating endowments already sanctioned to Punjab University, Chandigarh (Rs. 5,000) ; Ravishanker University, Raipur (Rs. 5,000) ; North Bengal University, Darjeeling (Rs. 3,000) ; and Osmania University, Hyderabad (Rs. 10,000) ; were disbursed. In the case of Osmania University, a sum of Rs. 5,000|- was contributed by the local members.

(f) Seminars

A seminar in collaboration with the Jodhpur University was held in February 1986 at Jodhpur. University of Poona, Lucknow University, University of Delhi, Bombay University, Gujarat University and Bangalore University have also agreed in principle to hold joint seminars with the Committee during 1986-87.

(g) Making available Institute's Journal to various Universities|Colleges

The Committee is making its efforts to see that the Institute's Journal is made available to all the universities and colleges in the country.

3.12 Committee for dealing with cases of Unjustified Removal of Auditors

During the year, the Committee dealt with two cases in accordance with the procedure laid down by the Council.

The question of enlarging the scope and functioning of the Committee is engaging the attention of the Council in the light of experience gained.

4. OTHER MATTERS

4.1 Committee on Public Relations

(i) The Committee on Public Relations undertook several programmes to promote a wider understanding of the functions of the Institute and project a better image of the profession.

(ii) An extract of the 36th Annual Report for the year ended 31st March, 1985 was published in several leading newspapers.

(iii) The publication of ICAI Newsletter was continued to apprise the cross-section of the public about the policies framed and objects pursued by the Council. It is distributed to Members of Parliament, Chambers of Commerce, Universities, various government departments and other bodies. So far 10 issues have been published.

(iv) The publication 'The Chartered Accountant and Society' has been revised and reprinted.

(v) Clarifications were issued from time to time in daily newspapers to correct wrong impression and to highlight policy issues, whenever called for.

(vi) Press conferences were held by the President to project the viewpoint of the Institute on the uniform adoption of accounting standards, revision of syllabus and other matters. The views of the Institute were carried by leading newspapers.

(vii) Visits of the President and Vice-President to various regional councils and branches were covered by the local press.

(viii) Views of the Institute on matters concerning the profession and matters of general importance were explained through press statements from time to time.

4.2 All India Conference of Chartered Accountants

All India Conferences of Chartered Accountants are held in turn in different places in the country at intervals of three years and this time it is the turn of Eastern Region to host the Conference. The Council has therefore decided to hold the next (11th) All India Conference of Chartered Accountants at Calcutta on 18th, 19th, 20th and 21st December, 1986 at Calcutta. A Conference Committee under the Chairmanship of Shri P. A. Nair, President, has been appointed to organise the conference.

The theme of the Conference is "Challenges of the Nineties". There would be four plenary sessions of three papers each, as per the details given below :

Plenary Session I—Measurement & Communication

1. Standard Setting & Implementation
2. Systems Approach to Auditing
3. Prevention & Cure of Industrial Sickness

Plenary Session II—Fiscal Policy & Corporate Legislation

1. MODVAT—Concepts & Applications
2. Simplification and Rationalisation of Direct Tax Laws—a Critical Appraisal.
3. Liability of Directors—Recent Trends.

Plenary Session III—Emerging Role of Accountants in Management

1. E.D.P. as an Aid to Management
2. Profit Management in Public Sector
3. Corporate Financing—Avenues for Fund Raising

Plenary Session IV—Professional Development

1. Society's expectations from Auditors
2. Accounting Education and Training
3. Review of the Code of Conduct.

The member-bodies of the South Asian Federation of Accountants have been invited to send delegations for the Conference. The Conference Committee has also extended an invitation to the SAFA for holding its Assembly meeting in Calcutta around that time so that its members can also attend the Conference. The invitation has been accepted. The members of sister Institute's within the country, namely, the Institute of Cost & Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India have also been invited to attend the conference as delegates. It is expected that approximately 1200 delegates would be attending the Conference. The registration fee for a participant has been fixed at Rs. 500 and that for an accompanying person at Rs. 250.

4.3 Committee for Review of Education & Training

The Council had set up a Committee to review the education and training aspects so as to assess the impact of changes in the environment in which the chartered accountants operate and to formulate views on the necessity of bringing about any further modifications in the educational and training schemes of the Institute. Shri P. A. Nair, President, is the Chairman of this Committee.

The Committee issued detailed questionaires to various categories of respondents viz., members, students, academicians and users of the services of chartered, accountants. The replies received to the questionnaires have been analysed. The Committee has also held sittings at important centres in the country to collect oral evidence from various segments of the society concerned with the profession of chartered accountants. The evidence so far collected is being examined by the Committee and its report is expected to be submitted to the Council in the near future.

4.4 Journal of the Institute

(i) The Journal "The Chartered Accountant" continued to be supplied free to the members and at a concessional rate of Rs. 15 per annum to articled|audit clerks and commerce graduates studying in colleges. To others the Journal copies were supplied at the subscription rate of Rs. 50 per annum.

(ii) The circulation of the Journal has reached 54,500 copies.

(iii) There have been several distinctive improvements in the production of the Journal in terms of its contents, lay out and overall get-up. The process of printing has been changed from letterpress to offset. Several editorial improvements have also been made to make the Journal informative and useful to members, students and the public alike.

(iv) The Editorial Board has awarded the following prizes for the best articles published in the Journal :

Volume XXXII (July *83* to June *84*)
Main Section:

1st Prize	To Dr. V.V. Desai for the article 'Value Added'.
Rs. 1,500	'Statement and its Ramification' published in the Issue of January, 1986.
2nd Prize Rs. 1,000	To Mr. R.C. Agarwal for the article 'Frauds in Banks : An Analytical Study' published in the Issue of December, 1983.
3rd Prize Rs. 500	To Mr. S.V. Haribhakti for the article 'Programming, Planning and Execution of an Audit' published in the issue of May, 1986.

Students' Section:

1st Prize Rs. 500	To Mr. Kamal Chand Parekh for the article 'Sub-partnership: An Exposition' published in the issue of September, 1983.

Volume XXXIII (July *84* to June *85*)
Main Section

First Prize Rs. 1,500	P/E Ratio Analysis and Investment Decision by Shri R. K. Sharma (October, 1984)
Second Prize Rs. 1,000	Tax Treatment of Speculative Transactions by Shri T.N. Panpey (August, 1984)
Third Prize Rs. 500	Effective Management Audit Report by Shri P.C. Jain (January 1985)

Students' Section

First Prize Rs. 500	Auditing the Computerised Accounts by Shri Satish K. Bagmar (March 1985)

Volume XXXIV (July *85* to June *86*)
Main Section

First Prize Rs. 1,500	Form and Contents of unqualified Company Audit Ropret by Shri S.M. Ghatpande (August 1985)
Second Prize Rs. 1,000	Working Capital Management—A Parametric Approach by Shri R.A. Yadav (May, 1986)
Third Prize Rs. 500	Public Sector Enterprises—External Source of Finance by Shri G. Venkatachalam and Shri D. Dakshinamurthy (June, 1986)

Students' Section

First Prize Rs. 750	Cost Estimation Fundamental Concepts by Shri Anil Mehra (December, 1985).
Second prize Rs. 500	Systems Analysis by Shri B.S. Jauhari (April, 1986)

4.5 Changes in the Chartered Accountants Regulations

(a) During the year, the following major changes were made in the Regulations with the approval of the Central Government.

(i) increase in the annual fees payable by members with effect from 1-4-1986.

(ii) discontinuance of the Final examination (old syllabus) and introduction of paragraph 10A in Schedule 'B' permitting the Students to have passed one group of the Final examination under the old syllabus or obtained exemptions in certain papers to get exemptions in corresponding papers of new syllabus examination.

(iii) recognition of the Institute of Chartered Accountants in Bangladesh under paragraph 14 of Schedule 'BB'.

(b) The codified regulations intended to simplify and rationalise the present Regulations, remove anomalies and inconsistencies and to minimise procedural delays are awaiting approval of the Central Government. Efforts are being made to secure an early approval.

(c) The Chartered Accountants Regulations, 1961 were last printed in the year 1988 incorporating therein all changes made upto 1-1-1988. Subsequent to the publications of the Regulations, there have been a number of changes therein. Correction slips carrying the changes made upto 1-12-1985 have been printed and are available for sale.

4.6 Annual Meeting of the Council

The 36th annual meeting of the Council was held on 16th September, 1985 in Vigyan Bhawan at New Delhi under the Chairmanship of Shri A. C.

Chakrabortti, the then President of the Institute. Hon'ble Shri A. K. Sen, Union Minister for Law and Justice was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the awards for their entries in the contest of best presented accounts. Prizes and medals were also given to the meritorious students in the examinations of the Institute. Shri P. A. Nair, the President-elect proposed a hearty vote of thanks.

4.7 Library

During the year 708 books were added to the Central Council library at New Delhi bringing the total numbers of books to 20558. The increasing use of the library facilities was made by both the members and the students.

4.8 Representation on outside bodies

The Institute continues to be represented on several outside bodies through its representatives. Appendix V gives details of such representation.

4.9 Members in important positions in different walks of life

Members of the Institute, on account of their high degree of expertise and knowledge in the field of accounting and finance, have come to occupy very important positions in different walks of public life including legislative bodies, public financial institutions, nationalised and other banks, educational institutions and local authorities.

4.10 Meetings of the President and the Vice-President with important dignitaries and visits to the branches

The President and the Vice-President met various dignitaries including Central Ministers and officials of the government departments during the year under review. They also met Vice-Chancellors of a number of Universities, Presidents of the Chambers of Commerce and Members of the Income-tax Appellate Tribunal. Special mention may be made of the meeting on the state of Indian economy with the Hon'ble Finance Minister, Shri V. P. Singh, on 23rd January, 1986 along with industrialists, prior to presentation of the Budget for 1986-87. The President also participated in the post-budget discussions with the Hon'ble Finance Minister on 21st March, 1986. He also met Hon'ble Shri N. D. Tiwari, Union Minister for Industry on 7th March, 1986 and apprised him of the contribution made by the profession, in the national affairs.

The President and the Vice-President visited all the regional councils and a large number of branches of the regional councils and discussed matters concerning the development of professional opportunities and educational facilities for the members and students.

4.11 Chartered Accountants' Benevolent Fund

The Chartered Accountants' Benevolent Fund was established in December, 1962 for providing financial assistance for maintenance, education and other similar purposes to needy persons who are or have been members of the Institute and their widows and children. Despite the number of years for which the Fund had been in existence, its membership was small and resources, meagre. As on 31-3-1985 the Fund had 2112 members, including 166 life members. A vigorous campaign was launched by the President through the medium of "The Chartered Accountant" to enrol life members. Personal letters were issued to several members and the President used the opportunity of his visits to various regional centres and branches to urge upon the members to join the Fund. It is gratifying that the response has been very satisfactory. The number of life members has increased from 166 as on 31-3-1985 to 2718 as on 1-9-1986.

A sum of Rs. 69,700 was disbursed during the year to members in distress or the families of the deceased members. With the increase in the corpus of the Fund, it would now be possible to substantially increase the financial assistance to needy members or their families.

The balance to the credit of the Fund as on 31-3-86 was Rs. 6,66,221 as against Rs. 2,17,471 as on 31-3-1985. The balance as on 11-9-1986 is Rs. 15,13,221

4.12 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year 1985-86, 6 scholarships of the value of Rs. 100 each per month were given to the students undergoing the C.A. Course. The Managing Committee of the Fund had decided that the number of scholarships should be increased. This year eighteen scholarships of the value of Rs. 100 each per month have been awarded to students undergoing training in different region—4 in Western Region, 4 in Southern Region, 4 in Eastern Region, 3 in Central Region and 3 in Northern Region. It is proposed to award 25 scholarships under the above Fund to students undergoing C.A. course during 1986-87.

The membership of the Fund is 161 as on 31-3-1986. The balance to the credit of the Fund was Rs. 55,740.10 as at 31-3-1986, as against Rs. 59,594.90 as at 31-3-1985.

4.13 Death of Shri T. S. Grewal, former Director of Studies

Prof. T. S. Grewal, an eminent educationist and former Director of Studies of the Institute breathed his last on 14-12-1985.

5. MEMBERS

5.1 Membership

4387 New members were enrolled during the year bringing the figure of membership as on 31-3-1986 to 40,278. During the year 1330 Associates were admitted as Fellows, as compared to 1145 Fellows admitted in the previous year. Appendix VI gives the details with classification of membership.

5.2 Guidelines for Approval of Trade|Firm names

The Council had laid down certain guidelines for registration of trade|firm names which were last printed in "The Chartered Accountant" for February, 1984. The Council has liberalised the guidelines in order to remove the hardship which members were facing. The revised guidelines have been published in September 1986 issue of "The Chartered Accountant."

5.3 Increase in membership fees

A proposal to increase the annual fees payable by members of the Institute was published for comments in November, 1985 issue of the Journal. After considering of the comments received, the Council decided to modify the original proposals for increase in fees, as under :—

	Earlier Fee	Fee increase	
		Originally proposed	Finally approved
	Rs.	Rs.	Rs.
Associate Membership fee	80	120	100
Fellow Membership fee	200	300	275
Certificate Practice fee	175	300	275

The Council further decided to delink the proposal regarding the construction and setting up the National Academy of Accounting from the proposed increase in fees, for the present. As and when the construction of the Academy is started, a one-time levy shall be made by an appropriate increase in the membership fees for the particular year to meet the capital cost.

The above increase in fees payable by members has been approved by the Central Government and brought into force with effect from 1-4-1986.

5.4 Disciplinary Action

The number of "Complaint" and "Information" cases dealt with under Section 21 is given below:—

No. of cases placed before the Council (From 1-4-1985 to Council meeting in July 1986)	97
No. of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry	
(a) From 1-4-1985 to 16-9-1985 : 23	
(b) From 17-9-1985 to to Council meeting in July 1986: 17	40
No. of cases heard by the Disciplinary Committee from 17-9-1985 to date of this report:	47
No. of cases remaining to be heard by Disciplinary Committee (including the cases which are pending on account of Court Orders, etc.	14

The Bombay High Court, inter alia, had observed in a writ petition filed before it that before considering the report of the Disciplinary Committee, the Council should give an opportunity of being heard to the Respondent as to why report of the Committee should not be accepted. The Institute preferred an Appeal to the Supreme Court which was heard February, 1986 and the judgement has been reserved. The Council decided to postpone consideration of the reports of the Disciplinary Committee pending decision of the Supreme Court in the above Appeal. For this reason, 132 reports of Disciplinary Committee were pending for consideration of the Council as on the date of this report.

Brief details about disciplinary matters where action under Section 21 (6) of the Chartered Accountants Act has been taken, since the last report, are given in Appendix VII.

5.5 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri D. L. Bhatt on 25th July, 1985, Shri J. N. Sharma on 21st January, 1986 and Shri S. D. Nargolwala on August 6, 1986, former members of the Council.

The Council also records with deep regret the demise during the year of members whose names are listed in Appendix VIII.

6. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

6.1 Registration :

The following is the figure of articled and audit clerks registered during the year ending March 31, 1986 with the corresponding figure for the previous year.

	1984-85	1985-86
Articled & Audit Clerks	9256	10666

6.2 Employment Assistance to Articled|Audit Clerks

Employment assistance service is continued to be provided to all students who have completed their period of articled|audit service and have also passed the Intermediate examination of the Institute. For this purpose, an Employment Register is being maintained by the decentralised offices at each of the regional centres at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi. Students desirous of availing of the above facility and fulfilling the requirements can contact personally or write to the concerned Asstt. Secretary of the Institute for the form of particulars to be submitted to the Institute.

6.3 Board of Studies

(a) The number of students enrolled during the year ended March 31, 1986 and March 31, 1985 is as under :—

COURSE	1985-86	1986-85
Intermediate	10666	9256
Final	6202	3513

The total number of students on the rolls as at March 31, 1986 was 44,137 as against 40,052 as at March, 31, 1985. The details of such enrolments are given in Appendix IX.

(b) Intensified and Revisionary Classes for the Final and Intermediate Course students were, as usual, conducted at the regional and other important centres.

(c) During the year ended March 31, 1986, the following scholarships have been granted.

(i) Merit Scholarships

@Rs. 75 p.m. to 10 students for a maximum of 18 months.

@ Rs. 75 p.m. to 4 students for a maximum of 12 months.

(ii) Merit-cum-Need-based Scholarships

@ Rs. 75 p.m. to 2 students for a maximum of 12 months.

(iii) Need-based Scholarships

@ Rs. 50 p.m. to 89 students for a maximum of 30 months.

(iv) Partial. Freeship viz, waiver of the second instalment of tuition fee to 48 students.

(v) S. Vaish Memorial Scholarships

@ Rs. 100 p.m. to 2 students for a period of one year.

(d) The Board has made available suggested answer volumes to students at 33 places in the country, to remove the students' difficulty in getting the volumes.

(e) Some significant developments

(i) To remove difficulty of the students in the Final Course, the requirement to obtain eligibility certificate from the Board of Studies to appear at the Final examination has been withdrawn with effect from May, 1986 examination.

(ii) The test paper scheme for the Intermediate students has been reviewed by the Board and now a student covered by the Sunday test scheme is required to submit 9 answer papers spread on Accountancy, Auditing, Costing, Income-tax and Law and qualify in them for getting eligibility certificate. Students covered by the postal submission scheme are now required to submit 16 answer papers spread on all the subjects of the Intermediate Course and qualify in them for getting the eligibility certificate.

(iii) Pursuant to a decision of the Board of Studies, the students who have appeared in the Intermediate examination in both the groups (either in a single sitting or in separate sittings), and have completed their practical training or will be completing the same within next 5 months are eligible to receive the Final Course Study material on their requests so that they may start the preparation for the Final examination, immediately after the completion of Intermediate examination.

(f) Though the Board is not providing any correspondence course for the students of Entrance examination, it has prepared study material for the benefit of students. The complete set of this material is priced at Rs. 100.

(g) The Board of Studies continued to make regular contribution to the Journal by giving digest of Income-tax and Company cases and current reading.

(h) They Board of Studies has designed a special Course on Effective Communication for the benefit of Chartered Accountants and students. The basic aim in designing and offering the Course is to help the members and students to improve their oral and written skills of communication so as to be effective in their professional work, in interaction with people, in public speaking, in handling work groups, in coping with interviews, examinations and so on, as the case may be.

The Course is of 6 weeks' duration, with classes to be held three days in a week for two hours per day during, the evenings. The Course fee is Rs. 150.

The Board of Studies conducted the first Course at New Delhi during February—April, 1986 for a batch of 21 participants. The second Course was started from 19th May, 1986 for a batch of 23 participants.

Efforts are being made to conduct the course at other places also, namely at Bombay, Madras, Calcutta and Kanpur and in the branch centres.

7. EXAMINATIONS

7.1 The Entrance examination was held in June| December, 1985 at various centres in the country. The Chartered Accountants Intermediate examination under New syllabus and Final examination under Old and New syllabus were also held in May and November, 1985 at various centres all over India. The statistics relating to the number of candidates who appeared and who were declared successful in the said examinations are given in Appendix X.

7.2 New Examination Centres

(i) In order to cater to the increasing needs of students of Indian origin in Dubai and around, an examination centre for Intermediate and Final examinations was opened at Dubai in November, 1985. 1986.

(ii) It has been decided to open an examination centre at Calicut and also to revive the centre at Bhopal on an experimental basis for the examinations to be held in May and November, 1986. The continuance of these two centres after the November, 1986 examination will depend upon the prescribed minimum number of candidates (250) taking the examination from these centres.

7.3 Acceptance of examination applications after the last date

The applications for admission to the C.A. examinations received after the last date, till the examination held in November, 1985, were being rejected. In order to mitigate the hardship caused to the students on account of postal and other delays, it has been decided that starting from the May, 1986 examination applications for admission received upto the 15th day after the last date for receipt of applications should also be entertained with a late fee of Rs. 50.

7.4 Prizes and Certificates of Merit

The names of candidates who were awarded prizes and certificates of Merit in the examinations held in May and November, 1985 are given in Appendix XI.

7.5 Discontinuance of Final Old Syllabus Examination

As announced in the last Report, the Final examination under Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 has been discontinued after the examination held in May, 1986. The students who are not able to clear the Final examination under the said syllabus will be required to appear in the Final Examination under the New Syllabus, as contained in Schedule 'BB' from November, 1986 examination onwards. Students who have passed either Group I or Group II of the Examination under Schedule 'B' or have secured exemption in any particular paper or papers and that exemption is still valid, will be entitled to exemptions in the corresponding papers of the Final New Syllabus examination as per details given in Appendix XII.

7.6 Fresh registration of articled service of a candidate debarred from appearing in Intermediate examination

As per the existing Chartered Accountants Regulations, an articled clerk who fails to qualify in the Intermediate examination within 10 years from the date of his initial registration is debarred from further appearance in the said examination. The Chartered Accountants Regulations have been amended, allowing such a person to register afresh as an articled clerk for one year with a Chartered Accountant in practice; require him to undergo the postal tuition course and thereafter permit him to appear afresh in the Intermediate Examination.

7.7 Eligibility requirement for registration as articled clerk in the case of commerce graduates

According to the existing Regulation 32AA which governs the registration of articled clerks on or after 1st April, 1985, one can become an articled clerk if he is a graduate and has passed the Entrance examination. Presently, exemption from appearing in the Entrance examination is given if a commerce graduate secures in the aggregate a minimum of 50 per cent of the total marks and has studied accountancy, auditing, mercantile law or commercial law as subjects. It has been recently clarified that a candidate who has passed the graduation examination with accountancy, auditing, mercentile law or commercial law as subjects but secured in the aggregate less than 50 per cent of the total marks shall be exempted from appearing in the Entrance examination if he passes the M.Com. examination with one or more of the above three subjects securing a minimum of 50 per cent marks.

7.8 Action against examinees

Four candidates who were found to have resorted to or attempted to resort to unfair means were debarred from appearing in the examinations for varying periods.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 New Branches

Subsequent to the last report, the following branches were opened :—

Western Region

1. Anand
2. Aurangabad

Southern Region

1. Erode
2. Hubli
3. Pondicherry

Central Region

1. Kota
2. Meerut

With the setting up of the above branches, the total number of branches of the Regional Councils is now 57.

8.2 Chapters of the Institute outside India

Since the last report, two Chapters of the Institute have been established outside the country in Bahrain and Zambia. With this, the number of Chapters has now risen to 5.

8.3 Buildings for Branches of Regional Councils

As mentioned in the last report, the Council has formulated a scheme to encourage branches of Regional Councils to have premises of their own. Under this scheme the branches may collect donations for the acquisition|construction of flats|buildings and the Council will give them a matching grant for this purpose subject to certain limits. The Institute having been recognised under Section 80G of the Income-tax Act, the branches are being permitted to collect donations in the name of the Institute and make use of the said exemption. It is gratifying to find that a number of branches have already started efforts in this direction. During the year, the activity of providing infrastructural facilities to branches was stpped up.

The Ernakulam Branch has the distinction of constructing the first branch building in a record time of six months. It was inaugurated by the President, Shri P.A. Nair on 22nd August, 1986. The President also laid the foundation stones of the buildings for Trivandrum Branch on 22nd August, 1986 ; Kottayam Branch on 23rd August, 1986 and Calicut Branch on 25th August, 1986. A number of other branches are at different stages of acquiring their own premises.

8.4 Rotating Shield for the Best Branches of the Regional Council

In its effort to activate the branches of Regional Councils and to ensure greater involvement of members of the branches in the affairs of the profession, the Institute had set up certain norms for minimum performance of the branches of Regional Councils. Under this scheme, the branches are required to submit quarterly reports of their activities|performance. The activities of the branches are evaluated and a rotating shield is awarded annually to the branch which is adjudged to be the best branch during the year on the basis of the performance and activities undertaken. The rotating shield was awarded to the Coimbatore branch of the SIRC for the year 1984-85. The shield was presented by Hon'ble Minister for Law & Justice Shri Ashok Sen at the annual function held in September, 1985. For the year 1985-86, the rotating shield will be presented to the Ernakulam Branch of SIRC which has been adjudged as the best branch. The presentation will take place at the annual function on September 16, 1986.

9. FINANCE

The Balance Sheet as at March, 31, 1986 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date have been approved by the Council. The Income & Expenditure account show a surplus of Rs. 9.56 lakhs as against the surplus of Rs. 37.65 lakhs in the preceding year.

10. APPRECIATION

(a) The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members of the Institute's committees and non-members who assisted the Council during the year in the conduct of the educational and technical activities and in its examinations.

(b) The Council wishes to place on records its appreciation of the continued assistance and support of the Government and its nominees on the Council throughout the year.

(c) The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in throughout the year, by all the officers and staff of the Institute.

R. L. Chopra	R. Balakrishnan	P. A. Nair
Secretary	Vice-President	President

New Delhi

September 16, 1986.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX-I

(Ref. Para 1.1. of the Report)

MEMBERS OF THE COUNCIL

(1-4-1985 to 16-9-1985)

Balakrishnan, R	Madras
Banerjee, Bhaskar	Clacutta
Bansal, S.K.	New Delhi
Chakrabortti, A.C.	Calcutta
Chawla, Brij Lal	New Delhi
Chhajed, S.P.	Bombay
Darak, V.C.	Bombay
*Dugar, S.M. (Dr.)	New Delhi
Ghaya, R.C.	Jaipur
*Hoshing, V.R.	Bombay
Jain, I.C.	Bombay
*James, G.A.	New Delhi
Kale, Y.M.	Bombay
Khanna, M.M.	New Delhi
Kumbhat, Ashok	Madras
Nair, P.A.	Bombay
Nandagopal, S.	Madras
Narayanaswamy, G.	Madras
*Paniker, P.J.M.	Bombay
Patel, Manubhai G.	Ahmedabad
Poddar, N.K.	Calcutta
*Row, K.N.	New Delhi
Roy Chowdhury, A.	Calcutta
Sampath Kumaran, P.T.	Madras
Sarda, N.P.	Bombay
Shah, P..N.	Bombay
*Sinha, I.B. (Dr.)	Lucknow
Somani, K.G.	New Delhi
Suresh Babu, D.L.	Bangalore
Vaish, R.C. (Dr.)	Kanpur

*Nominated by Central Government

MEMBERS OF THE CONUCIL

(17.9. 1985 to 31.3.1986)

Agarwal K.M.	(New Delhi)
Balakrishnan, R.	(Madras)
Banerjee, Bhasker	(Calcutta)
Bhandari, S.S.	(Jaipur)
Chakraborty, A.K.	(Calcutta)
Chhajed, S.P.	(Bombay)
Chitale, M.M.	(Bombay)
Dalal, A.H.	(Bombay)
Dasgupta, S.K.	(Calcutta)
*Dugar, S.M. (Dr.)	(New Delhi)
*Ghosh, A.	(Bombay)
Jain, I.C.	(Bombay)
*Jain, S.B.	(New Delhi)
Kale, Y.M.	(Bombay)
*Mehta, Kanti	(New Delhi)
*Murthy, K.S. (From 1.3.1986)	(New Delhi)
Nair, P.A.	(Bombay)
Nandagopal, S.	(Madras)
Narayanaswamy, G.	(Madras)
Patel, Manubhai, G.	(Ahmedabad)
Poddar, N.K.	(Calcutta)
Ruhi, Anand	(Bombay)
Rao, B.P.	(Bangalore)
*Row, K.N. (Upto 28.2.86)	(New Delhi)
Sharma, Laxmanrao	(Hyderabad)
Somani, K.G.	(New Delhi)
Sundararajan, N	(Madras)
*Tikku, C.K	(New Delhi)
Vaish, R.C. (Dr.)	(Kanpur)
Vasudeva, S.C.	(New Delhi)
Vishwanath, T.S.	(New Delhi)

*Nominated by Central Government

APPENDIX-II

(Ref. Para 1.1 of the Report)

MEMBERS OF THE COMMITTEES

(1.4.1985 to 16.9.1985)

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri A.C. Chakrabortti, President	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Presdent	(Bombay)
Shri Bhasker Banerjee	(Calcutta)
Shri S.K. Bansal	(New Delhi)
Shri P.T. Sampath Kumaran	(Madras)
Shi R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

Examination Committee

Shri A.C. Chakrabortti, President	(Calcutta)
Shri P.A.Nair, Vice-President	(Bombay)
Shri R,Balakrishnan	(Madras)
Dr. I.B. Sihna	(Lucknow)
Shri K.G. Somani	(New Delhi)
Shri K.Kalyanaraman (Secretary to the Committee)	

Disciplinary Committee

Shri A.C.Chakrabortti, President.	(Calcutta)
Shri P.A.Nair, Vice-President	(Bombay)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri S. Nandagopal	(Madras)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)
Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)	

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri M.M. Khanna, Chairman		(New Delhi)
Shri Y.M. Kale, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri A.C. Chakrabatti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Presidenr (Ex-officio)		(Bombay)
Shri Bhasker Benerjee		(Calcutta)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri P.J.M. Panikar		(Bombay)
Shri Y.H. Malegam	Co-opted	(Bombay)
Shri Uday Khanna	Co-opted	(Bombay)
Shri K. Ganesan	Co-opted	(Calcutta)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)		

Auditing Practices Committee

Shri Y.M. Kale, Chirman		(Bombay)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shi Bhasker Banerjee		(Calcutta)
Shri M.M. Khanna		(New Delhi)
Shri K.N. Row	Co-opted	(New Delhi)
Shri P.R. Khanna	Co-opted	(New Delhi)
Shri Y.H. Malegam	Co-opted	(Bombay)

Shri Sami Ghosh		(Calcutta)
Shri N.J Ratnagar	Co-opted	(Madras)

Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Continuing Professional Education Committee

Shri N.K Poddar, Chairman		(Calcutta)
Shri D.L Suresh Babu, Vice-Chairman		(Bangalore)
Shri A.C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri R.C. Ghiya		(Jaipur)
Shri M.G. Patel		(Ahmedabad)
Dr. R.C. Vaish		(Kanpur)
Shri S. Bhattacharyya	Co-opted	(Calcutta)
Shri H.M. Damania		(Bombay)

Dr. N L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Accounting Standards Board

Shri N.P. Sharda, Chairman		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman		(Calcutta)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Dr. S.M. Dugar		(New Delhi)
Shri G.A. James		(New Delhi)
Shri K.N. Row		(New Delhi)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri P.J.M. Panikar		(Bombay)
Shri B.L. Chawla		(New Delhi)
Shri S. Nandagopal		(Madras)
Shri P.M. Narielvala		(Calcutta)
Shri Mahendra A. Parikh	co-opted	(Bombay)
Shri A. Ganguli		(New Delhi)
Shri Joseph Kurian		(Madras)
Shri R.S. Lodha		(Calcutta)

Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Professional Development Committee

Shri P.M. Shah, Chairman		(Bombay)
Shri N.K. Poddar, Vice,Chairman		(Calcutta)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri I.C. Jain		(Bombay)
Shri V.R. Hoshing		(Bombay)
Shri G. Narayanaswamy		(Madras)
Shri K.N. Row		(New Delhi)
Shri R.N. Bansal		(New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty	Co-opted	(Calcutta)

Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Board of Studies

Shri A Roy Chowdhury, Chairman		(Calcutta)
Shri V.C Darak, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri A.C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri R. Balakrishnan		(Madras)
Shri N.P Sarda		(Bombay)
Shri K.G. Somani		(New Delhi)
Shri T.S. Vishwanath		(New Delhi)
Shri K C. Mehta	Co-opted	(Baroda)

Shri A.K Majumdar (Secretary to the Board)

Taxation Committee

Shri G. Narayanaswamy Chairman		(Madras)
Shri M.G. Patel, Vice-Chairman		(Ahmedabad)
Shri A.C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri S K Bansal		(New Delhi)
Shri G.A James		(New Delhi)
Shri N.K. Poddar		(Calcutta)
Shri A H Dalal		(Bombay)
Shri V. G.Raman	Co-opted	(Madras)

Shri C R T Verma (Secretary to the Committee)

Company Law Committee

Shri I.C. Jain, Chairman		(Bombay)
Shri D.L. Suresh Babu, Vice,Chairman		(Bangalore)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri B.L. Chawla		(New Delhi)
Dr. S.M. Dugar		(New Delhi)
Shri S. Nandagopal		(Madras)
Shri S.C. Bafna		(New Delhi)
Shri N.T. Dalal	Co-opted	(Bombay)

Shri S.K Chakravertty (Secretary to the Committee)

International Affairs Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri M.M. Khanna		(New Delhi)
Shri Ashok Kumbhat		(Madras)
Shri N.K. Poddar		(Calcutta)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri B.L. Kabra		(Bombay)
Shri Bansi S. Mehta		(Bombay)
Shri Y.H. Malegam	Co-poted	(Bombay)

Shri Kamal Gupta (Secretary to the Commitee)

Expert Advisory Committee

Shri B.L. Chawla,Chairman		(New Delhi)
Shri M.M Khanna, Vice-Chairman		(New Delni)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri S.K. Bansal		(New Delhi)
Shri A. Roy Chowdhury		(Calcutta)
Shri K.G. Somani		(New Delni)
Shri S. Kumar		(Bombay)
Shri S.C. Vasudeva	Co-opted	(New Delhi)

Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

University Liaison Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman		(Bombay)
Shri R.C. Ghiya, Vice-Chairman		(Jaipur)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri V.C. Darak		(Bombay)
Shri A. Roy Chowdhury		(Calcutta)
Shri I.B. Sinha		(Lucknow)
Shri P. Mitra		(Calcutta)
Shri B.D. Khanna	Co-opted	(Bombay)

Dr. N.K. Aggrawal (Officiating Secretary to the Committee)

General Purposes Committee

Shri A C Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee		(Calcutta)
Shri S K. Bansal		(New Delhi)
Shri P.T. Sampath Kumaran		(Madras)

Shri R L Chopra (Secretary to the Committee)

Ethical Standards Committee

Shri A C Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri S P Chhajed		(Bombay)
Dr. S.M Dugar		(New Delhi)
Shri G Narayanaswamy		(Madras)

Shri P.T. Sampath Kumaran (Madras)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri G. Banerjee (Secretary to the Committee)

Committee on Public Relations

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman (Bombay)
Shri R. C. Ghiya (Jaipur)
Shri V.R. Hoshing (Bombay)
Shri Ashok Kumbhat (Madras)
Shri P.N. Shah (Bombay)
Shri M.M. Chitale } Co-opted (Bombay)
Shri P.S. Kumar } (Madras)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee for Unjustified Removal of Auditors

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman (Bombay)
Dr. S.M. Dugar (New Delhi)
Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)

Editorial Board

Shri A.C. Chakrabortti, Editor-in-Chief (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Joint Editor (Bombay)
Shri R. Balakrishnan (Madras)
Shri V.C. Darak (Bombay)
Shri P.N. Shah (Bombay)
Shri K.G. Somani (New Delhi)
Shri Narayan Varma } (Bombay)
Shri Rusi J. Daruwal } Co-opted (Bombay)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.W.A.I. Co-ordination Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Leader (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Deputy Leader (Bombay)
Shri B.L. Chawla (New Delhi)
Shri S.P. Chhajed (Bombay)
Shri Ashok Kumbhat (Madras)
Shri A. Roy Chowdhury (Calcutta)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.S.I. Co-ordination Committee

Shri A.C. Chakraborti, Leader (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Deputy Leader (Bombay)
Shri S.P. Chhajed (Bombay)
Shri K.G. Somani (New Delhi)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Regional Languages Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman (Bombay)
Shri M.M. Khanna (New Delhi)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Shri P.N. Shah (Bombay)
Dr. I.B. Sinha (Lucknow)
Shri D.L. Suresh Babu (Bangalore)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee for Review of Education & Training

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman (Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman (Bombay)
Shri P.N. Shah (Bombay)
Shri P.J.M. Panikar (Bombay)
Shri A. Roy Chowdhury (Calcutta)
Shri Ashok Kumbhat (Madras)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Shri Bansi S. Mehta } (Bombay)
Shri P.K. Malik } (Calcutta)
Shri S.K. Agarwal } (New Delhi)
Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Committee)

MEMBERS OF THE COMMITTEES

(17-9-1985 to 31-3-1986)

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee
Shri P.A. Nair, President (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Madras)
Shri S.K. Das Gupta (Calcutta)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Examination Committee
Shri P.A. Nair, President (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Madras)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Shri T.S. Vishwanath (New Delhi)
Shri R. Kalyanaraman (Secretary to the Committee)

Disciplinary Committee
Shri P.A. Nair, President (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Madras)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Dr. S.M. Dugar (New Delhi)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee
Shri N.K. Poddar, Chairman (Calcutta)
Shri Anand Rathi, Vice-Chairman (Bombay)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio) (Bombay)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri Y.H. Malegam } (Bombay)
Shri L. Kathiresan } Co-opted (Madras)
Shri S.K. Parik } (Calcutta)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

Auditing Practices Committee
Dr. R.C. Vaish, Chairman (Kanpur)
Shri A.H. Dalal, Vice-chairman (Bombay)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio) (Bombay)
Shri R. Balakrishnan, (Madras)

Vice-President (Ex-officio)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri S.K. Das Gupta (Calcutta)
Shri N.C. Sundararajan (Madras)
Shri K.N. Row (New Delhi)
Shri Y.H. Malegam } (Bombay)
Shri M.M. Khanna } Co-opted (New Delhi)
Shri P.J.M. Panikar } (Bombay)
(One more member to be co-opted)
Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Continuing Professional Education Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman	(Bobmbay)
Shri N.C. Sundararajan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)
Shri S. Nandagopal	(Madras)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)
Shri P.D. Desai } Co-opted	(Bombay)
Shri H.M. Damania }	(Bombay)
Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)	

Accounting Standards Board

Shri Bhaskar Banerjee, Chairman	(Calcutta)
Shri Y.M. Kale, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)
Shri S.K. Das Gupta	(Calcutta)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri K.N. Row	(New Delhi)
Shri C.K. Tikku	(New Delhi)
Shri S.P. Jain	(New Delhi)
Shri P.M. Marielvala } Co-opted	(Calcutta)
Shri N.P. Sarda }	(Bombay)
Shri M.N. Goiporia }	(Bombay)
Nominee of FICCI }	

Nominee of Scope

Shri Kamal Gupta (Secretary to the Board)

Professional Development Committee

Shri M.G. Patel, Chairman	(Ahmedabad)
Shri C. I. Jain, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri R. Balakrishanan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)
Shri Kanti Mehta	(Calcutta)
Shri K.N. Row	(New Delhi)
Shri K.G. Somani	(New Delhi)
Shri R.N. Bansal } Co-opted	(New Delhi)
Shri P.P. Vora }	(Ahmedabad)

Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Board of Studes

Shri K.G. Somani, Chairman	(New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma, Vice-Chairman	(Hyderabad)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri S.S. Bhandari	(Jaipur)
Shri M.M. Chitala.	(Bombay)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Shri A. Ghosh	(Bombay)
Shri Sukumar Bhattacharya } Co-opted	(Calcutta)
Shri S.B. Kabra }	(New Delhi)

Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Board)

Taxation Committee

Shri I.C. Jain, Chairman	(Bombay)
Shri S. Nandagopal, Vice-Chairman	(Madras)
Shri P.A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri A.H. Dalal	(Bombay)
Shri G. Narayanaswamy	(Madras)
Shri K.G. Somani	(New Delhi)
Shri C.K. Tikku	(New Delhi)
Shri D.Rangaswamy } Co-opted	(Madras)
Shri V.D Loya }	(Nagpur)
Shri C.R.T. Verma (Secretary to the Committee)	

Company Law Committee

Shri A.H. Dalal, Chairman	(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman	(Calcutta)
Shri P. A. Nair, President (Ex-officio)	(Bombay)
Shri K.M. Agarwal	(New Delhi)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri T.S. Vishwanath	(New Delhi)
Shri S.C. Bafna } Co-opted	(Bombay)
Shri S. Prabhakaran) }	(Cochin)
Shri S.K. Chakraverty (Secretary to the Committee)	

International Affairs Committee

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri Bhaskar Banerjee	(Calcutta)
Shri S.K. Das Gupta	(Calcutta)
Shri I. C. Jain	(Bombay)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri B.L. Kabra	(Bombay)
Shri Y.H. Malegam }	(Bombay)
Shri Bansi S. Mehta } Co-opted	(Bombay)
Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)	

Expert Advisory Committee

Shri Anand Rathi, Chairman	(Bombay)
Shri K.M. Agarwal, Vice-Chairman	(New Delhi)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Ex officio)	(Madras)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri A.H. Dalal }	Bombay)
Shri S. Kumar } Co-opted	(Bombay)
Shri D.N. Chaturvedi }	(Bombay)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee	

University Liaison Committee

Shri S.S. Bhandari, Chairman	(Jaipur)
Shri B.P. Rao, Vice-Chairman	(Bangalore)
Shri R. Balakrishnan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri S.B. Jain	(New Delhi)
Shri S.K. Bansal	(New Delhi)
Shri G.S. Mehta	(Jodhpur)
Dr. N.K. Agarawal (Secretary to the Committee)	

General Purposes Committee

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri S.K. Das Gupta	(Calcutta)
Shri Y.M. Kale	(Bombay)
Shri S.C. Vasudeva	(New Delhi)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

Ethical Standards Committee

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri A.K. Chakraborty	(Calcutta)
Shri G. Narayanaswamy	(Madras)
Shri R.C. Vaish	(Kanpur)
Shri S.C. Vasudeva	(New Delhi)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri G. Banerjee, (Secretary to the committee)	

Committee on Public Relations

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri K.M. Agarwal	(New Delhi)
Shri Kanti Mehta	(Calcutta)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri Dilip M. Shah, Shri M.B. Bhat (Co-opted)	(Bombay) (Madras)
Shri R. L. Chopra (Secretary to the Committee)	

Committee for Unjustified Removal of Auditors

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri K.N. Row	(New Delhi)
Shri C.K. Tikku	(New Delhi)
Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)	

Editorial Board

Shri P.A. Nair, Editor-in-Chief	(Bombay)
Shri R. Balakrishana, Joint Editor	(Madras)
Shri S.S. Bhandari	(Jaipur)
Shri M.M. Chitale	(Bombay)
Shri I. C. Jain	(Bombay)
Shri Y.M. Kale	(Bombay)
Shri T.S. Vishwanath	(New Delhi)
Shri H.C. Dhagat, Shri A. Datta Chauduri (Co-opted)	(Bombay) (Calcutta)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Board)	

I.C.A.I.-I.C.W.A.I. Coordination committee

Shri P. A. Nair, Leader	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Deputy Leader	(Madras)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri M.G. Patel	(Ahmedabad)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

I.C.A.I.-I.C.S.I. Coordination Committee

Shri P. A. Nair, Leader	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Deputy Leader	(Madras)
Shri S.S. Bhandari	(Jaipur)
Shri Anand Rathi	(Bombay)
Shri N.C. Sundararajan	(Madras)
Shri R.L. Chopra /Secretary to the Committee	

Committee for Review of Education & Training

Shri P.A. Nair, Chairman	(Bombay)
Shri R. Balakrishnan, Vice-Chairman	(Madras)
Shri A.K. Chakrabotry	(Calcutta)
Shri G. Narayanaswamy	(Madras)
Shri M.G. Patel	(Ahmedabad)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)
Shri A. Ghosh	(Bombay)
Shri Bansi S. Mehta, Shri S.K. Agarwal, Shri P.K. Mallik (Co-opted)	(Bombay) (New Delhi) (Calcutta)
Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Committee)	

APPENDIX III

(Ref. Para 3.8 (a) of the Report)

Details of the Seminars/Courses organised by the C.P.E. Committee

S.No.	Programme	Place	Date
1.	Residential Course on Corporate Financial Management in collaboration with All India Management Association	Goa	25th to 30th September, 1985.
2.	Course on 'Financial Management & Management Accounting' with Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, Government of India	New Delhi	7th to 25th October, 1985.
3.	Course on 'FERA, Customs Duty and Excise Duty'	Jaipur	12th & 13th October, 1985.
4.	Seminar on 'Accounting Standards & Taxation'	Calcutta	23rd & 24th, November, 1985.
5.	Seminar on 'Accounting System in Public Utilities and Non-Profit Institutions'	New Delhi	7th & 8th December, 1985.
6	In-house Programme for Executives of State Trading Corporation.	New Delhi	23rd to 25th January, 1986.
7.	Seminar on 'New Dimensions in Financial Management with Special Reference to Working Capital' jointly with the Institute of Cost & Works Accountants of India.	Calcutta	8th & 9th March, 1986.
	Seminar on 'Corporate Finance and Law' jointly with the Institute of Company Secretaries of India	Bombay	9th & 10th August 1986.

APPENDIX IV

(Ref Para 3 8(b) of the Report)--Summary of the Results of Post Graduate Courses

	Management Accountancy Course (Part I) Exam Nov 1985	Corporate Management Course (Part I) Exam Nov. 1985	Tax Management Course (Part I) Exam Nov. 1985	M.A.C. (Part 1) Exam May 1986	Tax Management Course (Part I) Exam. May 1986
1. Both Groups Number of candidates appeared	27	2	7	14	11
Passed in both Groups	2	1	Nil	2	1
Percentage Passed in	7 4%	50%	Nil	14 28%	9 09%
Group I only Passed in	3	-	-	Nil	Nil
Group II only	10	--	—	10	2
2 Group I Number of candidates appeared	25	1	1	18	2
Passed	2	1	Nil	4	Nil
Percentage	8%	100%	Ni.	22.22%	Nil
3. Group II Number of caodidates appeared	8	Nil	Nil	7	1
Passed	2	Nil	Nil	7	Nil
Percentage	25%	Nil	Nil	100%	Nil

APPENDIX V

(Ref Para 4 8 of the Report)

Nominees of the Council on Outside Bodies

1. General Council of the Institute of Applied Manpower Research.	Shri P.A. Nair
2. Informal Advisory committee of the Department of Company Affairs on matters relating to Cost Accounting Record Rules.	Shri P.A. Nair
3. National Productivtiy Council.	Shri P.A. Nair
4. Farm Accounts Sectional Committee AFDC 49 of the Indian Standards Institution	Shri N.K. Poddar
5. Central Advisory Committee on Direct Taxes.	Shri P.A. Nair
6 All India Board of Management Studies.	Shri R. Balakrishana
7. Council of the International Federation of Accountants (IFAC)	Shri B.L. Kabra
8. International Auditing Practices Committee of IFAC	Shri Y.H. Malegam
9. Education Committee of IFAC	
10. South Asian Federation of Accountants.	Shri A. C. Chakraborti (Upto 31-12-85) Shri P.A. Nair (From 1-1-1986)
11. IASC Steering Committee on "Disclosure of Financial Statements of Banks"	Shri P.A. Nair

APPENDIX VI

(Ref. Para 5 1 of the Report)

STATISTICS—MEMBERS

AS ON 01/04/1986

FELLOWS	: IN FULL TIME PRACTICE	10,705	
	: IN PART TIME PRACTICE	1,518	
	: NOT IN PRACTICE	1,139	13,362
ASSOCIATES	: IN FULL TIME PRACTICE	11,284	
	: IN PART TIME PRACTICE	5,265	
	. NOT IN PRACTICE	10,367	26,916
	GRAND TOTAL		40,278

Region	FELLOWS				ASSOCIATES				
	IN PARCTICE				IN PRACTICE				
	In full time practice	In part time practice	Not in practice	Total of cols. 2,3,&4	In full time practice	In part time practice	Not in practice	Total of cols. 6,7&8	Total of Cols. 5&9.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	3,391	641	377	4,409	3,933	2,623	2,908	9,459	13,868
II	2,653	312	276	3,241	2,375	1,011	3,546	6,932	10,173
III	1,597	206	219	2,022	1,186	544	1,987	3,717	5,739
IV	1,069	147	72	1,288	1,243	351	706	2,300	3,588
V	1,995	212	195	2,402	2,547	736	1,225	4,508	6,910
	10,705	1,518	1,139	13,362	11,284	5,265	10,367	26,916	40,278

APPENDIX VII

(Ref. Para 5.4 of the Report)

DISCIPLINARY ACTION AGAINST MEMBERS

Failure to pay stipend to articled clerks in accordance with Regulation 32B

Three members were found guilty of professional misconduct within the meaning of Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Clause (i) of Part II of the Second Schedule to the said Act for having failed to pay stipend to their articled clerks in accordance with the provisions of Regulation 32B of the Chartered Accountants Regulations, 1964. The Council recommended to the High Court that the Respondents be reprimanded. The High Court upheld the findings of the Council in as much as the Respondents contravened Regulation 32B of the Chartered Accountants Regulations, 1964 and administered a reprimand to the members.

(For full details please see a pages 678 and 679 of February 1986 issue of "The Chartered Accountant")

APPENDIX VIII

(Ref. Para 5.5 of the Report)

Statement of removal of names from the Register of Members on account of death during the year 1985-86

S. No.	M. No.	Names	Date of Removal
1.	98	Shri V.B. Rama Sarma, Rajamahendravaram	20-9-85
2.	102	Shri D.L. Bhatt, Bombay	26-7-85
3.	204	Shri P.K. Ghosh, Calcutta	14-12-85
4.	231	Shri Jitendranath Sen, Calcutta	12-11-85
5.	244	Shri R.K. Karanth, Bombay	23-6-85
6.	365	Shri P.N. Mehta, Bombay	1-7-85
7.	405	Shri S.M. Sengupta, Calcutta	27-3-85
8.	465	Shri J.N. Dababhoy, Bombay	30-7-85
9.	554	Shri E.D. Visvanathan, Madras	24-8-85
10.	629	Shri S.N. Sachdev, Delhi	20-7-85
11.	688	Shri A.L. Talwar, New Delhi	17.12.84
12.	692	Shri D.K. Borkar, Bombay	10.6.85
13.	750	Shri Narayanan Mandyam Dhati, Bangalore	24.7.85
14.	762	Shri M.C. Ranganathan, Madras	9.4.85
15.	789	Shri R.C. Raha, Calcutta	29.8.85
16.	801	Shri P.K. Bose, Calcutta	19.12.82
17.	932	Shri Govind Ram Nath, New Delhi	10.1.84
18.	1038	Shri Jagannath Sharma, Kanpur	22.1.86
19.	1063	Shri Avadh Behari Tandon, Kanpur	4.5.85
20.	1101	Shri K.S.V. Rao, Bombay	24.12.83
21.	1204	Shri R.A. Devasikhamani Iyengar, Bangalore	23.5.85
22.	1357	Shri A.K. Bhattacharyya, Calcutta	24.10.84
23.	1768	Shri B.P. Borkar, Pune	21.9.84
24.	1887	Shri B.C. Chakraborty, Calcutta	15.2.86
25.	2061	Shri T.S. Raju Madurai	12.4.83
26.	2178	Shri R.D. Shah, Bombay	15.2.85
27.	2214	Shri Nirand Baran Nandi, Calcutta	16.3.85
28.	2294	Shri C.R. Kalayana Krishana, Palghat	5.1.86
29.	2306	Shri A.R. Khare, Calcutta	19.12.84
30.	2320	Shri Jacob Chacho, Tiruvalla	9.5.85
31.	2385	Shri K.P. Saxena New Delhi	3.2.84
32.	2404	Shri N.C. Roy, Calcutta	16.9.84
33.	2556	Shri Dharm Chand Jain, Indore	1.12.83
34.	2575	Shri T.G. Mavani, Bombay	1.12.83
35.	2841	Shri R. Chandrasekaran Pondicherry	5.12.85
36.	3090	Shri Jagdish Chandra Wadhwan New Delhi	1.7.84
37.	3092	Shri N. Ramaswamy Ayyar, Madras	17.9.85
38.	3269	Shri N. Sen Mazumdar, Calcutta	19.12.85
39.	3674	Shri N.C. Bajaj, New Delhi	1.1.84
40.	4177	Shri M.K. Sinha, Calcutta	31.7.85
41.	4627	Shri J.M. Shah, Bombay	10.5.85
42.	4900	Shri D. Akheswara Rao Tadepalligudem	12.10.85
43.	5003	Shri T.G. Krishnamurthy, Guntur	19.7.85
44.	6001	Shri R.V. Patel, Ahmedabad	26.2.84
45.	6203	Shri P.R. Narayanan Nair, Palhgat	23.11.85
46.	6304	Shri S. Ramachandran, Gooty	8.11.85
47.	7203	Shri A.N. Kar, Allahabad	9.2.85
48.	7221	Shri K.R. Vaideswaran, Bangalore	19.9.85
49.	7245	Shri Jagdish Singh Bhati, Bikaner	13.1.86
50.	7407	Shri V.K. Khindaria, New Delhi	16.3.84
51.	7540	Shri B.T. Kapadia, Bombay	
52.	8405	Shri Shashi Kant Rajpat, New Delhi	8.7.83
53.	8580	Shri Sir Narain Wahal, New Delhi	30.1.86
54.	8621	Shri V. Rajamani, Trichirapalli	23.8.85
55.	8723	Shri R.V. Krishnamurthy, Trichirapally	12.11.85
56.	9241	Shri V.Kumar, Calcutta	8.12.85
57.	9869	Shri D. Doraswamy, Trichur	8.9.85
58.	14282	Shri N.K. Sabharwal, New Delhi	21.5.85
59.	14714	Shri S. K. Basu, Calcutta	21.10.84
60.	14929	Shri Syam Sundar, New Delhi	18.1.85
61.	17077	Shri Parkash Chandra Chaturvedi, New Delhi	26.1.86
62.	20773	Shri M.R. Devanathan, Salem	4.6.85
63.	20910	Shri F.A. Sydney, Mangalore	29.9.82
64.	20970	Shri N. Balachandran, Bangalore	4.11.85
65.	21971	Shri K.J. Nayak, Delhi	27.5.85
66.	24026	Shri K. Ravinder, Hyderabad	23.10.85
67.	32914	Shri P.W. Kamat, Bombay	13.3.85
68.	34026	Shri S.S. Iyer, Bombay	30.8.85
69.	50808	Shri B.N. Roy, Howarah	14.2.86
70.	51171	Shri S.K. Ghosh, Parganas	22.1.84
71.	70472	Shri P.N. Modani, Jaipur	23.10.85
72.	70793	Shri Jitender Kumar Jain, Jaipur	6.4.84
73.	70941	Shri Raj Kumar Chaudhary, Bhilwara	6.4.84
74.	80196	Shri Ravinder Kumar, New Delhi	23.12.85
75.	80720	Shri Pradeep Chawla, New Delhi	30.4.86
76.	81519	Shri Bhupinder Kumar, Jain New Delhi	6.7.85
77.	82405	Shri S. K. Aggarwal, Delhi	25.7.84
78.	83034	Shri S.K. Jain, Delhi	6.10.83
79.	83329	Shri Gain Chand, Faridabad	28.4.85
80.	83538	Shri Pradeep Kumar Aggarwal, New Delhi	3.4.86
81.	84195	Shri Ravinder Kumar, New Delhi	31.12.85

APPENDIX IX

(Ref. Para 6.4.(a) of the Report)

	Inter	Final
No. of candidates who were enrolled on 1.4.85	25263	14810
Enrolled during the year 85-86	10813	6202
	36076	21012
No. of students who completed tuition in the year 85-86 (May 85 & Nov. 85)	—7095	—5709
	28981	15303

APPENDIX X

(Ref. Para 7 1 of the Report)

SUMMMARY OF RESULTS

EXAMINATIONS HELD IN MAY/JUNE 1985

ENTRANCE EXAMINATION—JUNE, 1985

Total No. of candidates appeared.	2212
Total number of candidates declared successful	296
Percentage	13.38

INTERMEDIATE (NEW SYLLABUS) EXAMINATION

Total No. of candidates appeared in Group I	10858
No. of candidates declared successful in Group I	2740
Percentage	25 23
Total No. of candidates appeared in Group II	11783
No. of candidates declared successful in Group II	2036
Percentage	17.27
Total No. of candidates appeared in Both Groups	4241
No. of candidates declared successful in Both Groups	486
Percentage	11.45

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION:

Total No. of candidates appeared in Group I	1514
No. of candidates declared successful in Group I	131
Percentage	8.65
Total No. of candidates appeared in Group II	1148
No. of candidates declared successful in Group II	273
Percentage	23.78
Total No. of candidates appeared in Both Groups	524
No. of candidates declared successful in Both Groups	10
Percentage	1.90

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION:

Total No. of candidates appeared in Group I :	7416
No. of candidates declared successful in Group I	3638
Percentage	49.05
Total No. of candidates appeared in Group II	6829
No. of candidates declared successful in Group II	1945
Percentage	28.48
Total No. of candidates appeared in Both Groups	5968
No. of candidates declared successful in Both Groups	1466
Percentage	24.56

SUMMARY OF RESULTS

EXAMINATIONS HELD IN NOVEMBER/DECEMBER 1985

ENTRANCE EXAMINATION—DECEMBER, 1985

Total number of candidates appeared	2518
Total number of candidates declared successful	392
Percentage	15.57

INTERMEDIATE (NEW SYLLABUS) EXAMINATION:

Total No. of candidates appeared in Group I	13096
No. of candidates declared successful in Group I	2434
Percentage	18.58
Total No. of candidates appeared in Group II	13961
No. of candidates declared successful in Group II	3458
Percentage	24.76
Total No. of candidates appeared in Both Groups	5460
No. of candidates declared successful in Both Groups	757
Percentage	13.86

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION:

Total No. of candidates appeared in Group I	1155
No. of candidates declared successful in Group I	161
Percentage	13.93
Total No. of candidates appeared in Group II	840
No. of candidates declared successful in Group II	234
Percentage	27.00
Total No. of candidates appeared in Both Groups	309
No. of candidates declared successful in Both Group	12
Percentage	3.88

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION:

Total No. of candidates appeared in Group I	6723
No. of candidates declared successful in Group I	2703
Percentage	40.20
Total No. of candidates appeared in Group II	6712
No. of candidates declared successful in Group II	2235
Percentage	33.29
Total No. of candidates appeared in Both Groups	3660
No. of candidates declared successful in Both Groups	657
Percentage	17.95

APPENDIX XI

(Ref. Para 7.4 of the Report)

MAY, 1985

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION

Certificate of Merit : NIL

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION:

The following candidates will be awarded certificates of merit

RANK	ROLL NO.	NAME
I	7411	SURESH RAJAGOPALAN (Total 550 marks out of 800).
II	8305	DEEPAK KUMAR KATHOTIA (Total 524 marks out of 800).
III	7424	P. VENKATESH (Total 517 marks out of 800)

1. The G. P. Kapadia Fist President Prize Gold Medal will be awarded to Suresh Rajagopalan (Roll No. 7411-Final New Syllabus Examination.
2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Suresh Rajagopalan (Roll No. 7411-Final Syllabus Examination.
3. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper in Accountancy will be awarded to Miss Monisha M. Parikh (Roll No. 5920)—Final New Syllabus Examination—169 marks out of 200).
4. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper of Management Accounting will be awarded to G.V. Nageswara Rao (Roll No. 7334—Final New Syllabus Examination—85 marks).
5. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Jatin Luthra (Roll No. 8118)—Final New Syllabus Examination—63 marks).
6. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Miss Monisha M. Parikh (Roll. No. 5920)—Final New Syllabus Examination 284 marks).
7. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Karnik Milind Dattatraya (Roll No. 6113—Final New Syllabus Examination—70 marks).
8. The N.M.Shah Prize and Suri Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Law will be awarded to Jatin Luthra (Roll No. 8118—Final New Syllabus Examination—71 marks)

9. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Economics will be awarded to Virendra S Shah (Roll No. 370 Final Old Syllabus Examination 50 marks)

10. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II of the Final New Syllabus Examination will be awarded to Suresh Rajagopalan (Roll No. 7411 —295 marks).

11. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks in the Final Examination will be awarded to Deepak Kumar Kathotia (Roll No. 8305 524 marks).

12. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Ganjwala Nilesh Ramesh (Roll No. 6353—Final New Syllabus Examination—83 marks).

13. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Mody Smeeta Arvind (Roll No. 5908—Final New Sylabus Examination—513 marks out of 800).

INTERMEDIATE (NEW SYLLABUS) EXAMINATION MAY, 1985:

The following candidates will be awarded Certificate of Merit:—

RANK	ROLL NO.	NAME
I	2792	NITIN SINGH (Total 474 marks out of 700).
II	5763	NIRMAL CHANDRAB JAIN (Total 469 marks out of 700).
III	14681	MEENA KUMARI SHANKAR (Total 468 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Nitin Singh (Roll No. 2792).

2. The Dinesh Himatlal Shah Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Raj Kumar (Roll No. 720) (63 marks out of 100).

PRIZE WINNERS

FINAL EXAMINATION (OLD & NEW SYLLABI) NOVEMBER, 1985.

FINAL (OLD SYLLABUS) EXAMINATION:

Certificates of Merit: Nil.

FINAL (NEW SYLLABUS) EXAMINATION:

The following candidates will be awarded Certificate of Merits:—

RANK	ROLL No.	NAME
I	6334	Shri SAYTA PRANAVA NAVINCHANDRA (Total 522 marks out of 800)
	7249	Shri SRIDHAR RAMAMURTHY (Total 522 Marks out of 800)
II	6011	Shri PRAMOD KUMAR DAD (Total 500 marks of 800)
	6865	Shri SUKHBIR SINGH SAHNI (Total 500 marks out of 800)
III	6263	Shri MERVYNAMDREW JOHN RAMOS (Total 498 marks out of 800)

1. The G.P.Kapadia First President Prize will be awarded to Shri Sayta Pranav Navinchandra (Roll No. 6334) and Shri Sridhar Ramamurthy (Roll No. 7249)—Final (New Syllabus) Examination.

2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Shri Sayta Pranav Navinchandra (Roll No. 6334) and Shri Sridhar Ramamurthy (Roll No. 7249)—Final New Syllabus Examination.

3. The G. Basu Foundation award for the best student of the year 1985 will be awareded to Shri SURESH RAJAGOPALAN (Roll No. 7411)—Final (New Syllabus) Examination May, 1985.

4. The N.N. Das Prize for the best student of the year 1985 in the Accountancy Group will be awarded to Miss MONISHAM PARIKH (Roll No. 5920—Final New Syllabus Examination May, 1985.

5. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accountancy will be awarded to Shri ABBASI FANIMAKHTERS. (Roll No. 6319)—Final New Syllabus Examination (164 marks out of 200).

6. The J.K Doshi Prize for the highest mark in the paper of Financial Management will be awarded to Shri PRADIWALLA PERCY JAL (Roll No. 6338)—Final New Syllabus Examination (89 marks).

7. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Shri S. DURAI MURTHY (Roll No. 1473—Final Old Syllabus Examination (69 marks).

8. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Shri MAZUMDAR KAUSHIK BISHNU (Roll No. 6721)—Final New Syllabus Examination (269 marks).

9. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Shri SUDHANSHU BHUSHAN CHANDA, (Roll No. 4792) —Final New Syllabus Examination (70 marks).

10. The N.M. Shah Prize & Suri Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Shri SATYA PRAVNAV NAVINCHANDRA (Roll No. 6334)—Final New Syllabus Examination (80 marks).

11. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Economics will be awarded to Shri SHUBHADA VISHWANATH PADHYE (Rooll No. 7489)—Final New Syllabus Examination (71 marks).

12. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II of the Final New Syllabus Examination will be awarded to Shri SRIDHAR RAMAMURTHY (Roll No. 7249—270 marks).

13. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the best candidate who secures the second highest marks in the Final Examination will be awarded to Shri SUKHBIR SINGH SAHNI (Roll No. 6865) and Shri PRAMOD KUMAR DAD (Roll No. 6011)—Final New Syllabus Exam.

14. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to SRIDHAR RAMAMURTHY (Roll No. 7249)—Final New Syllabus Examination (81 marks).

15. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss PURVI SHURVIR KUMAR DOCTOR (Roll No. 6010)—Final New Syllabus Examination (Total 481 marks out of 800).

INTERMEDIATE EXAMINATION (NEW SYLLABUS)
NOVEMBER, 1985

The following candidates will be awarded Certificate of Merit . -

RANK	ROLL NO.	NAME
I	17224	MISS KIMSUKA NARSIMHAN (Total 526 marks out of 700).
II	2457	SHRI SANJAY VARMA (Total 497 marks out of 700).
III	5714	SHRI MUKESH SODANI (Total 496 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Miss Kimsuka Narsimhan (Roll No. 17224).
2. The Suri Memorial Prize for the best student of the year 1985 will be awarded to Miss Kimsuka Narsimhan (Roll No. 17224).
3. The Dinesh Himatlal Shah Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Miss Anjali Krishna Damle Roll No. 10127 (72 marks out of 100).

APPENDIX XII

(Para 7.5 of the Report)

TABLE INDICATING EXEMPTIONS AVAILABLE IN PAPERS OF FINAL (NEW SYLLABUS) TO THOSE CANDIDATES OF FINAL (OLD SYLLABUS) WHO HAVE ALREADY PASSED EITHER GROUP I OR GROUP II

GROUP PASS UNDER SCHEDULE 'B' (OLD SYLLABUS)	EXEMPTIONS IN THE EXAMINATION UNDER SCHEDULE 'BB' (NEW SYLLABUS)
Group I	
Paper (i)—Advanced Accounting	Group I, Paper 1—Advanced Accounting
Paper (ii)—Advanced Accounting & Management Accounting.	Group I, Paper 2—Management Accounting
Paper (iii)—Costing	Group II, Paper 8—Comb. 'B'—Cost Systems & Cost Control (if the candidate opts for Combination 'B')
Paper (iv)—Auditing	Group I, Papre 3—Auditing
Paper (v)—Taxation	Group II, Paper 5—Direct Tax Laws
GROUP II:	
Paper (ii)—Company Law	Group, Paper 4—Company Law

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1986 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institutes decentralised offices. Regional Councils and their Branches and Students' Associations and their Branches audited by other auditors and report that:—

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;
3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view:
   (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1986; and
   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi, **C.P. Mehra** **M.R. Venkataraman**
Dated: 12th September, 1986 Chartered Accountant Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Accounting Policies

1. Depreciation: Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on the diminishing balance method. Library books at the Head Office have been depreciated on the straightline method.
2. The admission fee from fellow members and a major portion of the entrance fee received from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets, transferred to Capital Reserve.
3. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisable value. For this purpose cost is ascertained on the basis of direct cost method.
4. Provision for Gratuity to staff is made on accrual basis. A gratuity-cum-group insurance policy has been taken from the Life Insurance Corporation of India. Any shortfall in the payment of gratuity is debited in the year of payment.
5. Investments have been valued at cost.
6. Income & Expenditure from Seminars, Symposiums and Conferences held during the year have been accounted for on cash basis.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA,
NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1986

		SCHEDULE Rs.	31-3-1986 Rs.	Rs.	31-3-1985 Rs.
FUNDS EMPLOYED:					
1. Fixed Assets:					
Gross Block		2,28,17,981		2,10,51,627	
Less : Depreciation		85,37,312		74,79,244	
Net Block	(A)		1,42,80,669		1,35,81,383
2. Earmarked Investments	(B)		51,13,823		48,73,388
3. Other Investments:					
(a) Fixed Deposits with Banks		1,52,32,002		1,69,84,268	
(b) Govt. Securities		2,506	1,52,34,507	2,506	1,69,86,774
Net Current Assets	(C)		28,27,419		(—)3,84,221
TOTAL			3,74,56,419		3,50,57,324

FINANCED BY :			
1. Capital Reserve	(D)	2,07,31,051	1,87,76,877
2. General Reserve	(E)	99,07,150	99,20,632
3. Other Reserves	(F)	17,04,385	14,86,427
4. Earmarked Funds	(G)	51,13,823	48,73,388
TOTAL		3,74,51,419	3,50,57,324

NOTES : FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH, 31, 1986:

(1) Accounts of three branches of Students Associations (Indore, Jodhpur and Jaipur) have not been received and hence not incorporated. However, the grants/fee paid payable during the year to these branches have been accounted for.

(2) Audited accounts of two branches of Regional Councils Ludhiana & Jamshedpur have not been received. However, accounts certified by Office Bearers have been duly incorporated.

P.C. JAIN
Sr. Deputy Secretary

R.L. CHOPRA
Secretary

P.A. NAIR
President

As per our Report of even date attached.

New Delhi
Dated 12th Sept., 1986

R. BALAKRISHNAN
Vice-President

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH, 31, 1986

	1985-86 Rs.	1984-85 Rs.
1	2	3
I. INCOME—Schedule H		
(a) Members		
(i) Regulatory	1,11,18,491	1,02,60,411
(ii) Professional Development & Research	20,05,261	14,76,081
	1,31,23,752	1,17,36,492
(b) Students	2,21,48,913	2,16,97,222
TOTAL	3,52,72,665	3,34,33,714
II. EXPENDITURE—Schedule I		
(a) Members		
(i) Regulatory	50,77,791	34,95,376
(ii) Professional Development & Research	90,19,130	79,04,983
	1,40,96,921	1,14,00,359
(b) Students	2,02,19,458	1,82,68,688
TOTAL	3,43,16,379	2,96,69,047
III. Surplus for the year:		
(i) Transferred to Education Fund	9,64,727	17,14,267
(ii) Transferred to General Reserve	(—)3,441	20,50,400
TOTAL	9,56,286	37,64,667
TOTAL	3,52,72,665	3,34,33,714

P.C. Jain
Sr. Deputy Secretary

R.L. Chopra
Secretary

P.A. Nair
President

As per our Report of even date attached

Sept. 12th 1986

R. Balakrishnan
Vice-President

C.P. Mehra
Chartered Accountant,

M.R. Venkataraman
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'A'—FIXED ASSETS

(Amounts in Rupees)

S. No.	Assets	Cost as at 1-4-1985	Adjustments relating to branches and others	Additions during the year	Cost as at 31-3-1986	Depreciation as at 31-3-1986	Book Value as at 31-3-1986	Book value as at 31-3-1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Land	8,15,073	—	—	8,15,073	—	8,15,073	8,15,073
2.	Buildings	97,58,595	(15,000)	1,45,416	98,89,011	18,91,659	79,97,352	80,70,872
2a.	Building (Work in progress-Ernakulam)	—	—	1,17,134	1,17,134	—	1,17,134	—
3.	Electric Installations & Fittings	12,40,633	26,561	2,33,724	15,00,918	7,83,768	7,17,150	5,56,688
4.	Air Conditioning Installations	14,81,117	—	1,59,708	16,40,825	9,36,125	7,04,700	6,74,318
5.	Furniture & Fixtures	30,07,155	(49,968)	4,77,855	34,35,042	14,94,890	19,40,152	16,97,773
6.	Lifts	2,84,041	—	25,871	3,09,912	1,62,122	1,47,790	1,38,340
7.	Office Equipment	12,83,643	25	1,93,836	14,77,504	8,55,416	6,22,088	5,37,085
8.	Vehicle	76,985	—	—	76,985	45,452	31,533	39,416
9.	Library	31,11,385	(11,652)	3,38,679	34,38,412	23,44,447	10,93,965	10,51,818
10.	Computer	—	—	1,17,165	1,17,165	23,433	93,732	—
	TOTAL	2,10,58,627	(50,034)	18,09,388	2,28,17,981	85,37,312	1,42,80,669	1,35,81,383

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'B'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amounts in Rupees)

	Fixed Deposits with Banks		Balance in other Bank Accounts		Govt. Securities		Total	
	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A) Education Fund Investments								
TOTAL—(A)	28,64,653	2630,413	—	—	—	—	28,64,653	26,30,413
(B) Other Earmarked Investments:								
(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250	—	—	—	—	6,80,250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Fund	2,08,211	1,95,534	40,525	25,088	80,025	80,025	3,28,761	3,00,647
(c) Scientific Research Fund	2,28,682	2,24,654	—	4,028	—	—	2,28,682	2,28,682
(d) Others	9,47,372	9,81,155	64,105	52,241	—	—	10,11,477	10,33,396
TOTAL—(B)	20,64,515	20,81,593	1,04,630	81,357	80,025	80,025	22,49,170	22,42,975
GRAND TOTAL—(A+B)	49,29,168	41,12,006	1,04,630	81,357	80,025	80,025	51,13,823	48,73,388

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'C'—NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars		Rs.	31-3-1986 Rs.	Rs.	31-3-1985 Rs.
Current Assets :					
(a)	Publications, Study Materials & Stationery		29,34,128		33,42,006
(b)	Amounts Receivable :				
	(i) Interest on Investments	9,83,565		8,61,230	
	(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	6,60,234		5,32,603	
	(iii) Others	21,68,621	38,12,420	18,83,708	32,77,541
(c)	Loans & Advances :				
	(i) Advances to Staff :				
	Housing & Vehicle Loans	33,16,428		30,68,489	
	Others	2,08,555		64,570	
		35,24,983		31,33,059	
	(ii) Loan Scholarships to Students	73,055		4,03,934	
	(iii) Others	8,32,602	44,30,640	5,68,955	41,05,948
(d)	Cash & Bank Balance	49,79,181		52,42,235	
	In transit with collecting bank	20,49,479	70,28,660	10,89,806	63,32,041
	TOTAL		1,82,05,848		1,70,57,536
	Less : Current Liabilities :				
	(a) Fee received in advance		1,07,88,509		1,22,13,679
	(b) Creditors for expenses		30,28,116		28,59,948
	(c) Other liabilities		11,19,487		20,17,928
	(d) Inter Unit Balances with Regional Councils (Net)		4,42,317		3,50,202
	(Subject to adjustments)		1,53,78,429		1,74,41,757
	TOTAL				
	Net Current Assets		28,27,419		(—)3,84,221

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'D'—CAPITAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

	Particulars		31-3-1986 Rs.	31-3-1985 Rs.
(A)	General :	(A)		
	Balance as per last account		1,40,77,250	1,26,66,252
	Add : Admission Fees & Allocated Entrance Fee		11,47,400	10,38,600
	Add : Donations received for Kanpur, Madras Building Additional Construction and Ernakulam Building		2,09,784	3,72,398
		TOTAL (A) :	1,54,34,434	1,40,77,250
(B)	Education :	(B)		
	Balance as per last account		46,99,627	23,31,627
	Add : Transfer from Education Fund		5,97,000	23,68,000
		TOTAL(B) :	52,96,627	46,99,627
		GRAND TOTAL (A+B) :	2,07,31,061	1,87,76,877

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'E'—GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1986 Rs.	31-3-1985 Rs.
Balance as per last account	99,20,632	78,78,052
Deficit/Surplus transferred from Income & Expenditure Account	(—)8,441	20,50,400
	99,12,191	99,28,452
Less : Transferred to Earmarked Funds	(—)5,041	(—)7,820
TOTAL	99,07,150	99,20,632

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'F'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1986 Rs.	31-3-1985 Rs.
Balance as per last account	14,86,427	14,64,119
Add : Net Accretion/adjustments during the year	2,17,958	1,50,308
	17,04,385	16,14,427
Less : Transferred to Earmarked Funds	—	(—)1,28,000
TOTAL	17,04,385	14,86,427

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'G'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

	Particulars	31-3-1986 Rs.	31-3-1985 Rs.
(A)	Education Fund:		
	Balance as per last account	26,30,413	31,38,726
	Transferred from Income & Expenditure Account	9,64,727	17,14,267
	Interest earned during the year	1,42,017	1,72,285
		37,37,157	50,25,278
	Less : (a) Transferred to Capital Reserve	(—)5,97,000	(—)23,68,000
	(b) Adjustments	(—)2,75,504	(—)26,865
	TOTAL (A)	28,64,653	26,30,413
(B)	Other Earmarked Funds :		
	(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250
	(b) Medals & Prizes Fund—Balance as per last Account	3,00,647	2,61,112
	Additions during the year	14,848	38,549
	Income earned during the year	30,079	21,004
		3,45,574	3,20,665
	Less : Cost of Medals & Prizes awarded	(—)16,813	(—)20,018
		3,28,761	3,00,647
	(c) Scientific Research Fund—Balance as per last account	2,28,682	2,28,682
	(d) Others—		
	1. Balace as per last account	10,33,396	7,31,28(
	2. Additions during the year	15,50(	1,10,000
	3. Transferred from General Reserve	5,041	7,820
	4. Transferred from Other Reserves	—	1,28,000
	5. Adjustments	(—)1,10,000	—
	Add : Income earned during the year	70,646	57,446
		10,14,583	10,34,552
	Less : Expenditure during the year	(—)3,106	(—)1,156
		10,11,477	10,33,396
	TOTAL(B)	22,49,170	22,42,975
	GRAND TOTAL (A+B)	51,13,823	48,73,388

SCHEDULE H.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR

THE YEAR ENDED MARCH 31, 1986

(Amounts in Rupees)

		TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
				Regulatory		Professional Development & Research			
		31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985
	INCOME								
1.	Entrance Fee (Allocated)	4,40,900	4,00,200	4,40,900	4,00,200	—	—	—	—
2.	Membership Fee	97,01,977	86,73,345	97,01,977	86,73,345	—	—	—	—
3.	Post Graduate Course Fee	19,700	15,900	—	-	19,700	15,900	—	—
4.	Students' Registration Fee	13,32,740	12,04,440	—	—	—	-	13,32,740	12,04,440
5.	Students' Association Fee	1,06,660	92,560	—	—	—	—	1,06,660	92,560
6.	Coaching Fee	98,14,291	90,44,208	—	—	—	—	98,14,291	90,44,208
7.	Examination Fee	71,30,634	77,66,382	—	—	-	—	71,30,634	77,66,382
8.	Journal & News Letter	4,60,152	3,48,360	—	—	—	—	4,60,152	3,48,360
9.	Publications	32,35,142	31,63,679	—	—	14,04,458	9,28,183	18,30,684	22,35,496
10.	Interest on Investments	1,71,336	1,67,195	—	—	1,01,480	98,422	69,856	68,773
11.	Nomination Fee for Election to Council & Regional Councils	97,400	—	97,400	—	—	—	—	—
12.	Others	7,53,129	3,96,871	—	5,686	4,22,765	2,39,174	3,30,364	1,52,011
	SUB-TOTAL	3,32,64,061	3,12,73,140	1,02,40,277	90,79,231	19,48,403	12,81,679	2,10,75,381	2,09,12,230
13.	Income from General Fund Investments (Allocated)	16,57,007	17,71,770	8,78,214	11,81,180	—	—	7,78,793	5,90,590
	SUB-TOTAL	3,49,21,068	3,30,44,910	1,11,18,491	1,02,60,411	19,48,403	12,81,679	2,18,54,174	2,15,02,820
14.	Prior Period Adjustments*	3,51,597	3,88,804	—	—	56,858	1,94,402	2,94,739	1,94,402
	TOTAL	3,52,72,665	3,34,33,714	1,11,18,491	1,02,60,411	20,05,261	14,76,081	2,21,48,913	216,97,222

*Includes Rs. 2,90,209 which represents adjustments made to reconcile a bank account of Examination Section

SCHEDULE I

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1986

(Amounts in Rupees)

		TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
				Regulatory		Professional Development & Research			
		31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985	31-3-1986	31-3-1985
II.	EXPENDITURE :								
1.	Salaries & Staff Expenses	1,16,27,340	96,76,106	23,73,521	18,75,171	24,32,173	21,43,814	68,21,646	56,57,121
2.	Printing & Stationery	11,50,034	10,12,590	1,40,157	1,24,120	5,27,066	4,72,378	4,82,811	4,16,092
3.	Publications	20,86,806	22,20,092	5,93,295	4,20,910	5,83,986	6,60,075	9,09,525	11,39,107
4.	Journal & News Letter	25,65,272	21,68,455	—	—	21,75,804	18,44,279	3,89,468	3,24,176
5.	Coaching (Excluding Salaries & Staff Expenses)	32,83,703	30,33,957	—	—	—	-	32,83,703	30,33,957
6.	Examination (Excluding Salaries & Staff expenses)	51,63,490	49,67,875	—	—	—	—	51,63,490	49,67,875
7.	Postage, Telegrams & Telephone	10,31,507	9,30,918	2,25,017	2,07,667	3,20,080	2,82,855	4,86,410	4,40,396
8.	Rent, Rates & Taxes	14,15,176	11,56,165	2,82,930	2,41,627	4,95,522	3,83,870	6,36,724	5,30,688
9.	Repairs & Maintenance	5,54,990	3,79,338	1,21,237	87,182	1,73,769	1,10,139	2,59,984	1,82,017
10.	Depreciation	11,27,221	9,91,300	2,81,805	2,47,826	2,81,806	2,47,825	5,63,610	4,95,649
11.	Travelling & Conveyance								
	(a) Council Members	10,45,080	9,91,249	2,23,768	1,85,107	5,06,383	4,94,766	3,14,929	3,11,376
	(b) Staff & Others	4,88,135	3,69,174	1,00,017	56,012	1,71,783	1,27,930	2,16,335	1,85,232
12.	Library Maintenace	85,675	48,970	—	—	38,928	29,528	46,747	19,442
13.	Overseas Relations	4,03,476	3,63,866	—	—	4,03,476	3,63,866	—	—
14.	Proffessional Fees	2,41,295	2,72,288	34,659	42,459	1,08,700	1,17,588	97,936	1,12,241
15.	Elections	7,01,385	7,295	7,01,385	7,295	—	—	—	—
16.	Others	12,96,353	10,79,409	—	—	7,63,801	6,26,070	5,32,552	4,53,339
	SUB-TOTAL	3,42,66,938	2,96,69,047	50,77,791	34,95,376	89,83,277	79,04,983	2,02,05,870	1,82,68,688
17.	Prior period adjustment	49,441	—	—	—	35,853	—	13,588	
	TOTAL	343,16,379	2,96,69,047	50,77,791	34,95,376	90,19,130	79,04,983	2,02,19,458	1,82,68,688

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR THE YEAR 1985-86

S.No.	Particulars	1985-86	Appendix 1984-85
1.	(a) No. of Members	40,331	36,254
	(b) Total Expenditure*	Rs. 14,097	Rs. 11,400
2.	Total Expenditure per member	Rs. 350	Rs. 314
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 5,078	Rs. 3,495
	(b) Expenditure per member	Rs. 126	Rs. 96
	(c) Percentage	36%	31%
4.	Professional Development & Research		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 9,019	Rs. 7,905
	(b) Expenditure per member	Rs. 224	Rs. 218
	(c) Percentage	64%	69%

*Rupees in thousands

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1986

(Rupees in lakhs)

	1985-86	1984-85
Source of Funds :		
Net Income from Investments, property etc. (both on capital and revenue accounts)	20.57	21.73
Capital receipts in the form of entrance fee, donations etc.	12.20	16.86
Release of Investments	15.11	—
	47.88	38.59
Surplus for the year without charging depreciation and considering non-operational income from investments and property	02.32	28.80
TOTAL	50.20	67.39
Application of Funds :		
Increase in working capital	32.11	33.44
Acquisition of Fixed Assets	18.09	22.53
Acquisition of Investments	—	11.42
TOTAL	50.20	67.39

STATEMENT OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	Increase/Decrease	
	1985-86	1984-85
CURRENT ASSETS		
(a) Publications, Study Materials & Stationery	(—)40.08	08.40
(b) Amounts Receivable : Interest on Investments	01.22	00.78
on Housing & Vehicle Loans	01.27	05.33
Others	02.85	00.10
(c) Loans & Advances		
(i) Advances to Staff	03.92	08.74
(ii) Loan Scholarships to Students	(—)03.31	(—)00.34
(iii) Others	02.64	(—)00.53
(d) Cash & Bank balances	06.97	23.48
TOTAL	11.48	45.96
CURRENT LIABILITIES		
(a) Fees received in advance	(—)14.25	(—)11.41
(b) Creditors for expenses	01.68	11.55
(c) Other Liabilities	(—)08.06	12.38
TOTAL	(—)20.63	12.52
Net Increase in Working Capital	32.11	33.44

R. L. CHOPRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986